# हरियाणा विघान समा

# कार्यवाही

9 मार्च, 2012 खण्ड 1, अंक 8 अधिकृत विवरण



# विषय सूची

शुक्रवार, 9 मार्च, 2012

	्रपृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(8)1
अति विशिष्ट व्यक्तियों का अभिनंदन	(8)6
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भण)	(8)6
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित	(8)24
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(8)26
अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा—	(8)39
ञन्पस्थिति की सूचना	
सदस्य का नाम लेना	(8)40
वाक आउट	(8)46
सदस्यों का नाम जैना	(8)46
संकल्प	(8)47
याक-आउट	(8)70
व्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा उस पर वक्तव्य	(8)70
शोक प्रस्ताव	(8)83
श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम.एल.ए. के परिवार के सदस्यों के न्यासीं/	(8)84
सोसायटियों द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच करने के लिए सदन	
की समिति के गठन की वैधता, जबकि श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम एल	<b>u</b> .
मुल्य	
269	

i i si elle la tala, leggi. Caret e vi la lagra ca		
के विकट	केन्द्रीय जांच ब्यूरो के न्यायालय में आय से अधिक सम्पत्तियों का	
	बित पड़ा है, पर चर्चा	
		4
	5 के अधीन प्रस्ताव (8)9 5 के अधीन प्रस्ताव (8)9	
and the first and	मेज पर रखे गये कागज-पत्र (8)9	. "
	भा समितियों की रिपोर्ट्स प्रस्तुत करना— (8)9	
	) जधीनस्य विधान समिति की 40वीं रिपोर्ट	0
	i) पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 67वीं रिपोर्ट	
Carrie March 1997	ii) पुब्लिक अंडरटेकिंग्ज कमेटी की 58वीं रिपोर्ट	
e in all other constitution	<ul> <li>वैल्फेयर ऑफ शिइयुल्ड कास्ट्स, शिइयुल ट्राइब्ज एयं</li> </ul>	
	बैकवर्ड क्लासिज कमेटी की 35वीं रिपोर्ट	
(x	/) गवर्नमेंट ऐश्योरैंसिज कमेटी की 41वीं रिपोर्ट	
(1)	/1) ऐस्टीमेट्स कमेटी की 40वीं रिपोर्ट	
(x	(ii) याविका समिति की फर्स्ट रिपोर्ट	
वेधान का	r <del>d</del> -	7
Contract to the contract of	) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (न० 1) बिल, 2012	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	i) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं० 2) बिल, 2012	
	ii) दि पंजाब लेबर वैल्फेयर फंड (हरियाणा अमैंडमैंट) विल, 2012	
	V) महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 2012	aran Majar
	<ul> <li>भगत फूल सिंह महिला युनिवर्सिटी खानपुर कला (अमेंडमैंट) बिल,</li> </ul>	
	· 2012	
(v	'i) दि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 2012	
(v	ii) वीधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी सिरसा (अमेडमैंट) बिल, 2012	
(v	'iii) दि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बिल, 2012	
(i:	x) दि पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) हरियाणा अमेंडमैंट बिल,	
(x		
	i) दि हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसायटीज बिल, 2012	
	ii) दि हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (अमैंडमैंट) बिल, 2012	irin ar
	iii) दि हरियाणा रूरल डिवैलपमैंट (अमैंडमैंट) बिल, 2012	::
(x	iv) दि हरियाणा मुर्राह बुफैलो एड अदर मिल्च ऐनीमल ब्रीड (प्रिजरवेशन	
	एंड डिवैलपमेंट ऑफ ऐनीमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डिवेलपमेंट सेक्टर)	400

अमेडमैट बिल, 2012

अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यनाव

(xv) दि हरियाणा प्राइवेट हैल्थ साइसिज ऐजूकेशनल इस्टीच्यूशज

(रैगुलेशन ऑफ ऐडमीशन, फिक्सेशन ऑफ फी एंड मेंटीनेंस ऑफ

(8)136

ऐजूकेशनल स्टैंडर्स) बिल, 2012 (xvi) दि इरियाणा डिवैलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज (अमेंडमेंट एंड वैतिडेशन) बिल, 2012



# हरियाणा विधान समा शुक्रवार, 9 मार्च, 2012

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में दोपहर 2.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कुलदीप शर्मा) ने अध्यक्षता की।

## तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the questions hour.

#### PWD Rest House at Barwala City

\*1098. Shri Ram Niwas Ghorela: Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a PWD Rest House at Barwala City?

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): No, Sir.

श्री राम निवास घोड़ेला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बरवाला पहले उप-तहसील या उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मेहरबानी से बरवाला को सब-डिवीजन बनाया गया है। क्या वहां पर रैस्ट हाउस बनाने की कृपा करेंगे?

Mr. Speaker: It is a demand need not to reply. Only consider the demand.

Shri Randeep Singh Surjewala: O.K., Sir.

#### Construction of Stadium in Rania City

\*1076. Shri Krishan Lal Kamboj: Will the Minister of State for Sports and Youth Affairs be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a stadium in Rania City; if so, the details thereof?

खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री (श्री सुखबीर कटारिया): हां श्रीमाम्, रानियां में 6 एकड़ के क्षेत्र में स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। मामला प्रक्रियाधीन है तथा कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा।

ž\*

श्री कृष्ण ताल कम्बोज: अध्यक्ष महोदय, यह मामला काफी लम्बे समय से विचाराधीन है। स्टेडियम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ज़मीन दिए हुए भी एक साल से अधिक समय हो गया लेकिन जब तक वहां पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी कृपा बतायें कि इस स्टेडियम का निर्माण कब तक शुरू हो जायेगा?

श्री सुखबीर कटारिया: स्पीकर सर, इस स्टेडियम को बनाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2008 में की थी। इस स्टेडियम के लिए जमीन देने का रेजोल्यूशन म्यूनिस्पिल कमेटी, रानियां ने पास किया था लेकिन उसके बारे में यह ऑब्जैक्शन लगा दिया कि यह जमीन म्यूनिस्पिल कमेटी की बजाय स्पोर्ट्स विभाग को ट्रांसफर की जाए। अब यह केस लोकल बॉडीज महकमे में आ गया है और सरकार इस स्टेडियम का निर्माण जल्दी ही करेगी।

श्री कृष्ण ताल कम्बोज: अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका ने फिर से रेजोलूशन पास कर दिया है। आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस स्टेडियम को जल्द से जल्द बनवाया जाये।

श्री सुखबीर कटारिया: स्पीकर सर, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम इस स्टेडियम का निर्माण जल्दी ही करवार्येंगे!

श्रीमती सुमिता सिंह: अध्यक्ष महोदय, अगर हमारे यूथ किसी गांव में या शहर में कोई स्टेडियम बनवाना चाहें तो उसके लिए क्या नाम्सी हैं?

श्री सुखबीर कटारिया: स्पीकर सर, स्टेडियम बनवाने के लिए चार एकड़ जमीन कम से कम होनी चाहिए। उसके लिए दस प्रतिशत पैसा पंचायत ने देना होता है और बाकी का पैसा स्पोर्ट्स विभाग देता है।

श्री कृष्ण लाल पंचार: स्पीकर सर, हरियाणा प्रदेश की काफी पंचायतों ने अपनी तरफ से स्टेंडियम के लिए पैसा जमा करा रखा है और उसके लिए जमीन भी दे रखी है। जिन पंचायतों ने स्टेडियम बनाने के लिए जमीन भी दे रखी है और पैसा भी जमा करा रखा है, क्या ऐसी जगहों पर स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

श्री सुखबीर कटारिया: स्पीकर सर, स्पोर्ट्स विभाग ने काफी स्टेडियम बनाकर हैंड ओवर भी कर दिए हैं फिर भी माननीय सदस्य इस बारे में लिखकर दे दें। अगर इनका कोई पैंडिंग रह गया है तो उसको भी सरकार जरूर बनवायेगी।

श्री कृष्ण लाल पंचार: स्पीकर सर, मेरे विधानसमा हत्के इसराना में तीन गांवों वैसर, धर्मगढ़ और कवी की पंचायतों ने स्टेडियम बनवाने के लिए जमीन भी दे रखी है और पैसा भी जमा करा रखा है लेकिन इन गांवों में स्टेडियम बनवाने का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

श्री सुखबीर कटारिया : स्पीकर सर, हालांकि यह अलग प्रश्न है फिर भी माननीय सदस्य इस बारे में लिखकर भिजवा दें उस पर विचार कर लिया जायेगा । श्री अनिल धंतोड़ी: अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर स्टेडियम्ज बनाने की पहल की है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कितने स्टेडियम्ज बनाए गए हैं?

श्री सुखबीर कटारिया: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि हम 222 स्टेडियम्ज बनाने जा रहे हैं जिसमें से 134 स्टेडियम्ज बना दिए गए हैं।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, आप यह बताएं कि आप कितने स्टेडियम्ज और बनाएंगे?

श्री सुखबीर कटारिया: अध्यक्ष महोदय, हम ऐज पर रिक्वायरमैंट और स्टेडियम्ज बनवाएंगे। कोई भी पंचायत रैजोल्यूशन पास करके भेजेगी और वे प्रौपर कंडीशंज फुलफिल करेंगी तो इस वहां स्टेडियम्ज बनवा देंगे।

श्री जिले राम शर्मा: अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बला गांव में स्टेडियम बनाने की बोषणा की थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि वह स्टेडियम कब तक बन जाएगा?

श्री सुखबीर कटारिया: अध्यक्ष महोदय, इस समय हमारे पास यह इन्फर्मेशन नहीं है।

Mr. Speaker: It is a separate question.

श्री अभय सिंह चौदाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारी 222 स्टेडियम्ज बनाने की प्रपोजल है और 134 के करीब स्टेडियम्ज बना दिए हैं। माननीय मंत्री जी, अगर ये स्टेडियम्ज बना दिए हैं तो इसके साथ-साथ यह मी बता दें कि इन स्टेडियम्ज में कितने कोच लगाए गए हैं, कितने ग्राउंड अटैंडैंट लगाए गए हैं, कितने ट्रेनर्स लगाए गए हैं और कितनी जगह खेलों का सामान दिया गया है?

श्री सुखबीर कटारिया: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि 4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 168 ग्राउंड मैन और ग्राउंड मैनेजर लगाए गए हैं।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, आपने आलरेडी इसका रिप्लाई दे दिया है।

श्री सुखबीर कटारिया: अध्यक्ष महोदय, यह सैपरेट प्रश्न है फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने बहुत से स्टेडियम्ज बना दिए हैं। अगर हमें लगता होगा कि किसी डिस्ट्रिक्ट में या किसी तहसील में और स्टेडियम्ज की जरूरत है और वे गवर्नमैंट के नाम्ज के हिसाब से जमीन वगैरह की कंडीशंज फुलफिल करते होंगे तो वहां स्टेडियम्ज जरूर बनवा देंगे।

श्री अभय सिंह चौदाला: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह नहीं था बल्कि मेरा सवाल यह था कि पिछले 7 वर्षों में कितने नए कोचिज भर्ती किए गए हैं। जहां स्पोर्ट्स नीति की बात आती है कि हरियाणा की स्पोर्ट्स नीति बहुत बढ़िया है तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि इन स्टेडियम्ज में कितना खेलों का सामान दिया गया है।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, आपके पास कोचिज की सलैक्शन की फिगर्ज हैं।

श्री सुखबीर कटारिया: अध्यक्ष महोदय, ग्राउंड मैन और ग्राउंड मैनेजर की फिगर्ज तो मैंने बता दी है। यह सैपरेट प्रश्न है, माननीय साथी लिखकर भेज दें हम यह इन्फर्मेशन भिजवा देंगे।

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने अच्छे तरीके से बताया कि स्टेडियम्ज में जो बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और दूसरे खेलों के इक्विपमैंट्स वगैरह चाहिए होते हैं, गवर्नमैंट उसको बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रही है। पिछले दिनों आदरणीय मुख्यमंत्री जी हिसार में एस्ट्रोटर्फ की अनाउंसमैंट करके आए थे। हमारे हरियाणा की वूमैन हॉकी टीम की 8 लड़िकयां इंडिया टीम में खेलती हैं और हमारे हिसार की दो लड़िकयां भी इंडिया टीम में हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि हमारे यहां एस्ट्रोटर्फ कब तक लगा देंगे और इसकी मंजूरी मिल गई है या नहीं और इसके लिए कोई पैसा मिला है या नहीं?

श्री सुखबीर कटारिया: अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय मंत्री श्री अजय माकन जी वहां आए ये और उन्होंने एस्ट्रोटर्फ बनाने के लिए अनाउंसमैंट की थी। इम उनको 3-4 बार रिमाइंडर दे चुके हैं। जैसे ही हमें दिल्ली से एप्रूबल मिलेगी हम वहां एस्ट्रोटर्फ लगवा देंगे।

प्रों० सम्पत्त सिंह: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी हिसार की रैली में एस्ट्रोटर्फ के लिए अनाउंस करके आए थे और सावित्री जिंदल जी उस समय उनके साथ थी।

श्री सुखबीर कटारिया: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि एम.पी. तंवर साहब ने उनसे इस बारे में अनाउंस करवाया था।

प्रो**ं सम्पत सिंह:** अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी सिरसा या किसी और जगह की बात कर रहे होंगे।

श्री सुखबीर कटारिया: अध्यक्ष महोदय, मैं हिसार के एस्ट्रोटर्फ की बात कर रहा हूं। प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, हिसार के एस्ट्रोटर्फ के लिए जगह भी निश्चित हो गई थी और जगह ट्रांसफर भी हो चकी है।

Shri Randeep Singh Surjewala: Sir, we will get it examime.

#### तारांकित प्रश्न संख्या 961

(इस समय माननीय सदस्य श्री राजपाल मूखड़ी सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्रश्न पूछा नहीं गया।)

#### Mini Secretariat at Bahadurgarh

\*1009. Shri Rajender Singh Joon: Will the Revenue and Disaster Management Minister be pleased to state whether there is any proposal under

consideration of the Government to construct a Mini Secretariat at Bahadurgarh together with the cost of the project and the target date of its completion?

राजस्व मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप): जी हां, परियोजना की लागत लगभग 35.50 करोड़ रुपये हैं। भवन 2 वर्ष के अन्दर-अन्दर तैयार होने की सम्भावना है।

श्री राजेन्द्र सिंह जून: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि दो साल के अंदर साढ़े 35 करोड़ रुपये की लागत से मिनी सचिवालय बनाने जा रहे हैं इसके लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय और मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इसके लिए लैंड आइडैंटीफाई कर दी गई है या नहीं और यदि कर ली गई है तो कहां की गई है और कितने एकड़ लैंड आइडैंटीफाई की गई है और कीन से महीने में इस काम को शुरू करवा देंगे?

श्री महेन्द्र प्रताप: अध्यक्ष महोदय, जहां तक जमीन का ताल्लुक है तो में माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि हुडा के सैक्टर 13 में जमीन आइडेंटीफाई कर ली गई है और टोटल 8.4 एकड़ जमीन की एप्रूवल हो चुकी है। इस जमीन के लिए तकरीबन 25 परसेंट राशि हुडा को दे दी गई है और बकाया जो पैसा देना है, वह हम दे देंगे। बकाया पैसा जो देना है वह भी देंगे। उसके बाद आर्किटैक्चर झाईग, पी.डब्ल्यू.डी. विभाग एस्टीमेट तैयार करेगा और उसके बाद टैण्डर इन्वाईट किए जायेंगे। इस प्रोसैस में जो समय लगेगा वह तो लगेगा ही, तेकिन मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि तकरीबन दो साल में यह कार्य पूरा कर लिया जायेगा।

श्री प्रदीप चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं िक मेरे हल्के में रायपुररानी के उप तहसील का ऑफिस बी.डी.ओ. ऑफिस के दो कमरों में चल रहा है। 6-7 साल पहले पंचायत की 2.50 एकड़ भूमि रायपुररानी उप तहसील के नाम दर्ज हो चुकी है। जमीन का इंतकाल भी हो चुका है। जो आमदन हो सकती थी वह भी रुकी पड़ी है। मंत्री जी बतायेंगे कि रायपुररानी की उप तहसील की विल्डिंग कब तक बनाई जायेगी? मंत्री जी कृपा इसे सैप्रेट क्वैश्चन न कहें। इसका जवाब जरूर दें। (विष्त)

श्री महेन्द्र प्रताप: अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह सैप्रेट क्वैश्चन है लेकिन में पूरे सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि प्रदेश में कहां-कहां सब-तहसील की बिल्डिंग्ज बन चुकी हैं और कहां-कहां पर हम बनाने जा रहे हैं? (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इस समय तकरीबन 43 सब तहसील्ज की बिल्डिंग्ज पर कार्य चल रहा है। जिनमें से 23 की बिल्डिंग्ज का काम कंपलीट हो चुका है। बामैंण, कालांपुर, बालहेड़ा, नाथुसरी चीम्टा, कालांवाली इन 5 उप तहसील्ज का काम प्रोग्रेस पर है। जो टेकअप करने हैं उनमें साहा, सहजादपुर, बरवाला और रायपुररानी भी शामिल हैं। माननीय सदस्य ने जो रायपुररानी के बारे में पूछा है इस बारे में बताना चाहूंगा कि रायपुररानी की उप तहसील की बिल्डिंग का कार्य अगले चरण में आधश्यकता और बजट प्रोविजन के होने पर टेकअप किया जायेगा।

श्री गंगा राम: अध्यक्ष महोदय, पटौदी में लघु सचिवालय की बिल्डिंग का शिलान्यास हुआ बा। यहां तक कि वहां का एस.डी.एम. ऑफिस रैस्ट हाउस की बिल्डिंग में चल रहा है क्या पटौदी के लघु सचिवालय को सरकार बनाने का कार्य करेगी? श्री अध्यक्ष : गंगा राम जी, यह काम मंत्री जी के विमाग के तहत नहीं आता है।

# अति विशिष्ट व्यक्तियों का अभिनन्दन

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि मूलभूत तौर से जिनके पूर्वज मलेरकोटला से थे। मलेरकोटला के पूर्व नवाब जो अब लाहौर में जहां पहले चौधरी छोटू राम जी रहते थे, उनके मकान में अब उनका निवास स्थान है। श्री शहजाद अलीखान अपने साहबजादे श्री सिकन्दर अली खान के साथ आज इस सदन की वी.आई.पी. गैलरी में मौजूद हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। वे पाकिस्तान से आये हैं और हमारे मेहमान हैं।

Mr. Speaker: Hon'ble Members, on behalf of the Haryana Legislative Assembly and its leader and all its Members, we all welcome Shri Sikander Ali Khan and Sahazad Ali Khan who come from Lahore. They are associated with the history in the way that Ch. Chottu Ram Ji, leved in the same house which was allotted to him after independence. So, we again welcome them, thank you very much.

# तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भण)

#### Rain Harvesting System in Faridabad

\*1086. Shri Anand Kaushik: Will the Minister of State for Urban Local Bodies be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to implement Rain Harvesting System in Faridabad City for raising the level of the underground water; if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be implemented?

शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री (श्री गोपाल काण्डा): हां श्रीमान् जी। 100 रिचार्जिंग संरचनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा इन्हें प्रथम चरण में क्रियाशील बना दिया गया है। दूसरे चरण में, जून, 2012 के अन्त तक 150 रेन वाटर हारवैस्टिंग संरचनाओं के पूर्ण होने की सम्भावना है। शेष 200 रेन वाटर हारवैस्टिंग संरचनाएं केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार से जे.एन.एन.पू.आर.एम. स्कीम के तहत अनुदान प्राप्ति उपरांत आरम्भ की जाएंगी।

श्री आनंद केशिक: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जो मंत्री जी ने बताया है कि 100 रेन वाटर हारवैस्टिंग सिस्टम लगाये हैं ये मेरी कांस्टीचुएंसी में लगाये हैं। ये फरीदाबाद में तो लगे नहीं हैं ये या तो किसी और जगह पर लगा दिये गए हैं। मेरी सारी कांस्टीचुएंसी में डेढ़ से तीन फुट पानी खड़ा रहता है। हमने ऐसे कम से कम 150 प्वायंट एक्स.ई.एन. और एस.ई. को बिठाकर आईडेंटीफाई किये थे। उस समय हमारे साथ डिप्टी किमश्नर साहब भी थे। यहां तक कि एक बार तो किमश्नर साहब भी हमारे साथ थे। जो प्वायंट्स हमने आईडेंटीफाई किये थे उनमें से एक पर भी रेन वाटर हारवैस्टिंग सिस्टम नहीं

लगा है। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि ये बतायें कि वह रेन वाटर हारवैस्टिंग सिस्टम कहां लगा दिये हैं। ऐसा तो नहीं कि कहीं किसी और हल्के में लगा दिये गयें हों। मैं इनको बताना चाहता हूं कि मेरी कांस्टीचुएंसी में एक भी नहीं लगा है।

श्री गोपाल काण्डा: स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमने इनकी कांस्टीचुएंसी में 100 रेन वाटर हारवैस्टिंग सिस्टम लगाये हैं जो कि कार्य कर रहे हैं और जिनकी डिटेल मेरे पास उपलब्ध है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है काण्डा जी, आप ये डिटेल श्री कौशिक जी को सप्लाई कर दीजिए।

श्रीमती सुमिता सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि जो रेन वाटर हारवैस्टिंग की प्रॉब्लम है यह तो सभी शहरों में ही होगी या सिर्फ फरीदाबाद में ही क्योंकि भूमिगत जल स्तर सभी जगह नीचे जा रहा है इसलिए सभी जगह और विशेषकर शहरों में रेन वाटर हारवैस्टिंग सिस्टम लगाये जायें। क्या मंत्री जी इस बारे में स्थित स्पष्ट करेंगे कि विशेष तौर पर करनाल में और बाकी जगह भी ये सिस्टम कब तक लगाये जायेंगे?

श्री गोपाल काण्डा: अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं माननीय सदस्या जी को बताना चाहूंगा कि जहां-जहां यह समस्या है वहां-वहां पर हम इसको लगा रहे हैं अगर करनाल में ऐसी कोई समस्या है तो माननीय सदस्या उसके बारे में सैपरेट नोटिस दे दें तो हम उसको कंसीडर कर लेंगे।

श्रीमती सुमिता सिंह: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा है कि सभी जगह का ग्राउंड वाटर लैवल नीचे जा रहा है इसलिए रेन वाटर हारवैस्टिंग सिस्टम की स्थापना करना सभी जगह की जरूरत बन गई है।

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या जी की और पूरे सदन की जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगा कि हरियाणा अर्बन डिवैलपमेंट अथॉरिटी ने बाकायदा इस बारे में बने 1977 के एक्ट को अमैंड करके हर उस घर में जिसका एरिया 100 वर्ग गज़ से ज्यादा है, रेन वाटर हारवैस्टिंग सिस्टम लगाना कम्पलसरी भी कर दिया है। माननीय सदस्या ने यह सड़ी फरमाया है म्युनिसिपल कार्जसिल, अर्बन लोकल बॉडीज़ का पूरा विभाग और इसी प्रकार से अर्बन डिवैल्पमैंट डिपार्टमैंट, हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथॉरिटी और हार्जसिंग बोर्ड हरियाणा they are doing their best to ensure that rain water harvesting structures come up in a big way because that is the paramount need of the hour.

श्रीमती सुमिता सिंह: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने कहा यह किसी जगह विशेष की कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है यह तो ग्राऊंड वाटर को ऊपर उठाने की बात है।

श्री अध्यक्ष : सुमिता सिंह जी, आपके सप्तीमेंट्री का कम्पतीट जवाब आ गया है इसलिए अब आप कृपया बैठ जायें।

श्री आनंद कौशिक : स्पीकर सर, हमारे इलाके में लगभग 300 फुट पर ट्यूबवैल लगते हैं और जब ग्राऊंड वाटर लैवल उससे भी नीचे चला जाता है तो वे भी बंद हो जाते हैं ! इसलिए मैं कह रहा हूं कि ग्राऊंड वाटर लैवल को ऊपर उठाने के लिए रेन वाटर हारवैस्टिंग सिस्टम का होना बेहद जरूरी है।

श्री अध्यक्षः कौशिक जी, आपके सवाल का कम्पलीट जवाब भी आ गया है इसलिए अब आप भी कृपवा बैठ जायें।

डॉ० अशोक कश्यप: स्पीकर सर, आज प्रदेश में गिरता भूमिगत जल स्तर हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है अगर इस समस्या के निदान के लिए जल्दी ही कोई कठोर कदम नहीं उठाये गये तो आने वाले समय में हमें बहुत भारी प्रॉब्लम हो जायेगी! मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट करनाल में कुछ गांय ऐसे हैं जिनके जोहड़ों में पानी लबालब भरा हुआ है और ओवरफ्लो हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की कोई ऐसी नीति है जिसके तहत उन जोहड़ों के पानी को भी ग्राउंड वाटर लैवल को रिचार्ज़ करने के लिए यूज़ किया जायेगा। अगर सरकार द्वारा ऐसा किया जाता है तो इससे गांवों को जोहड़ों में ओवरफ्लो पानी से होने वाली समस्याओं से भी निजात मिल सकेगी!

Mr. Speaker: Mr. Minister, this is not only pertaining to Indri but everywhere in the State village ponds are overflowing. So do you have any plan about this?

श्री गोपाल कांडा: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो क्वैश्चन उठाया यह पूरी तरह से वाजिब है इसके बारे में हम गहराई और शीघ्रता से विचार करेंगे कि कैसे इस समस्या पर जल्दी से जल्दी काबू पाया जाये।

#### I.T.I. at Village Surewala

\*1132. Shri Naresh Selwal: Will the Industrial Training Minister be pleased to state whether an ITI at village Surewala (Uklana Constituency) was approved together with the time by which the building of the aforesaid ITI is likely to be constructed alongwith the time by which the classes are likely to be started therein?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail): No, Sir. However, the Government is considering a proposal to recommend an ITI at village Surewala to the Government of India under Public Private Partnership (PPP) mode after the possession of land measuring 5 acres offered by Gram Panchayat, Surewala is handed over to the Department of Industrial Training. \But no commitment at this stage can be made either about the completion of construction of building or of the commencement of classes.

श्री नरेश सेलवाल: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया जी को बताना चाहूंगा कि गांव सुरेवाला में आई.टी.आई. मंजूर हुई थी इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया जी से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने इस सवाल का जवाब "ना" में क्यों दिया है?

श्रीमती गीता मुक्कल मातनहेल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहंगी कि गांव सरेवाला में आई.टी.आई. खोला जाना सरकार की प्रपोज़ल में नहीं है लेकिन क्योंकि इस ईयर को हमारी सरकार युथ ईयर के रूप में मना रही है और उसकी डिवैल्पमैंट पर भी पूरा ज़ोर दिया हुआ है । जहां तक गांव सूरेवाला में आई.टी.आई. खोले जाने का सवाल है इस बारे में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहंगी कि हिसार जिले में आज के दिन 11 आई.टी.आईज. चल रही हैं जो इस प्रकार से हैं आदमपुर, बरवाला, हांसी, हांसी-2, हिसार-बालसमंद, हिसार-शाहपुर, नारनींद और उकलाना के नज़दीक नरवाना भी पड़ता है जिसमें इस गांव से काफी बच्चे जाते हैं। इसके अलावा भी 6 आई.टी.आईज़ हिसार में और भी हैं जो कि प्राईवेट सेक्टर में चल रही हैं। इसके अलावा एक लितानी गांव है जो कि उकलाना कांस्टीच्युएंसी का पार्ट है वहां पर भी प्राईवेट सेक्टर की आई.टी.आई. चल रही है। भाननीय सदस्य ने पिछली बार भी सदन में यह प्रश्न उठाया था इसलिए मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहूंगी कि हमारे जो अनसर्वड ब्लॉक्स हैं उनमें से उकलाना कांस्टीच्यूएंसी का यह ब्लॉक भी है। इस गांव में अगर हमें पी.पी.पी. मोड में निर्धारित पांच एकड़ ज़मीन गांव सुरेवाला की पंचायत उपलब्ध करवा दे तो हम गांव सुरेवाला में प्राईवेट पब्लिक पार्टनरशिप में आई.टी.आई. खुलवा देंगे। यह पांच एकड़ ज़मीन दिलवाने का मामला पिछले काफी समय से लिखत है इसलिए माननीय सदस्य स्वयं अपने लैवल पर डिप्टी कमिश्नर साहब से पर्सनली इस केस को परस्य करवाकर हमारे पास भिजवा दें तो हम गांव सुरेवाला में जल्दी से जल्दी पब्लिक पाईवेट पार्टनरिशप नीति के आई.टी.आई. खुलवा देंगे।

सरदार जरनैल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 10 दिसम्बर, 2011 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने रतिया विधान सभा के गांथ भिरडाना में आई.टी.आई. खोलने की घोषणा की थी, इस पर कब तक काम शुरू हो जायेगा?

श्रीमती गीता मुक्कल मातनहेल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अनुसार वहां पर आई.टी.आई. खोलने का प्रोपोजल है। जितनी जल्दी ये हमें पंचायत से जमीन दिलवा देंगे उतनी जल्दी हम आई.टी.आई. खोल देंगे। इसके अलावा मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि बजट सत्र के दौरान जो 4 नये कॉलेज खोलने का प्रावधान रखा है उसमें से एक कॉलेज रितया में खोलने का हमने प्रावधान रखा है।

श्री जगबीर सिंह मिलक: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सोनीपत और गोहाना के बीच में एक बहुत बड़ा गांव मोहाना है। उसके आस पास टैक्नीकल ऐजूकेशन का कोई संस्थान नहीं है। क्या मंत्री जी वहां पर पी.पी.पी. मोड में या कोई सरकारी आई.टी.आई. खोलने के लिए उसको कंसीडर करेंगी?

Mr. Speaker: It is a demand. No need to reply. Please note it down.

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार इस समय कितनी आई.टी.आई. चला रही है, कितनी पी.पी.पी. मोड में चल रही हैं और उनमें स्टूडैंट्स की इनटेक कैपेस्टी क्या है?

Mr. Speaker: Was it answered earlier?

श्रीमती गीता मुक्कल मातनहेल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि इस समय लगभग 123 आई.टी.आई. चल रही हैं। उसमें से 30 आई.टी.आई. महिलाओं के लिए और 90 आई.टी.आई. प्राईवेट हैं। भारत सरकार ने जो पी.पी.पी. मोड के लिए गाईडलाईन जारी की हैं उसके हिसाब से हरियाणा में 29 अनसर्वड ब्लॉक को हमने आईडैंटीफाई किया है। 13 ब्लॉक में हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला है और हमने 13 मामले भारत सरकार के पास पी.पी.पी. मोड के लिए भेजे हुये हैं।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामिकशन गुज्जर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी शाहजादपुर ब्लॉक के भारांपुर गांव में गए थे तथा उन्होंने आई.टी.आई. खोलने की अनाउंसमैंट भी की थी और वे आई.टी.आई. का शिलान्यास भी कर चुके हैं। मैं इस बारे में कई बार मंत्री जी से बात भी कर चुका हूं। क्या मंत्री जी बतायेंगी कि वह काम कब तक शुरू हो जायेगा?

श्री अध्यक्ष: आप तो मुख्य संसदीय सचिव है, आपको यहां प्रश्न पूछने की क्या जरूरत है ? आप तो मंत्री जी से वैसे ही बात कर सकते हैं ।

श्री अनित धंतीड़ी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक आई.टी.आई. किराये की बिल्डिंग में चल रही है, क्या मंत्री जी बतायेंगी कि उसकी नई बिल्डिंग बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है अगर है तो कब तक हो जाएगा?

श्रीमती गीता मुक्कल मातनहेल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि जितनी भी आई.टी.आई. किराये की बिल्डिंग्स में या स्कूलों में चल रही हैं, सरकार ने बजट के हिसाब से पूरा प्रावधान किया है और जल्दी ही उनको नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया जायेगा।

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार भी आपसे रिक्वैस्ट की थी और माननीय मंत्री जी से भी रिक्वैस्ट की थी कि बीर-बांगड़ गांव में पंचायत ने सरकार को आई.टी.आई. खोलने के लिए पांच वर्ष पहले जमीन दी थी। मंत्री जी ने बताया है कि वहां पर पी.पी.पी. मोड में आई.टी.आई. चलायेंगे। मेरा कहना यह है कि जमीन तो पंचायतें दें और वहां पर प्राईवेट पार्टनरिशप में कोई कम्पनी अपना बिजनेस चलाये तो यह उन लोगों के साथ अन्याय है। अध्यक्ष महोदय, जमीन तो पंचायतें सरकार को देती हैं और उसके बाद कह दिया कि पी.पी.पी. मोड में चलायेंगे, यह उन लोगों के साथ क्या घोखा नहीं है? (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: It is a speech, not supplementary.

श्रीमती गीता मुक्कल मातनहेल: अध्यक्ष महोदय, रामपाल माजरा जी को पहले तो धन्यवाद करना चाहिए कि कलायत में आई.टी.आई. बारे माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा थी तथा उसके अनुसार हम कैथल में उसके कोर्सिज चला रहे हैं।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, गांव वालों को जमीन दिये 5 साल हो चुके हैं

लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है। उस पर आज तक एक ईंट भी नहीं लगी है।

श्रीमती गीता मुक्कल मातनहेल: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य गलत स्टेटमैंट दे रहे हैं कि 5 साल हो गये हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जब कलायत की रैली में गए थे। (विद्न) स्पीकर सर, मुझे ख़ुशी है कि आज पहली बार श्री रामपाल माजरा जी ने अपने कलायत हल्के के बारे में क्वैश्चन पूछा है। मैं तो यह सोचती रहती थी कि ये कलायत के बारे में कब पूछेंगे?

श्री रणदीप सिंह सुरजैवाला : स्पीकर सर, आज रामपाल माजरा जी ने पहली बार ही प्रश्न किया है । इन्होंने पूरे जिले के बारे में कुछ नहीं पूछा । (विघन)

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर सर, श्री महेन्द्र प्रताप जी ने कपिला मुनि महाविद्यालय के बारे में पूछा था तो मंत्री जी ने कहा था कि मैं उसको टेक ओवर करूगी लेकिन जब मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने जवाब दे दिया कि नहीं, हम महिला कन्या महाविद्यालय को टेक ओवर नहीं कर सकते।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, हम अपने हिसाब से देखेंगे ।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार भी सवाल किया था । (विघन)

Mr. Speaker: Seven supplementaries have been asked. I would not allow any supplementary after this. No further supplementary please.

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर सर, मुझे कह लेने वीजिए क्योंकि इन्होंने मेरा नाम लिया है। असैम्बली में सब स्टेशन के बारे में पहला प्रश्न रखकर के क्या मैंने अपने क्षेत्र की आवाज नहीं उठाई थी और बिजली मंत्री श्री महेन्द्र प्रताप जी ने उसका जवाब दिया था। अध्यक्ष महोदय, \*\*\*\*\*\*\*

Mr. Speaker: No need to answer. It is a speech, not to be recorded.

#### Water Supply Augmentation Scheme of Assandh

\*914. Shri Zile Ram Sharma: Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether it is a fact that WSAS for Assandh town has already been sanctioned, budget for the same has also been allocated and tenders have also been invited for the aforesaid work; if so, the time by which the aforesaid work of Augmentation Scheme is likely to be completed?

Public Health Engineering Minister (Smt. Kiran Chaudhary): Yes, Sir. The works are likely to be completed by March, 2013.

Mr. Speaker: Shri Zile Ram Ji, are you satisfied with the reply.

Shri Zile Ram Sharma: Yes, Sir.

<sup>\*</sup>सेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।

श्री भारत भूषण बना: स्पीकर सर, प्रायः देखा गया है कि पूरे प्रदेश में सेनिटेशन सिस्टम जितना अच्छा होना चाहिए, उतना अच्छा नहीं है। बड़े शहरों में कांट्रेक्ट बेसिज पर किसी नाले वगैरह की सफाई होती है या सीवरेज की सफाई होती है तो उसमें से जो वेस्ट बाहर निकलता है उसको पिक्तिक हैल्थ डिपार्टमैंट क्यों नहीं उठाता। पिक्तिक हैल्थ डिपार्टमैंट कहता है कि इस वेस्ट को म्युनिसिपल कमेटी वाले उठाएंगे और म्युनिसिपल कमेटी वाले भी उस वेस्ट को नहीं उठाते। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सीवरेज वगैरह की सफाई में निकलने वाले वेस्ट को पिक्तिक हैल्थ डिपार्टमैंट क्यों नहीं उठाता?

Mr. Speaker: Hon\ble Minister, Lifting of debris is not under your department.

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को शायद यह मालूम नहीं है कि इस कार्य को करने की रिस्पौंसिब्लिटी पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट की नहीं है।

#### Release of Water in the Minors

\*1067. Col. Raghbir Singh: Will the Irrigation Minister be pleased to state the dates on which water has been released in the Dadhi Chillar Minor, Makrana Minor, Dudhwa Minor and Gopalwas Minor of Badhara Constituency during the period from March, 2010 to February, 2012 and whether the water reaches upto the tails; if not, the reasons thereof?

Irrigation Minister (Sardar Harmohinder Singh Chatha): As regards Gopalwas Minor, water has flown in the Minor in August 2010, September 2010, December 2010, January 2011, February 2011, March 2011, April 2011, July 2011, August 2011 and September 2011. It has started reaching the tail from January, 2011 after the energization of Gopalwas Pump Houses No. I & II.

'Dadhi Chillar Minor' and 'Makrana Minor' do not exist but Dadhi Chillar Sub-Minor and Makrana Sub-Minor do exist and these could not have water as Makrana Sub-Minor is damaged.

As regards Dudhwa Minor, it could not be run due to (i) damages in Budhwana Distributory; and (ii) one of the lift pumps becoming in-operational in upstream portion at the time of release of water.

कर्नल रघबीर सिंह: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इन्होंने स्टेटमैंट को मोल्ड करके यहां लिखा हुआ है कि डाडी छिलर माइनर तथा मकडाना माइनर मौजूद नहीं है, फिर लिखते हैं परन्तु डाडी छिलर सब माइनर और मकडाना सब माइनर मौजूद हैं। मकडाना सब माइनर के टूटने की वजह से इनमें पानी नहीं आया। जब से ये माइनर और सब माइनर बनाए गए हैं तब से आज तक इनमें पानी नहीं आया। स्पीकर सर, में मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास डाडी छिलर माइनर और मकडाना माइनर के अन्दर पानी लाने की कोई योजना है।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, यह बात दुरुस्त है कि वहां पानी कम गया है लेकिन यह कहना कि पानी नहीं गया है यह ठीक नहीं है । Please listen to me. You can put another Question. (Interruption)

Mr. Speaker : Hon'ble Minister can I know whether this minor is broken ? क्या ये माइनर आजकल यूटी हुई है और यदि दूटी हुई है तो इसको ठीक करा दो ।

सरदार हर्मोहिन्द सिंह चट्ठा: अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि यह दोनों माइनर्ज बहुत ऊंची जगह पर हैं और रेत इघर से उधर गिरती रहती है इसलिए उनकी रेगुलरली सफाई करनी पड़ती है। यदि किसी माइनर में पानी चल रहा हो और ऊपर से रेत का टिब्बा गिर जाए तो उसमें पानी नहीं जाता this is the main reason कि उनमें टेल एण्ड तक पानी नहीं जा पाता फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दीवारें कुछ ऊंची कर दें ताकि टिब्बों से वे बच जाएं और उनमें पानी आगे पहुंच जाए।

कर्नल रषदीर सिंह: स्पीकर सर, मेरे गांव के नाम पर डाडी छिलर माइनर है इसके अलावा साथ वाले गांव में मकडाना माइनर है आज तक उन दोनों माइनर्ज में एक खूंद भी पानी नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जिस प्रकार की स्थिति बता रहे हैं अगर ऐसी बात थी तो मंत्री जी यह बताएं कि उन माइनर्ज को बनाने की जरुरत क्या थी? जिन अधिकारियों ने उन माइनर्ज को बनवाना था उनकी इस बारे में रिस्पौंसिब्लिटी फिक्स की जाए। इतने सालों में उसके अंदर एक बूंद पानी भी नहीं आया।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से कर्नल साहब को बताना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार बनी तो हमने यह चैक कराया कि कितनी टेल्स पर पानी पहुंचता है तो पाया कि उस समय 74 टेल्स पर पानी नहीं पहुंचता था। उस समय यह हमारे सामने बैठने वाले चुप थे, कोई बोलता तक नहीं था। आज हमारे समय में केवल 17 टेल्स ही ऐसी रह गई हैं जिनमें पानी पहुंचाना शेष है। स्पीकर सर, मैं आपको वचन देता हूं कि हम इन 17 टेल्स में भी पानी जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करेंगे तथा जिन टेल्स पर पानी पहुंचाना बिल्कुल इंपोसिबल है उनकी भी रीमोडलिंग करेंगे।

श्री रघुबीर सिंह तेवितया: अध्यक्ष महीदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे यहां पृथला क्षेत्र में जो बल्लभगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी, छांयसा डिस्ट्रीब्यूटरी और जो छांयसा डिस्ट्रीब्यूटरी हैं वह विगत 12 सालों से कच्ची थी उनको अब पक्का किया गया है लेकिन उनका जो टेल तक टेबल बनाया गया है वह बिल्कुल गलत बनाया गया है जिसकी वजह से आज 11 गांवों को पानी नहीं मिल पा रहा है। पिछली बार भी जब मैंने सदन में यह प्रश्न उठाया था तो जवाब में यह कहा गया था कि लैवल को ठीक कर दिया जायेगा लेकिन आज तक उस पर काम चालू नहीं हुआ है जिसके कारण आज भी बल्लभगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी और छांयसा डिस्ट्रीब्यूटरी में दोनों जगह पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंच रही है?

Mr. Speaker: I think Hon'ble Member is repeating what he has said earlier.

श्री जगदीश नायर: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या कारण है कि सरकार को सात साल सत्ता में रहते हो चुके हैं लेकिन अभी भी गोछी ड्रेन, होडल रजबाहा, राशनपुरा माईनरों में टेल तक पानी नहीं पहुंचा है जबकि पहले इन माईनरों में पानी चला करता था।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: अब्यक्ष महोदय, मेरे दोस्त केवल अनुमान लगाते हैं इनको तो माईनर का नाम तक पता नहीं है?

श्री आफताब अहमद: स्पीकर सर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे यहां गुड़गांव कैनाल है जो इरिगेशन की लाइफ लाईन है उसमें पिछले वर्षों की बिनस्वत इस साल हमें बिल्कुल पानी नहीं मिल रहा है। यू०पी० वालों ने जिनका इस कैनाल पर नियंत्रण है चुनाव की वजह से दो महीने तक हमारे हिस्से का पानी रोके रखा। क्या सरकार कोई ऐसे कदम उठायेगी जिससे उस कैनाल के मार्फत हमारे जिलों के किसानों को पानी मिल सके।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात ज्यादा दुरुस्त तो नहीं है पर ये कुछ-कुछ नजदीक पहुंचे हैं। इन्होंने मुझे कहा था कि आपको गुड़गांव कैनाल में कम से कम एक दिन तो पानी पहुंचाना चाहिए। मैंने दूसरों का हक काटकर दो दिन गुड़गांव कैनाल में पानी पहुंचा दिया जबिक इन्होंने बात सिर्फ एक दिन की कही थी। अब इस तरह से जब ये सदन में सवाल कर रहे हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

#### Construction of Bridge

\*969. Shri Devender Kumar Bansal: Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Bridge over Toka Nadi from village Alipur to Toka Chowk?

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Yes, Sir.

श्री देवेन्द्र कुमार बंसल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि टोका नदी पर गांव जलीपुर से टोका चौक तक पुल का निर्माण कब शुरू हो जायेगा और कितनी लागत से होगा। मेरी दूसरी सन्तीमैंटरी यह है कि पिछली बार सदन में खेतपुराली गांव के पास टांगरी के ब्रिज की परिमशन दी गई थी और यह बताया गया था कि यह पुल पांच करोड़ रुपये की लागत से बनेगा तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह पुल कब शुरू होगा?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस पुल का प्रश्न है ये टोका नदी पर है जो अलीपुर से टोका चौक जा रहा है उसकी क्रासिंग के ऊपर यह पुल है। हमने 17 दिसम्बर, 2010 को चार करोड़ रुपये की लागत से इस ब्रिज का निर्माण कार्य मंजूर कर दिया था। यह ब्रिज हमने फिजिब्लिटी स्ट्डी के लिए आई.आई.टी. रुड़की को दिया क्योंकि जो ज्यादातर सड़क है उसका लैवल रिचर बैंक के बिल्कुल ऊपर है। It is very scoot kind of bridge that would be constructed. So we went to IIT Roorkee, Professor Koshyari who is one of the leading lights on designing of bridges in the country. We particularly requested him to come because we wanted to ensure safety simultaneously which is of paramount importance वे खूद यहां पर आए थे और

उन्होंने यह ऐडवाइस किया कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ब्रिज बनाना संभव नहीं होगा and he has advised us to go a little towards on the right side and we are acquiring some additional land of 2.14 acres and we have got the design approved from him. The cost has now gone up from 4 crores to 8.5 crores on account of the design additional land acquisition and change of place. So, we have now got that and we are now proceeding to get the necessary approval and then we will issue the tenders. The second supplementary that my learned friend asked was regarding the Khet Purrali bridge the tenders have already been invited.

श्री धर्म सिंह छोक्कर: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं जैसा कि मैंने पिछले सदन में भी रिक्वैस्ट की थी मेरे हल्के समालखा में अंडर पास ब्रिज बनाने के बारे में कहा था। (विध्न)

श्री अध्यक्ष: यह एन.एच.ए.आई. के तहत आता है।

श्री धर्म सिंह छोक्कर : सर, मंत्री जी इस बारे में रिक्वैस्ट मेज सकते हैं।

श्री सम्बद्धाः ठीक है, मेज देंगे !

श्री ओम प्रकाश जैन: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पानीपत में ड्रेन नं० 1 के लिए दो साल पहले 33 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई थी लेकिन उस पर आज तक काम शुरू नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : यह सप्लीमैंट्री इस क्वैश्चन से रिलेट नहीं करती है ।

सरदार जरनैल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने रितया में बीरावद्दी में घग्गर ड्रेन पर पुल बनाने की घोषणा की है, इस पुल पर निर्माण कार्य कब तक शुरू किया जाएगा?

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, the announcement made by the Hon'ble Chief Minister is sacrosanct for us. We have already received the necessary notice from the Chief Minister Secretariat. We have initiated the process of designing preparation of a DPR and consequently we will be issuing a tender after the receipt of necessary DPR in clearance of design.

#### Repair of Roads

\*1003. Shri Narender Sangwan: Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether the time by which the following roads are likely to be repaired in Gharounda Assembly constituency:—

- (a) from Meerut road Yamuna pull police check post, village Lalupura to Chorakhalsa upto village Arainpura and Gyanpura Collges;
- from NH-1 Gharounda (Karnal) near Sai Mandir to vill. Panody-Malikpur Gadiyan;

#### [Shri Narender Sangwan]

- (c) from Railway Phatak Gharounda to village Gagsina via Phurlak;
- (d) from NH-1 via Madanpur to village Bajidajatan;
- (e) from village Pundri to Faridpur;
- (f) from village Bastara to Gharounda;
- (g) NH-1 to Kutel via Ganjogari Rawar;
- (h) Chorakhalsa to Badsat;
- (i) NH-1 to Bastara and Chora Khalsa via Kalram; and
- (j) Sector-6 Karnal to Rajivpuram Chhapra Khera, Subri, Dabrki Kalan?

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, Road-wise reply is as under :---

Sr. No.	Name of road	Stretch	Ownership	Length (in km.)	Condition of road	Status of proposal
(a)	From Mecrut road Yamuna pull police check post, village Lalu-	Mecrut road Yamuna pull police check post to village Lalupura.	HSAMB	2.80		Work recently alloted. It is expected to complete the work by 30,09,2012.
	pura to Chorakhalsa upto village Arainpura and Ghanpura College.	Chorakhalsa upto village Arainpura to Ghanpura College	PWD (B&R)	4,12	Satisfactory	It is being maintained by normal patch work.
(b)	From NH-1 Gharaunda (Karnal) near Sai Mandir to village Panody-	Chora Gharaunda to NGM Gharaunda upto Sai Mandir.	HSAMB	1.28	Satisfactory	Tenders to be received on 28.03.2012. It is expected to complete the work by 30.09.2012
	Malikpur Gadiyan.	Mandi. Gharaunda Ariapura road to Gharaunda Panori road leading to NGM Gharaunda	PWD (B&Ŕ)	1,26	Satisfactory	It is being maintained by normal patch work.
		Panori to Gharaunda	HSAMB	430	Satisfactory	by normal patch work
		Malikpur Gardian to Panori	HSAMB	2.31	Not good	Tenders to be receive on 15.03,2012. It is expected to complete the work by 30,09,201
(¢	Road from Railway Phatai Gharaunda to village Gagsina via Phurlak.	Road from k Railway Phata Gharaunda to village Gagsina via Phurlak.	PWD (B&R	8.50	Satisfactory	t is being maintained by normal patch work

Sr. No.	Name of road	Stretch		,ength in km.)	Condition of road	Status of proposal
(d)	NH-1 via Madanpur to village Bajidajatan	NH to Madanpur	PWD(B&R)	0.68		The work will be considered during the year 2012-13. No time frame can be indicated at this stage.
		Madanpur to village Bajidajatan	M.C. Karnal	0.40	Satisfactory	However, the work will be considered during the year 2012-13. No time frame can be indi- cated at this stage.
(c)	Village Pundri to Faridpur	Village Pundri to Faridpur	PWD(B&R)	2.15	Not good	Proposal is under consideration. No time frame can be indicated at this stage.
(f)	Village Bastara to Gharaunda	Village Bastara to Gharaunda	HSAMB	2.46	Not good	Tenders to be received on 28.03,2012. It is expected to complete the work by 31.10, 2012.
(g)	NH-1 to Kutail via Ganjogari	NH-1 to Kutaii	PWD(B&R)	3.31	Satisfactory	It is being maintained by normal patch work.
	Rawar	Kutail to Ganjogari	PWD (B&R)	4.20	Satisfactory	Stretch is being repaired with normal patch work which is likely to be completed by 30.04.2012.
		Ganjogari to Rawar	PWD (B&R)	4,20	Good	
(h)	) Chorakhalsa Barsat road	Chorakhalsa Barsat road	PWD (B&R)	7.70	Satisfactory	Stretch is being repaired with normal patch work which is likely to be completed by 30,04,2012.
(i)	NH-1 to Bastar and Chora Khalsa via Kalram	a NH-1 to Bastara	P&B) GW9	1.25	Not good	Tenders received on 28.02.2012 and under process. It is expected to complete the work by 30.09.2012.
		Chora Kalsa to Kalram	PWD (B&R	) 4.63	Satisfactor	y It is being maintained by normal patch work.
		Bastara to Kairam	PWD (B&R	) 2.56	Satisfactor	y Work recently allotted. It is expected to comp- lete the work by 30.09,2012.
Ċ	Sector-6 Karnal to Rajivpuram Chhapra Khera, Subri, Babtki Kalan	Sector-6 Karnal to Rajivpuram Chhapra Khera, Subri Babrki Kalan		7.98	Not good	Tenders to be received on 14.03.2012. It is ex- pected to complete the work by 31.12.2012.

[Shri Randeep Singh Surjewala]

अध्यक्ष महोदय, मेरे काबिल दोस्त ने नगर पालिका हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड और पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड आर.) की 19 रोड़ज के बारे में मिलाकर इकट्ठा प्रश्न पूछा है। Sir, the reply is in detail.

Mr. Speaker: Only reply to the question.

Shri Randeep Singh Surjewala: Yes, Sir. It is a mixed question. We have to give comprehensive reply in this regard. Sir, road-wise reply is as under. (Interruption)

श्री अध्यक्ष: सांगवान साहब, आपको पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड आर.) की सड़कों के बारे में ही प्रश्न पूछना चाहिए था।

Shri Randeep Singh Surjewala: Sir, I will read the reply so that if he is not satisfied then we will give also additional information. (Interruption)

Mr. Speaker: Airight, he is replying.

Shri Randeep Singh Surjewala: Sir, (a) road is from Meerut road Yamuna pull police check post, village Lalupura to Chorakhalsa upto village Arainpura and Gyanpura College. (Interruption) सर, अरोड़ा जी तो स्पीकर भी रहे हैं। The reply has to come and the tradition has always been that the Minister would read the reply and can also give addition information.

Mr. Speaker: Alright you may read the reply.

Shri Randeep Singh Surjewala: Sir, there are two stretches. One is Meerut road Yamuna pull police check post to village Lalupura. This is a Marketing Board road. Its length is 2.80 kilometres. I agree that this road is presently not in a good condition. We have consequently allotted the work and we have tendered the work. It is expected that this road will be completed by 30.9.2012. The second stretch of (a) is from Chorakhalsa upto village Arainpura to Gyanpura College. This is P.W.D. (B&R) road. The length of this road is 4.12 kilometres. According to us, the condition of this road is satisfactory. It is being maintained by normal patch work. The (b) part of the question relates to the road from National Highway-I Gharounda (Karnal) near Sai Mandir to village Panody-Malikpur Gadiyan. This has four portions. Actually these are four roads. The first road is from Chora Gharaunda to NGM Gharaunda upto Sai Mandir. This is a Marketing Board road. The length of this road is 1.28 kilometres. According to us, the condition of this road is satisfactory. Still patch work we have initiated. Tenders are likely to be received by 28th March, 2012 and we will complete the work by 30th September, 2012. The second stretch is from Gharaunda Ariapura road to Gharaunda Panori road leading to NGM Gharaunda. This stretch is P.W.D. (B&R). The length of this road is 1.26 kilometres. According to us, the condition of this road is satisfactory. It is being maintained by the normal patch work. The third stretch of this road is from Panori to Gharaunda. This is a marketing board road. The length of this road is 4.30 kilometres. According to us, the condition of this road is satisfactory. It is being maintained by normal patch work. The fourth road as in part (b) question is from Malikpur to Gadian to Panori. This is also a marketing board road. The length of this road is 2.31 kilometres. The current condition of this road is not good. We have invited the tenders for the same at a cost of rupces 16 lakhs. (Interruption) I am telling you the money that we have allocated for the construction of this road. The work of this road will be completed by 30.9.2012. (Interruption) It shows non-seriousness of the member. (Noise & Interruption)

श्री अध्यक्ष: देखिए, अगर आप एक प्रश्न में 38 सड़कों का सवाल पूछते हैं तो मंत्री जी का जवाब तो लम्बा आयेगा ही, इसलिए आप उस जवाब को सुनने की कृपा करें। (Interruption)

Shri Randeep Singh Surjewala: I have not placed a Statement on the Table of the House.

Mr. Speaker: It shows non-seriousness. अगर आप सवाल पूछते हैं तो जवाब तो आयेगा ही उसके बाद आप सप्तीमेंट्री पूछ लेना । अगर आप एक सवाल में ही 38 सड़कों का सवाल थोक में डाल दोगे तो that shows non-seriousness. Minister has a right to reply.

Shri Randeep Singh Surjewala: I have not placed a Statement on the Table of the House, Sir. I am giving a reply (Interruption) Sir, as far as part (c) of this question is concerned, it is a road from Railway Phatak Gharaunda to village Gagsina via Purlak. It is a P.W.D. (B&R) road. The length of this road is 8.50 kilometres. According to us, the condition of this road is satisfactory. It is being maintained by normal patch work. As far as part (d) of this question is concerned, it is a road from National Highway-I via Madanpur to village Bajidajatan and it is actually two different roads. One road is from National Highway-I to Madanpur. The length of this road is 0.68 kilometre. It is a P.W.D. (B&R) road. The condition of this road is not good. We have allocated Rs. 50 lacs for construction of this road. The tenders are being invited for the same. The second road is from Madanpur to village Bajidajatan. This is a Municipal Council road. It actually falls in the area of the Municipal Council, Karnal. In the constituency of Smt. Sumita Singh, M.L.A. is most likely. The length of this road is 0.40 kilometre. According to us, the present condition of this road is satisfactory. However, the work will be considered during the year 2012-13. (Interruption) Sir, why he should ask for 19 roads. He should ask for one road only. (Interruption)

Mr. Speaker : Silence please. अभय जी, आप अपने एम.एल.ए. को सिखाओं कि उसने 38 सड़कों के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसका जवाब भी सुनें।

Shri Randeep Singh Surjewala: Sir, 'e' portion of this question relates to one from Pundri to village Faridpur. This is a PWD (B&R) road. (Noise & Interruption) Length of this road is 2.015 Kms. The current condition of this road is not good. I want to tell the Member that the Government has allocated Rs. 116 lacs rupees for reconstruction of this road. Estimates have been approved and tenders will be invited in due time. Sir, the next road that he is asking for is a

[Shri Randeep Singh Surjewala]

HSAMB road. It is from village Bastara to Gharaunda. The length is 2.46 Kms. The current condition of this road is not good. Government has decided to approve this road also and tenders have been invited for 28.3.2012 and the work is likely to be completed by 31.10.2012.

Sir, in 'g', which is from NH-1 to Kutail via Ganjo Ganogari Rawar. This includes three roads. First is from NH-1 to Kutail. This is PWD (B&R) road. Length of this road is 3.31 Kms. Current condition of the road is satisfactory. This is also a PWD (B&R) road. The length of this road is 4.20 Kms. Current condition of the road is satisfactory. It is again being repaired and whatever there are potholes or others that are being by 30.4.2012. The third road is from Ganjogari to Rawar. This is a PWD (B&R) road. The length of this road is 4.20 Kms. The current condition of the road is good.

Sir, the portion of question 'h' relates to one road i.e. Chorakhalsa to Barsar road. The length of this road is 7.70 Kms. Current condition of the road is satisfactory. (Noise & Interruption) We have still decided to undertake normal patch work and is likely to be completed by 30.4.2012.

Sir, the portion of question 'i' relates to NH-1 to Bastara and Chorakhalsa via Kalram. Sir, actually these are three separate roads not the one road. One is from NH-1 to Bastara. This is PWD (B&R) road. The length is 1.25 Kms. The current condition is not good. So, the Government has decided to allocate Rs. 70 lacs for this road. The tenders have already been received on 28.2.2012 and are under process. The road will be completed by 30.9.2012. Sir, Rs. 70 lacs have been allocated for the purpose. Sir, the next road in 'i' portion is Chora Khalsa to Kalram. This is also the PWD (B&R) road. The length of the road is 4.63 Kms. The current condition is satisfactory and it is being maintained by normal patch work. Bastara to Kalram road is HSAMB road. The length is 2.56 Kms. The current condition of the road is satisfactory. However, the request of Hon'ble Member have been accepted by the Government and we are going to reconstruct the road. Work has also been allocated and we will complete it by 30.9.2012.

Sir, next road that he is asking for in 'j' is Sector-6 Karnal to Rajivpuram Chhapra Khera, Subri, Babri Kalan etc. This road is PWD (B&R) road. The length is 7.98 Kms. I agree with the Member that the current condition is not good. So, we have allocated Rs. 126 lacs for this road also. Tenders are being received and the work of this road will also be completed by 31.12.2012. (Interruption)

Mr. Speaker: I think most of you need it. Most of all you need it. (Interruption) He also needs but most of all you need it. (Interruption)

श्रीमती सरोज मोर: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि सैक्टर-17ए, फरीदाबाद में मेरा मकान है। वहां चारों तरफ आर.सी.सी. की सड़कें बना दी हैं लेकिन मेरे घर की आगे की रोड़ नहीं बनी है। मंत्री जी बतायेंगे कि मैंने ऐसा कीन सा गुनाह किया है जिसके कारण मेरे घर के आगे की सड़क नहीं बनाई गई। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, this is related to Urban Local Bodies as Municipal Corporation falls under the Local Bodies Department, however, request is noted. I bow and I say on behalf of the Government and Urban Local Bodies Minister who is not present in the House and that will sure that we will construct Hon'ble Member's road.

श्रीमती सुमिता सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का धन्यवाद करती हूं कि इन्होंने करनाल और घरोंडा की बहुत सी सड़कें एपून की हैं। मेरे साथ लगते हल्के के विधायक भाई सांगवान ने तो धन्यवाद नहीं किया मैं इनकी तरफ से भी और अपनी तरफ से मंत्री जी का धन्यवाद करती हूं कि मंत्री जी ने इनके सवाल का बहुत अच्छा जवाब दिया है।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपोजीशन के साथियों को एक बात कहता हूं कि विपक्ष के साथी अपने मैंबर को कहें कि उसने किस तरह का सवाल किया है। मैं सुरजेवाला जी को क्रेडिट देता हूं कि उन्होंने गलत सवाल होते हुए भी सभी विभागों से पूरी डिटेल एकत्रित करके सदन के सामने जवाब रखा। इससे ज्यादा सुरजेवाला साहब और क्या कर सकते हैं?

#### Repairs of Roads

\*977. Shri Prithi Singh Namberdar: Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state the time by which the damaged roads in Narwana constituency are likely to be repaired?

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, condition of roads is satisfactory. These roads are being maintained with normal patch work. अध्यक्ष महोदय, नरवाना विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की जो मौजूदा स्थित है जहां से मेरे किबिल दोस्त विधायक हैं। मैं भी वहां से दो बार विधायक रहा हूं और आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी इस समय सदन में नहीं हैं, वे भी वहां से विधायक रहे हैं! वहां इस समय सड़कों की स्थिति संतोषजनक है। फिर भी महकमें ने मुख्यमंत्री जी से अनुमित लेकर 19 करोड़ 71 लाख 33 हजार रुपये के ओन गोईंग वर्क्स एपूच करवाये हैं और 1136 लाख रुपये के काम इस समय वेरियस स्टेजिज पर एपूचल के लिए हैं। अध्यक्ष महोदय, जो नरवाना से टोहाना की सड़क का 0 कि.मी. से 15.84 कि.मी. तक वाईडिनंग, स्ट्रैंग्थनिंग और रि-कंस्ट्रक्शन का काम 1381.60 लाख रुपये की लागत से करेंगे। यह कार्य 31 मार्च, 2013 तक पूरा हो जायेगा। टैण्डर ईशू कर दिया है और एजैंसी को काम एलोकेट करने की प्रक्रिया जारी है। इसी प्रकार से इनके कालवन गांच के सरपंच और दूसरे लोग मुख्यमंत्री जी से मिले थे। वहां पर एक अति महत्वपूर्ण सड़क है जिसको बनाना बहुत जरूरी है। यह सड़क 0 कि.मी. से 0.7 कि.मी. और 0.7 कि.मी. से 3.29 कि.मी. तक बनानी जरूरी है। वहां पर टोहाना, नरवाना,

[Shri Randeep Singh Surjewala]

उकलाना बरवाला के एरिया में बहुत मान्यता है । वहां शीतला माता का मंदिर है । इस सड़क को जिसकी लम्बाई 3.29 किलोमीटर है और 125 लाख रुपये की लागत से हमने यह काम अलॉट कर दिया है और मौके पर काम जारी है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि 30 अप्रैल, 2012 तक यह काम भी पूरा हो जायेगा । इसके अलावा एच.एस.ए.एम.बी. से हाल ही में एक सड़क हमारे विभाग के पास टांसफर होकर आई है। माननीय विधायक जी ने भी मुझे इस सड़क के लिए कहा था और गांव के लोग भी मुझे इस सड़क के लिए मिले थे। जो कि खरल से धमतान रोड है जिसकी लम्बाई 4.26 किलोमीटर है। इस सड़क के लिए भी हमारे विभाग द्वारा टैण्डर 01 मार्च, 2012 को रिसीव किये जा चुके हैं। इस सड़क के कार्य के लिए हमने 38 लाख रुपये की राशि अलॉट कर दी है। इसके साथ-साथ नेशनल हाईवे-71 को नेशनल हाईवे-65 से वाया हनुमान नगर-हरि नगर (नरवाना) जो सड़क जोडेगी इसके बारे में में माननीय सदस्य को यह बताना चाहंगा और उन्हें याद होगा उन्होंने इस सड़क के बारे में भी मेरे साथ चर्चा की थी। यह सड़क भी हमने अप्रूव कर दी है। इस सड़क की लम्बाई 26 किलोमीटर है। इस सड़क पर 91.81 लाख रुपये का खर्च आने की सम्भावना है । इसी प्रकार से सी.सी. पेवमैंट, साईड लेन और रेलवे स्टेशन लिंक रोड से लेकर भगत सिंह शॉप नई सब्जी मण्डी वाली जो सड़क है यह लगभग .90 किलोमीटर है । हम इसको नये सिरे से सी.सी. पेवमैंट साईड लेन बनायेंगे। इस सड़क का टैण्डर भी अलॉट किया जा चुका है। इस सड़क के निर्माण पर 2.94 लाख रुपये लागत आयेगी। इसके अलावा यह सड़क किलोमीटर 15.84 से किलोमीटर 24.33 धनतान साहब से शुरू होकर कालवान और कन्नडी इत्यादि होते हुए टोहाना तक जायेगी । इस सडक की वाईडनिंग और स्टैंग्थनिंग इस समय हमारी ऐक्टिव कंसीडरेशन में है। इसके एस्टीमेट्स अण्डर प्रिपरेशन हैं। इस सडक के कम्पलीट कार्य के ऊपर 1100 लाख रुपये की लागत आने की सम्भावना है ! हमारा यह भरसक प्रयास है कि इस कार्य को भी हम जल्दी से जल्दी अनुमित दें। इसी प्रकार से पीपलशाह से पदार्थ खेड़ा की जो सड़क है इसकी लम्बाई .25 किलोमीटर है। यह सड़क भी इस समय हमारे एक्टिय कंसीडरेशन में है । इस सड़क पर भी 20 लाख रुपये की राशि खर्च होने की सम्मावना है। इस प्रकार से मैंने लगभग सारी सड़कों की लेटेस्ट पोजीशन बताई है। जो इस समय ऑन गाईंग वर्क्स हैं उनकी अनुमानतः लागत राशि 1971.33 लाख रुपये है और एक्टिव कंसीडरेशन में 1136 लाख रुपये के काम हैं। मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य के साथ-साथ पूरे सदन को भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि नरवाना विद्यान सभा क्षेत्र पहले भी हमारी सरकार की प्राथमिकता सूची में था और अब भी प्राथमिकता सूची में है। हम नरवाना विधान सभा क्षेत्र की सभी सड़कों को बढ़िया तरीके से ठीक करवायेंगे।

डॉo अजय सिंह चौटाला: माननीय स्पीकर सर, माननीय मंत्री जी से पूछे गये सवालों के सभी जवाब उनके टिप्स पर होते हैं और वे सभी सवालों के बड़े अच्छे तरीके से सही जवाब दे रहे हैं। इस सदन में भी और पिछले सदन में भी इन दोनों सदनों में डबवाली-चौटाला रोड़ को ठीक करने का आश्वासन माननीय मंत्री महोदया जी द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी दोनों द्वारा बराबर दिया जाता रहा है। एक तरफ तो सरकार की तरफ से यह ब्यान दिया जाता है कि मैटीरियल नहीं है और दूसरी तरफ इतने मैटीरियल से सड़कें बनाई जा रही हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहूंगा कि क्या लगभग 30 किलोमीटर लम्बे डबवाली-चौटाला रोड को भी ठीक करवाया जायेगा?

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, अजय जी द्वारा बताई गई डबवाली-चौटाला रोड को भी जल्दी ठीक करवाने की व्यवस्था करवाईए ।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, अभय चौटाला जी ने यह प्रश्न पूछा था और इस रोड़ के बारे में इनका पत्र भी आया था। यह मुझे अच्छी तरह से याद है। यह प्रश्न अजय जी ने नहीं बल्कि अभय जी ने पछा था। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य हमारी बात सुनें तो सही हम इनको मना थोड़े ही कर रहे हैं। सर, मैं इनको बताना चाहंगा कि जो डबवाली से संगरिया रोड है इस 2.2 किलोमीटर से 11 किलोमीटर तक की सड़क का टैण्डर आलरेडी अलॉट किया जा चुका है और जो बाकी की सड़क है हमने उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर टैण्डर की प्रक्रिया शुरू कर दी है ! (शोर एवं व्यवधान) सर, अगर माननीय सदस्य अपने सवाल का जवाब भी नहीं सुनेंगे तो कैसे काम चलेगा । If he is not going to listen to the answer we are not entering into a debate. We have already allocated the tender. The road is in a dilapidated condition. We will construct it. The second portion of the road has been administratively approved by the Chief Minister and the process of inviting tender is under way. I will also like to say and my learned friend had also asked a question about Narwana, my learned friend should not be jealous of Narwana. If he will take care of Narwana we will also take care of Chautala. Though my learned friend should remain assured.

श्री अध्यक्ष: अजय जी, आप ने जिस सड़क के लिए पूछा है उसका टैण्डर अलॉट हो चुका है।

डॉo अजय सिंह चौदाला: माननीय स्पीकर सर, वह तो आधे पोर्शन का ही हुआ है। स्पीकर सर, आप उस रोड पर जाकर देखें, उसकी झलत बहुत ही ज्यादा खराब है and seven years have been passed in this process. (Noise & Interruption)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यही तो मैं इनको बता रहा हूं कि आधे पोर्शन का टैण्डर हो चुका है और जो बाकी का आधा पोर्शन है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अपूवल आ गई है और process of inviting tender is under way. I have already told my learned friend. He can be rest assured that we will construct his road also but his father has been MLA from Narwana and his father is now MLA from that tehsil he should be concerned. He should be concerned about Narwana, Uchana also. He should not be so disinterested. He should be concerned his father has been MLA why should he be jealous that Narwana roads are being constructed, Uchana roads are being constructed.

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the Questions Hour is over.

# नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

#### To set up a Library at Indri

\*987. Shri Ashok Kashyap: Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a Library at Indri; if so, details thereof?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) : नहीं, श्रीमान् जी ।

#### Construction of 100 Beds Hospital

\*1136. Shri Dharam Singh Chhoker: Will the Health Minister be pleased to state whether it is a fact that the construction work of a 100-beds Hospital in Samalkha has not been started for which an announcement was made by the Hon'ble Chief Minister two years ago; if so, the time by which the construction work of aforesaid Hospital is likely to be started?

स्वास्थ्य मंत्री (राव नरेन्द्र सिंह): हां, श्रीमान् जी। पहले चरण में समालखा में 50 बिस्तरीय अस्पताल के निर्माण की सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गई है और शेष 50 बिस्तरों को दूसरे चरण में जोड़ा जाएगा। निर्माण कार्य अगले वित्त वर्ष में आरम्भ किए जाने की संभावना है।

#### Repair of Roads

\*1059. Shri Ganga Ram: Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether it is a fact that the roads connecting the religious places in Pataudi Constituency are lying damaged; if so, whether the said roads are likely to be repaired during the current financial year?

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : श्रीमान् जी, प्रश्न में सड़कों के नाम नहीं दर्शाये गये हैं। फिर भी, दो सड़कों जो धार्मिक स्थलों को जोड़ती हैं, जिनके नाम इच्छापुरी शिव मन्दिर तथा रणसिका शिव मन्दिर है की हालत अच्छी है।

#### Government Girls College at Cheeka

\*1070. Shri Phool Singh: Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open Government Girls College at Cheeka; if so, the details thereof?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल): नहीं, श्रीमान् जी।

#### Repair/Construction of Road

\*1124. Shri Jagdish Nayar: Will the Agriculture Minister be pleased to state whether it is a fact that road from Banchari to Godauta has got damaged; if so, the time by which the construction work of the aforesaid road is likely to be started?

कृषि मंत्री (सरदार परमवीर सिंह): जी नहीं, श्रीमान् । हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की इस सड़क की केवल लघु मरम्मत की आवश्यकता है जिसमें कुछ गड्ढ़ों का कार्य शामिल है जिस कार्य की 31.03.2012 तक पूरा किए जाने की सम्मावना है ।

#### To open a College for Girls in Kalanwali

\*1121. Shri Charanjit Singh: Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a College for Girls in Kalanwali City; if so, the time by which the aforesaid college is likely to be opened?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता मुक्कल मातनहेल) : नहीं, श्रीमान् जी !

#### Upgradation of Schools

\*856. Shri Parminder Singh Dhull: Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the following Schools in Julana Constituency:—

- (i) Govt. Middle School, Pokarkheri;
- (ii) Govt. Girls Primary School, Ramrai;
- (iii) Govt. Middle School, Shamlo Khurd;
- (iv) Govt. Middle School, Anoopgarh;
- (v) Govt. High School, Nidana;
- (vi) Govt. High School, Nidani;
- (vii) Govt. Middle School, Mehrara; and
- (viii) Govt. High School, Siwaha?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता मुक्कल मातनहेल): नहीं, श्रीमान् जी । उपरोक्त विद्यालयों में से कोई भी विद्यालय स्तरोन्नत होने के मापदण्ड पूर्ण नहीं करता ।

#### Haryana Roadways Bus Service

\*821. Rao Bahadur Singh: Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the Haryana roadways buses are not plying in the area of Nangal Chaudhary due to which the public is facing a great difficulty; if so, the time by which the roadways bus service is likely to be provided in the villages of aforesaid area?

#### मुख्यमंत्री (श्री मूपेन्द्र सिंह हुइडा) : नहीं, श्रीमान् जी।

#### Replacement of Sewerage System

\*1001. Smt. Savitri Jindal: Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state:—

- (a) whether it is a fact that Sewerage System of Urban Estate-II at Hisar is not working properly due to the old and narrow sewerage lines which were laid many years ago:
- (b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to increase the capacity of sewerage system of the aforesaid Urban Estate by replacing the old narrow sewerage lines; and
- (c) whether any demand of the residents of Urban Estate-II is lying pending with the concerned department together with the action taken by the Government?

### मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

- (क) श्रीमान् जी, नहीं !
- (ख) श्रीमान् जी, नहीं।
- (ग) श्रीमान् जी, नहीं ।

## अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

#### Sarav Shiksha Abhiyan and RMSA

#### 167. Shri Sampat Singh:

(a) the total amount sanctioned and received through Sarv Shiksha Abhiyan (SSA) and Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) Scheme of Govt. of India for the financial year 2011-12, districtwise separately;

- (b) the total amount out of the aforesaid amount that has been spent/ utilized till date district-wise separately; and
- (c) the amount if any, that lapsed in the Financial Year 2010-11 & FY 2011-12 out of the aforesaid amongst alongwith the reasons thereof and action taken there on?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता मुक्कल मातनहेल): श्रीमान् जी, पैरावाईज प्रश्न का उत्तर सदन की टेबल पर रखा गया है:-

- (ए) वर्ष 2011-12 के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 1197.67 करोड़ और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 251.80 करोड़ की कुल राशि स्वीकृत की गई। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत केन्द्र व राज्य के हिस्से के रूप 534.61 करोड़ रुपये (404.61+130.00 करोड़ रुपये) तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 222.58 करोड़ रुपये (175+47.03 करोड़ रुपये) केन्द्र और राज्य के हिस्से के रूप में स्वीकृत बजट के विपरीत प्राप्त की गई।
- (बी) सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्वीकृत बजट व खर्च विवरण जिले के अनुसार निम्न प्रकार से है।
- (सी) 2010-11 की अवधि के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रयोग न की गई राशि 839.79 करोड़ रुपये के बजट के विपरीत 783.85 करोड़ रुपये के फण्ड उपलब्ध करवाये गये और कुल खर्च 624.54 करोड़ रुपये किया गया। 159.41 करोड़ रुपये बिना प्रयोग किये शेष बचे और इसका मुख्य कारण सिविल वर्क्स के निर्माण कार्य में देरी होना रहा।

सर्व शिक्षा अभियान व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2011-12

जैसा कि वित्तीय वर्ष अभी चल रहा है इसलिए इस समय लैप्स के बारे में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

# [श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल]

विवरण हरियाणा स्कूल शिक्षा खर्चा दिनांक

क्र.सं.	गतिविधियों के नाम	मुख्य का	र्यालय		अम्बाला	
		बजट	खर्चा	वजट	प्राप्त राशि	खर्चा
1	नये खुले स्कूल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	नए शिक्षकों को वेतन	0.00	0.00	1383.00	586.62	586.62
3	शिक्षक अनुदान	0.00	0.00	14.49	14.49	14.49
4	ब्लॉक संसाधन केन्द्र	0.00	0.00	398.27	118.98	118.98
5	क्लस्टर संसाधन केंद्र	0.00	0.00	20.25	20.25	20.25
6	शिक्षक प्रशिक्षण	0.00	0.00	101.31	54.01	54.01
7	स्कूल के बाहर बच्चों के लिए इस्तक्षेप	0.00	0.00	31.44	14.81	14.81
8	विशेष प्रशिक्षण	0.00	0.00	85.82	0.00	0.00
ð	निःशुल्क पाठ्य सामग्री	0.00	0.00	147.47	99.49	99.49
10	विकलांग बच्चों के लिए हस्तक्षेप	0.00	0.00	58.68	12.35	12.35
11	सिविस कार्य	0.00	0.00	1972.33	1251.20	955.96
12	स्कूल पुस्तकालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	शिक्षण अधिगम उपकरण	0.00	0.00	8.77	0.00	0.00
14	रखरखाय के लिए अनुदान	0.00	0.00	55.95	55.95	55.95
15	स्कूल अनुदान	0.00	0.00	47.13	47.13	47.13
16	अनुसंधान और मूल्यांकन	0.00	0.00	12.41	0.00	0.00
17	प्रबंधन और गुणवसा	0.00	0.00	216.89	75.19	75.19
18	अभिनब गतियिधि	0.00	0.00	99.55	34.73	34.73
19	समुदाय प्रशिक्षण	0.00	0.00	14.94	0.00	0.00
20	आवासीय छात्रावास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	राजकीय घटक	915.50	385.51	0.00	0.00	0.00
22	नेपजेल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	क-गां.का.वि.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	वर्धी	0.00	0.00	247.94	247-94	247.94
	₹ <u>7</u> 4	915.50	385.51	4916.14	2633.13	2337.90

परियोजना परिषद् 31.01.2012 तक

	भिवानी	, .		फरीदाबाद	¥		फतेहाबाद	
बजट	प्राप्त राशि	खर्चा	बजट	प्राप्त संशि	खर्चा	बजद	प्राप्त राशि	<b>শুর্चা</b>
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2224.17	966.30	966.30 \$	3051.48	1431.30	431.30	2011.92	857.58	857.58
31-27	31.26	31.26	11.47	11-47	11.47	13.18	13.18	13.18
359.87	330.70	\$30.70	298.75	81.48	81.48	221.75	102.81	102.81
31.32	31.32	31.32	18.16	18.16	18.16	16.20	16.20	16.20
169.97	38.97	38.97	67.48	16.32	16.32	92.32	7.07	7.07
28.72	5.06	5.06	30.70	3.06	3.08	33.71	9.39	9.39
77.94	0.00	0.00	83.25	0.00	0.00	102.51	0.00	0.00
261.92	96.00	96.00	143.16	71.00	71.00	179.58	124.77	124.77
85.92	22.66	22.66	28.59	4.30	4.30	44.40	30.49	10.49
2664.87	1971.55	1458.07	3079.46	1568.65	1177.94	1878.90	1344.17	857.22
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.95	33.95	33.98
3.31	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00
86.03	86.03	86.03	28.80	28.80	28.80	46.20	46.20	46.20
68.04	68.04	68.04	21.80	21.80	21.80	35.22	35.22	35.23
17.64	0.00	0.00	5.76	0.20	0.20	9.24	0.00	0.00
291.32	66.46	66.46	143.40	46.66	46.66	3 223.73	17.19	17.19
99.90	34.27	34.27	93.95	12.93	12.93	99.40	16.93	16.9
20.86	1.22	1.22	6.91	0.00	0.00	11.18	3.07	3.0
0.00	0.00	0.00	208.12	159.30	159.30	0.00	0.00	0.0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	00.00	0.00	0.0
10.73	3 7.41	7.41	0.00	0.00	0.0	0 22.08	21.34	21.3
285.18		0.00	0.00	0.00	0.0	0 712.95	00.00	0.0
443.45	5 443.45	5 448.45	5 235.0	2 235.03	2 285.0	2 306.39	306.39	306.3
7262.43	3 4200.70	3687.2	2 7558.5	0 3710.4	5 3319.7	5 6099,26	2965.94	2478.9

# [श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल]

विवरण हरियाणा स्कूल शिक्षा खर्चा दिनांक

	ਸ <b>ਿ</b> ਰਿਵਿਆਂ ਤੇ						वचा दिनाव
क्र.सं.	गतिविधियों के नाम	40-41	गुड़गांव			िसार	
	11 to 111 to 1 to 11	∜जट	प्राप्त राशि	खर्चा	वजट	प्राप्त राशि	खर्चा
1	नये खुले स्कूल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	नए शिक्षकों की वेतन	2148.24	986.64	986-64	1440.48	543.06	543.06
3	शिक्षक अनुदान	14.78	14.79	14.76	27.86	27.86	27.86
4	ब्लॉक संसाधन केन्द्र	201.63	190.43	190.43	417.89	297.59	297.59
5	क्लस्टर संसाधन केंद्र	21.60	21.60	21.60	35.10	35.10	35.10
6	शिक्षक प्रशिक्षण	87.85	19.26	19.26	155.15	3.99	3.99
7	स्कूल के बाहर बच्चों के लिए हस्तक्षेप	21.22	2.62	2.62	27.99	7.67	7.67
8	विशेष प्रशिक्षण	57.57	0.00	0.00	75.99	0.00	0.00
9	निःशुल्क पाठ्य सामग्री	157.78	60.40	60.40	268.64	93.76	93.76
10	विकलांग बच्चों के लिए हस्तक्षेप	18.90	16.38	16.38	56.91	14.14	14.14
11	सिविल कार्य	2078.20	1151.36	738.71	2065.07	1615.93	970.55
12	स्कूल पुस्तकालय	0.00	0.00	0.00	52.49	52.49	52.49
13	शिक्षण अधिगम उपकरण	9.20	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
14	रख़रख़ाव के लिए अनुदान	44.33	44.33	44.33	67.88	67.88	67.88
15	स्कूल अनुदान	33.55	33.55	33.55	52.49	52.49	52.49
16	अनुसंधान और मूल्यांकन	8.87	0.00	0.00	13.58	0.16	0.16
ţŻ	प्रबंधन और गुणवत्ता	179.03	52.19	52.19	263.68	53.94	53.94
នេ	अभिनय गतिविधि	98.83	23.60	23.60	96.50	29.85	29.85
9	समुदाय प्रशिक्षण	10.78	2.96	2.96	16.54	0.00	0.00
30	आवासीय छात्रावास	104.06	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00
21	राजकीय घटक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	नेपजेल	0.00	0.00	0.00	59.29	31.22	\$1.32
23	क.गां.चा.चि.	0.00	0.00	0.00	855.54	0.00	0.00
<b>24</b>	क्सी	244.22	242.22	244.22	462.10	462.10	462.10
<del>- 1 1</del> -	कुल	5540.62	2878.38	2467.70	6513.17	3389.23	2743.95

परियोजना परिषद् 31.01.2012 तक

	झज्जर			र्जीद			कैथल	
बजट	प्राप्त राशि	खर्चा	बजट	प्राप्त राशि	खर्चा	बजट	प्राप्त राशि	শুভা
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704.31	296.46	296.46	863.76	278.88	278.88	1456.92	585.06	585.06
15.98	15.98	15.98	22.13	22.13	22-13	14.51	14.51	14.51
258.23	91.64	91.64	293.19	113.88	113.88	182.27	133.15	133.15
12.15	12.15	12.15	13.20	16.20	16.20	15.12	15.12	15-12
91.92	6.44	6.44	129.18	31.05	31.05	91.56	53.19	53.19
2.06	41.94	41.94	8.20	9.70	9.70	7.17	7.17	7.17
5.61	0.00	0.00	22.23	0.00	0.00	19.50	0.00	0.00
104.20	69.84	69.84	227.41	92.25	92.25	183.07	81.29	81.29
27.78	11.84	11.84	49.29	19.90	19.90	79.59	16.24	16.2
041.27	467.47	164.53	1952.44	1477.92	1097.39	1729.45	1254.35	978.9
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
42.68	42.68	42,68	57.98	57.98	57-98	44.63	44.63	44.6
32.97	32.97	32.97	44.99	44.99	44.99	33.97	33.97	33.9
8.54	0.00	0.00	11.66	0.00	0.00	8.93	0.00	0.0
127.08	46.60	46.60	215.01	64.35	64.35	209.88	56.62	56.€
99.20	31.10	31.10	98.85	37-05	37.05	99.40	23.68	23.6
10.40	0.00	0.00	14.15	0.00	0.00	10.87	0.00	0.0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
0.00	0.00	0.00	20.82	10.09	10.09	22.08	28-87	28.8
0.00	0.00	0.00	226.15	53.33	53.33	335.06	21-65	21.6
173.70	173.70	173.70	382.10	382.10	382.10	305.62	305.62	305.6
2758.78	1340.81	1037.86	4655.74	2711.80	2831.2	7 4849.60	2675.10	2899.

# [श्रीमती गीता मुक्कल मातनहेल]

<u>विवरण</u> हरियाणा स्कूल शिक्षा खर्चा दिनांक

क.सं.	गतिविधियों के नाम		करनास			कुरुक्षेत्र	
		बजट	प्राप्त राशि	खर्चा	ৰস্থ	प्राप्त राशि	खर्चा
I	नये खुले स्कृत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	नए शिक्षकों को वेतन	1887.90	781.26	781.26	1776.00	778.56	778.56
3	शिक्षक अनुदान	17.88	17.88	17.88	14.21	14.21	14.21
4	ब्लॉक संसावन केन्द्र	470.12	269.56	269.56	344.31	109.85	109.85
5	क्लस्टर संसाधन केंद्र	29.70	29.70	29.70	19.44	19.44	19.44
6	शिक्षक प्रशिक्षण	114.08	5.65	5.65	111.12	47.84	47.84
7	स्स्तूल के बाहर अध्यों के लिए इस्तक्षेप	10.51	0.00	-0.21	20.20	3.25	3.25
8	विशेष प्रशिक्षण	28.50	0.00	0.00	54.84	0.00	0.00
9	निःशुल्क पाठ्य सामग्री	221.17	180.97	180.97	145.11	147.41	147.41
10	विकलांग बच्चों के लिए इस्तक्षेप	30.54	0.00	2.63	30.42	15.03	15.03
11	सिविल कार्य	2516.13	1715.99	1248.90	1469.82	734.77	734.77
12	स्कूल पुस्तकालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	शिक्षण अधिगम उपकरण	18.95	0.00	0.00	27.75	0.00	0.00
14	रख़रखाव के लिए अनुदान	59.40	59.40	59:40	60.23	60.23	60.23
15	स्कूल अनुधान	45.22	45.22	45.22	46.06	46.06	46.06
16	अनुसंधान और मूल्यांकन	11.88	0.00	0.00	12.09	0.00	0.00
17	प्रबंधन और गुणथता	216.89	43.91	43.91	197.24	56.66	56.66
18	अभिनव गरीविधि	99.55	31.66	\$1.66	99.20	32.39	32.39
19	समुदाय प्रशिक्षण	14.02	0.00	0.00	14-85	0.00	0.00
20	आवासीय छात्रावास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	राजकीय घटक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	नेपजेल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	क.गां.बा.वि.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	वर्दी	379.02	379.02	379.02	238.81	238.81	238.81
****	कुल	6171-46	3560.22	3090.29	4681.70	2304.51	2304.50

परियोजना परिषद् 31.01.2012 तक

	भेदात			महेन्द्रगढ्			पश्चकुला	
दजट	प्राप्त राशि	खर्चा	बजद	प्राप्त राशि	खना	ঋজাত	प्राप्त राशि	खर्चा
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5630.4027	14.22 27	14.22	089.60	469.32	469.32	885.72	372.06	372.06
14.98	14.98	14.98	17.41	17-41	17.41	7.21	7.21	7.21
150.01	94.64	94.64	148.45	232.77	232.77	223.97	71.19	71-19
18.95	18.95	18.95	22.95	22.95	22.95	11.61	11.61	11.61
122.24	40.96	40.96	102.59	12.67	12.67	48.85	5.44	5.44
169.48	13.01	13.01	28.66	9.49	9.49	52.92	5.91	5.91
459.90	0.00	0.00	183.63	0.00	0.00	220.23	0.00	0.00
272.18	60.50	60.50	132.83	62.01	62.01	75.94	60.40	60.40
70.20	8.73	8.73	21.60	55.75	55.75	17.13	5.70	5.70
7550.73 4	815.082	587.81	1102.79	672.81	485.52	1384.81	869.15	575.02
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67-60	0.00	0.00	3.50	0.35	0.35	8.82	00.0	0.00
59.78	59.78	59.78	60.23	60.23	60.23	26.50	26.50	26.50
45.21	45.21	45.21	45.92	45.92	45.92	24.31	24.31	24.07
11.96	0.00	0.00	12.12	0.04	0.04	6.44	80.0	80.0
202.64	49.08	49.08	163.08	72.58	72.58	177.59	42.43	42.43
99.85	15.17	15.17	98.85	28.25	23.25	98.83	14.48	14.48
15.43	0.00	0.00	14.62	0.00	0.00	7.51	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.06	79.65	79.65
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37.84	17.82	17.82	11.99	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00
161.75	136.35	136.35	142.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
382.38	382.38	382.38	3 215-86	215.86	215.8€	115.92	115.92	115.93
15545,51	8486.86	6259.5	9 3619.27	1984.50	1797.18	3498.37	1712.04	1417,68

[श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल]

विवरण हरियाणा स्कूल शिक्षा खर्चा दिनांक

क्र-सं-	गतिविधियों के नाम		पानीपल			पलवस	
		बजय	प्राप्त राशि	खर्चा	वजट	प्राप्त राशि	खर्चा
1	नये खुले स्कूल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	भए शिक्षकों को देतन	1627.23	693.72	693.72	625.86	176.22	176.22
3	शिक्षक अनुवान	10.91	10.91	10.91	11.33	11.33	11.33
4	बसीक संसाधन केन्द्र	247.78	83.26	83.26	184.13	96.97	96.97
5	क्लस्टर संसाधन केंद्र	11.34	11.34	11.34	0.96	0.96	0.96
6	शिक्षक प्रशिक्षण	74.13	20.14	20.14	83.06	1.98	1-98
7	स्कूल के थाहर बच्चों के लिए इस्तक्षेप	49.32	13.10	13.10	39.25	0.00	0.00
8	विशेष प्रशिक्षण	133.83	0.00	0.00	106.53	0.00	0.00
9	निःशुल्क पाठ्य सामग्री	155.61	60.30	60.30	185.02	32.11	32.11
10	विकलांग वष्ट्यों के लिए इस्तक्षेप	54.24	12.57	12.57	24.90	0.90	0.90
11	सिविल कार्य	2013.63	1616.46	944.16	2857.78	2442.31	711.90
12	स्कूल पुस्तकालय	0.00	0.00	0.00	34.78	34.78	34.78
13	शिक्षण अधिगम उपकरण	3.50	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00
14	रखरखाद के लिए अनुदान	30.83	30.83	30.83	46.35	46.35	46.35
15	स्कूल अनुदान	24.93	24.93	24.93	35.54	35.54	\$5.54
16	अनुसंधान और मूल्यांकन	6.47	0.02	0.02	9.27	0.00	0.00
17	प्रबंधन और गुणयला	202.64	45.52	45.52	177.59	42.70	42.70
18	अभिनय गतिविधि	98.76	31.19	31-19	89.45	14.41	14.41
19	समुदाय प्रशिक्षण	7.58	0.00	0.00	11.21	0.00	0.00
20	आधासीय छात्रावास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	राजकीय घटक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	नेपजेल	6.31	8.40	8.40	43.52	28.01	28.01
23	क.मां. <b>था</b> .थि.	142.59	0.00	0.00	469.94	15.33	15.33
24	यदी	254-17	254.17	254.17	305.52	305.52	305.52
	<b>कु</b> ख	5155.80	2916.86	2244.56	5354.49	3285.42	1554.99

परियोजना परिषद् 31.01.2012 तक

	रेवाड़ी			रोहतक			सिरसा	<u>-</u>
बजट	प्राप्त राशि	खर्चा	बजट	प्राप्त सक्षि	खर्बा	थजट	प्राप्त राशि	खर्चा
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
759.84	301.56	301. <del>56</del>	538.56	195.84	195-84	1818.06	738.00	738.00
16.77	16.77	16.77	15.66	15.66	15.66	21.23	21.23	21.23
345.75	228.32	228.32	248.19	47.88	47.88	309.68	209.19	209.19
20.25	20.25	20.25	11.61	11.61	11.61	26.73	26.73	26.73
96.68	3.79	3.79	89.79	3.85	3.85	128.28	4.68	4.68
30.08	0.41	0.41	1.55	0.00	00.00	25.62	3.29	3.29
122.25	0.00	0.00	4.17	0.00	0.00	158.31	0.00	0.00
118.16	120.60	120.60	121.92	61.26	61.26	240.28	95.70	95.70
31.53	11.23	11.23	30.30	12.38	12.38	48.87	15.49	15.49
1230.01	768.02	684.52	1768-77	1311.91	837.58	1899.00	1502.02	997.18
0.00	0.00	0.00	27.05	27.05	27.05	0.00	0.00	0.0
3.92	0.00	0.00	0.86	0.00	0.00	1.40	0.00	0.0
51.00	51.00	51.00	31.65	31.65	31.65	64.50	64.50	64.5
39.35	39.35	39.35	26.04	26.04	26.04	. 48.96	48.96	48.9
10.34	0.00	0.00	6.63	0.29	0.29	12.90	0.00	0.0
151.00	45.79	45.79	167.08	39.95	39.98	243-38	30.43	30.4
98.20	19.10	19.10	99.20	32.74	32.74	99.90	21.51	21.5
12.44	0.00	0.00	7.96	0.00	0.00	15.50	0.00	0.0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0 13.25	8.12	8.3
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0 855.54	0.00	0.0
200.48	200.48	3 200.48	208.10	208.10	208.1	0 413.13	413.13	413.
3388.00	1826.67	7 1743.17	3405.09	2026.2	1551.8	9 6444.52	3202.98	2698.

[श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल]

विवरण हरियाणा स्कूल शिक्षा खर्चा दिनांक

				खना दनाक		
क्र-सं	. गतिविधियों के नाम	सोनीपत्त				
		ब्याद	प्राप्त राशि	खर्चा		
1	नये खुले स्कूल	0.00	0.00	0.00		
2	नए शिक्षकों को वेतन	951.24	363.54	363.54		
3	शिक्षक अनुदान	21.58	21.58	21.58		
4	ब्लॉक संसाधन केन्द्र	392.71	208.81	208.81		
5	क्लस्टर संसाधन केंद्र	20.25	20.23	20.25		
6	शिक्षक प्रशिक्षण	124.18	45.26	45.26		
7	स्कूल के बाहर बच्चों के लिए हस्तक्षेप	6.90	5.05	5.05		
8	विशेष प्रशिक्षण	18.72	0.00	0.00		
9	निःशुल्क पाठ्य सामग्री	187.66	80.50	80.50		
10	विकलांग बच्चों के लिए इस्तक्षेप	121.05	20.46	20.46		
11	सियिल कार्य	1758.11	1144.50	802.50		
12	स्कूल पुस्तकालय	0.00	0.00	0.00		
18	शिक्षण अधिगम उपकरण	2.50	0.00	0.00		
14	रखरखाय के लिए अनुदान	55.28	55.28	55.28		
15	स्कूल अनुदान	42.96	42.96	42.96		
16	अनुसंधान और मूल्यांकन	11.16	0.00	-0.43		
17	प्रबंधन और गुणवत्ता	195.66	54.76	54.76		
18	अभिनव गतिविधि	99.45	17.27	17.27		
19	समुदाय प्रशिक्षण	13.39	0.00	0.00		
20	आवासीय छात्रायास	0.00	0.00	0.00		
21	राजकीय घटक	0.00	0.00	0.00		
22	नेपजेल	0.00	0.00	0.00		
23	क.गां.बा.वि.	0.00	0.00	00.0		
24	वर्दी	304.58	304.58	304.58		
	<b>कु</b> ल	4327.38	2384.78	2042.23		

परियोजना परिषद् 31.01.2012 तक

	यमुनानगर			कुल	
बजट	प्राप्त राशि	खर्चा	बजट	प्राप्त राशि	স্তাৰ্ঘা
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3074.64	1394.16	1394.16	35949.33	15510.36	1551036000.00
12.35	12.35	12.35	347.17	347.18	34712500.00
389.92	54.16	54.16	6086.87	3167.26	316727114.00
21.60	21.60	21.60	401.49	401.49	40149000.00
112.62	32.91	32.91	2194.36	455.47	45547365.00
7.11	0.00	0.00	632.76	154.93	15473160.00
4.14	0.00	0.00	2024.97	00.0	0.00
174.76	85.00	85-00	3703.82	1835.56	183556726.00
21.21	16.01	16.01	952.05	302.55	2993345.00
2558.29	1635,83	1020.63	46571.86	31331.45	2002978317.00
0.00	0.00	0.00	148.27	148.27	14827000.0
27.50	0.00	0.00	209.52	0.35	34500.0
63.05	63.05	63.05	1083.28	1083.28	108322500.0
52.19	52.19	52.19	846.85	846.85	84649000.0
13.85	0.40	0.39	221.74	1.19	74777.0
216.91	61.93	61.93	4181.72	1064.94	106492710.0
99.35	33.47	33.47	2066.17	530.78	53081289.1
17.55	0.00	0.00	268.69	7.25	724790.0
0.00	0.00	0.00	416.24	255.00	25500000.0
0.00	0.00	0.00	915.50	385.51	38550784.0
0.00	0.00	0.00	247.91	172.37	17246587
0.00	0.00	0.00	4187.29	226.64	226640643
291.29	291-29	291.29	6109.80	6109.80	610981200
7158.33	3754.35	3139.14	119767.66	64338.46	5303322728.

# [श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल] राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

द्रर्चा (	देनांक 31.01.2012	(राशि लाख में)	
क.सं.	जिले का नाम	जिलों को दी गई राशि	खर्चा
1	अम्बाला	1281.77	990.45
2	भिवानी	1566.01	889.78
3	फरीदाबाद	633.57	353.39
4	फतेहाबाद	947.25	790.99
<b>⋾</b>	गुड़गांव	697.88	414.44
6	हिसार	965.66	816.48
7	झञ्जर	665.89	485.89
3	जींद	1337.10	1289.4
€	कैथल	1171.11	1167.39
10.	करनाल	1512.02	1306.64
11.	कुरुक्षेत्र	857.01	740.44
12.	महेन्द्रगढ़	935.90	834.7
13.	मेवात	787.99	598.63
14	पलवल	349.18	451.86
15	पंचकुला	334.58	330.97
16	पानीपत	646.27	586.98
17	रेवाड़ी	593.16	145.91
18	रोहतक	389.12	322-2
19	सिरसा	1044.66	957.89
20	सोनीपत	803.68	581.19
21	यमुनानगर	1071.79	1058.66
	कुल	18591.60	14707.61
	निधि की स्थिति		(राशि लाख
शुरुआत पर शेष			-1682.72
भारत सरकार का अनुदान हरियाणा सरकार का अनुदान			17555.66
			4703.33
	अन्य प्राप्तियां	-	54.82
	सर्व शिक्षा अभियान	से उधार	1142.80
	कुल अनुदान		21773.89
कुल र	अनदान	जिलों को दी गई राशि	দ্ৰৰ্ঘ
कुल अनुदान 21773.89		18591.6	14707.61

#### The Number of Registered Societies

217. Shri Dilbag Singh: Will the Industries and Commerce Minister be pleased to state—

- (a) the number of registered societies/not registered by the Haryana Government under Societies Registration Act, 1860, functioning in their own buildings at Panchkula, at present;
- (b) whether the Haryana Government has released the funds from discretionary grants etc. to the societies as at (a) above, during the period from 1.4.1985 to till date; if so, the details thereof;
- (c) whether the Government/District Administration has received facts/complaints of irregularities, illegalities, mis-appropriation of funds etc. regarding the societies as at (b) above, during the period from 1-4-1985 to till date, alongwith the details of action taken by the Government; and
- (d) whether the Government has conducted the audit of societies as at (b) above to check the irregularities, illegalities, mis-appropriation of funds etc. during the period from 1.4.1985 to till date, along with the details thereof?

### सहकारिता मंत्री (श्री सतपाल सांगवान) : श्रीमान् जी, :-

- (क) हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम, 1984 के तहत् पंजीकृत समितियां जो पंचकुला में अपने भवन में कार्य कर रही हैं, की संख्या छः हैं।
- **(**ক্ক) নহী ৷

2

- (ग) बिन्दु (ख) के दृष्टिगत प्रश्न पैदा ही नहीं होता !
- (घ) बिन्दु (ख) व (ग) के दृष्टिगत प्रश्न पैदा ही नहीं होता ।

# अध्यक्ष द्वारा घोषणा-

# अनुपस्थिति के संबंध में सूचनाएं

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I am to inform you that I have received an intimation from Shri Ram Kishan Fauji, Chief Parliamentary Secretary, Health, Haryana in which he has expressed his inability to attend the sitting of the House today, the 9th March, 2012 due to his ill-health.

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I am also to inform you that I have received an intimation from Rao Dharam Pal, MLA in which he has expressed his inability to attend the sitting of the House today, the 9th March, 2012 due to his ill-health.

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I am also to inform the House that I have received an intimation from Shri Raj Pal Bhukhri, MLA in which he has expressed his inability to attend the sitting of the House today, the 9th March, 2012 due to family circumstances.

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I am also to inform the House that I have received an intimation from Smt. Renuka Bisnoi, MLA in which she has expressed her inability to attend the sitting of the House on 9th March, 2012 due to marriage of her relative.

# सदस्यों का नाम लेना

श्री अनित विज: स्पीकर सर, मेरा भी जाट आन्दोलन के बारे में एक कॉलिंग अटैंशन मोशन था, उसका क्या हुआ? (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: I cannot listen what you want to say.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, यह जीरो आवर है इसलिए हमें मौका दिया जाये और हमारी बात सुनी जाये। (शोर एवं व्यवधान)

बिजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव): अध्यक्ष महोदय, ये ही लोग जाट आन्दोलन को भड़का रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री क्षशीक कुमार जरोड़ा : सर, हमारी बात तो सुनिये । (शोर एवं व्यवधान)

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के रास्ते रुकवाने वाले, लोगों को बरगला कर बहुकाने वाले, लोगों को उत्तेजित करने वाले, अपने पदाधिकारियों को खड़ा करके हरियाणा में कानून व्यवस्था की अफरा-तफरी फैलाने वाले ये लोग हैं सर । ये वे लोग हैं जो पूरे हरियाणा में अफरा-तफरी फैलाने में लगे हुये हैं । ये लोग हैं जो लोगों को उत्तेजित करते हैं, ये ही लोग हैं जो व्यवधान डालते हैं । ये लोग पूरे हरियाणा में जातिगत दंगे करवाना चाहते हैं, ये लोग समाज की बांटना चाहते हैं । ये समाज में व्यवधान डालना चाहते हैं । इन्होंने अपने पदाधिकारियों को वहां पर बैठा रखा है । इंडियन नैशनल लोकदल के पदाधिकारी वहां पर बैठे हुये हैं । ये भोलेभाले लोगों का भाईचारा तोड़ना चाहते हैं । (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय इंडियन नैशनल लोकदल तथा शिरोमणी अकाली दल के सदस्य अपनी सीटों पर खड़े हो कर बोलने लगे।)

कैंप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, यह सब कुछ इन लोगों की मिलीभगत से हो रहा है। यह सब काम ये लोग करवा रहे हैं और इन्होंने पूरे हरियाणा का अमन चैन खराब कर रखा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार बादली: अध्यक्ष महोदय, ये साम्प्रदायिक लोग हैं और ये हरियाणा की शांति को भंग करना चाहते हैं। ये हरियाणा के लोगों का भाईचारा तोड़ना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

सदस्यों का नाम लेना

श्री अध्यक्ष: आप प्लीज बैठ जाईये । आप सब बैठ जाईये प्र जाईये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, हम बैठ जाते हैं लेकिन आप हमारी बात तो सुन लीजिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप प्लीज बैठ जाईये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह मुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सांगवान साहब ने एक बहुत ही अहम बात कही है। इनके पास कोई इन्फोर्मेशन है। Sir, he has some information and he must be heard. सांगवान साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। He should be heard, Sir.

कैंग्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इंडियन नैशनल लोकदल के लोगों को भड़का रहे हैं। ये सारे काम ये करवा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सांगवान साहब, बताईये आप क्या कहना चाहते हैं?

सहकारिता मंत्री (श्री सतपाल): अध्यक्ष महोदय, इनको बहुत तकलीफ हो रही है। Sir, who has started this agitation? These people are only responsible for this agitation. I know one of the leader has ring from this chair that जब तक मैं नहीं आ जाता, तब तक आप इसका अंतिम संस्कार मत करना। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, जीरो आवर का मामला है । यह हमारा समय है । हमारी बात सुनिये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री सतपाल: अध्यक्ष महोदय, इनैलो के एक विधायक ने खुद कहा है कि जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक आप दाह संस्कार मत करना। दाह संस्कार पर मैं खुद आऊंगा। वहां उस लड़के का नाना है हवा सिंह, उससे किसने बात की है, यह इनसे पूछिए? ये खुद ऐजिटेशन करवा रहे हैं और ब्लेम दूसरों को दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, वह लड़का पुलिस की गोली से मरा है । (शोर एवं व्यवधान)

कैंटन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ये हाउस को गुमराह कर रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Keep quite. बैठ जाईए । (शोर एवं व्यवधान) बैठिए प्लीज ।

श्री नरेश कुमार बादली: स्पीकर सर, ये हरियाणा प्रदेश के अन्दर जातीय दंगे फैलाना चाहते हैं।

Shri Satpal: Speaker Sir, you just hear me. इन्होंने मेरी तरफ आंख निकाल कर कहा है कि मैंने किया था टेलीफोन। अभी कहा है कि मैंने किया था टेलीफोन। He himself is agree.

Mr. Speaker: Who is agreeing?

## (इस समय सत्ता पक्ष के सभी सदस्य शेम शेम के नारे लगाने लगे।)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर, ये हरियाणा के लोगों के खून से होली खेलना चाहते हैं । इन्हें शर्म करनी चाहिए ।

Shri Satpal: Sir, a responsible Member of the House is telling. (Noise and interruption)

Mr. Speaker: Everybody sit down. (Noise and interruption) प्लीज बैठिए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : सर, ये भाई-चारा खराब कर रहे हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर, अभी सांगवान जी इनका भंडा फोड़ करने वाले हैं। ये उसको नहीं छुपा सकते । ये ऐसे नारे लगाकर अपने षडयंत्र से मुंह नहीं छिपा सकते ।

श्री अध्यक्ष : अशोक अरोड़ा जी, क्या मैं मिनिस्टर की स्टेटमैंट करवाऊं?

श्री सतपाल : सर, ये बहाना बना रहे हैं और इन्होंने बहाना बनाकर बाहर जाना है।

(इस समय विपक्ष के सभी सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर खड़े होकर जोर-जोर से नारे लगाने लगे।)

श्री सतपाल: स्पीकर सर, जो हाऊस को डिस्टर्ब कर रहे हैं और दूसरों को तानाशाह बता रहे हैं। टोटल हरियाणा को डिस्टर्ब करने वाले हमारे ये विपक्ष के साथी हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Go back to your seats. सब अपनी-अपनी सीटों पर जाईए।

श्री आनंद सिंह दांगी: अध्यक्ष महोदय, क्या यह सिस्टम ऐसे ही चलेगा? आप भी चुपचाप होकर इनकी बातें सुनने लग रहे हो। (शोर एवं विघ्न) कितनी बुरी तरह से सदन का समय बर्वाद किया जा रहा है। यह लाठी गोली चलाने वाले आज सत्ता से बाहर हैं और यही हाल इन लोगों का हमेशा बना रहेगा। (शोर व विघ्न) जिस प्रकार आज बड़ी शांति से इस प्रदेश का विकास होने लग रहा है (शोर व विघ्न) यह इन लोगों को सहन नहीं हो रहा है। (शोर व विघ्न) अनहोनी बातों को लेकर सदन का समय नष्ट किया जा रहा है। (शोर व विघ्न)

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I am on my legs, please sit down. (interruption) Hon'ble Members, in such a way you are shouting from your seats, howsoever important the issue may be that cannot be discussed in such an atmosphere generated by you. Both sides, I must say, how it is possible for me to understand as to what are you saying? If you will ask me then I should ask a particular member to make a statement. I can do that but rest of the House then has to keep quite. If the rest of the House is not keeping quite then that statement will not be heard. So, you please restore the order in this house. जो बात कहनी है उसको ढंग से कहने का एक तरीका निकाला जाये! इस तरह बात नहीं करनी चाहिए इस

तरह रक्स क्रीएट होगा। जो बात जाप उठाना चाह रहे हो, वह तो उठा नहीं पा रहे हो। इससे आपकी दोनों ही बातें कामयाब नहीं हो पा रहीं हैं इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान रिखये (विघ्न)। विज जी, आप फिर बोल रहे हो। देखो हर चीज करने का एक ढंग होता है, मैं आपसे अलग से भी बात कर लूंगा। अगर आप चाहते कि इस इशू पर कोई बातचीत हो तो इसका ढंग शोर शराबा नहीं है अगर इसका ढंग यही है तो दांगी साहिब ठीक ही कह रहे थे। मैं एक साईलैंट स्पैकटेटर इस पर बना नहीं रहूंगा। मुझे असैंबली के हर कानून और नियम का पता है जिसके अनुसार मैं ऐक्शन ले सकता हूं, इसलिए आप सदन की गरिमा का ध्यान रिखये (विघ्न) विज साहिब आपके हा भरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो भी आपको बात समझ में आ रही है। प्लीज, आप शांत रहिए और जो भी बोलना चाहे (विघ्न) आप लोग शांति से बैठिये। सांगवान जी, आपने क्या कहा था पहले आप अपनी बात कहिए। (शोर व विघ्न)

Mr. Speaker: Let me know क्या कह रहे हैं? (शोर व विघ्न) Ram Palji, I have to name you if you are not listening to me. (Noise and Interruption). I will name. (Noise and interruption)

श्री सतपाल: अजय जी, आप मुझे इस तरह से आँखें क्यों दिखा रहे हो? क्या आप मेरे को मारोगे? He is threatening me like anything, why? (Interruption).

Mr. Speaker: Hon'ble Members, please restore the order of the House otherwise, I have to name you. (Interruption)

कैप्टन अजय सिंह यादव: स्पीकर साहिब, जब आपने श्री सतपाल सांगवान को बोलने के लिए अलाऊ किया है तो उन्हें बोलने का मौका मिलना ही चाहिए! (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: स्पीकर सर, रामपाल माजरा जी को अपनी बात तो कर लेने दो ! हम यह चाहते हैं कि हमारी बात का पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर जवाब दें, सांगवान साहब जवाब दें, मुख्यमंत्री जी जवाब दें पर पहले इन्हें अपनी बात कह तो लेने दें ।

श्री अध्यक्ष: अरोड़ा साहिब, मुझे यह ही नहीं पता कि सांगवान साहब कहना क्या चारु रहे हैं। (शोर व विघ्न) अब मुझे सुनने तो दो कि वह क्या कहना चाह रहे हैं। (शोर व विघ्न)

सहकारिता मंत्री (श्री सतपाल): स्पीकर सर, मैं तो केवल दो मिनट ही बोलूंगा बशर्ते इनकी सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। (शोर व विघ्न)

श्री अध्यक्ष: आप लोग मुझे सुन तो लेने दीजिए कि ये क्या कहना चाहते हैं। मंत्री जी, आप बोलिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सतपात : स्पीकर सर, मैं तो दो मिनट बोलूंगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा। (शोर एवं व्यवधान) इनको सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। स्पीकर सर, जहां तक जाट आंदोलन का सवात है। (शोर एवं व्यवधान) जो एक लड़का आंदोलन में मारा गया है उस लड़के के परिजनों को हमारे एक विपक्ष के साथी, इनैलो के विधायक जो कि इस असैंबली के मैंबर हैं, ने बड़े ही प्रीपगैंडे के तहत टेलीफोन करके कहा कि जब तक मैं न कहूं, तब तक उसका दाह

#### (श्री सतपाल)

संस्कार नहीं करना है । (शोर एवं व्यवधान) मैं दाह संस्कार में आऊंगा । मेरे सायी ने अभी इस बात को ऐग्री भी किया है । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौचरी: अध्यक्ष महोदय, इससे बुरी बात कोई और हो नहीं सकती है। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय सदन में इंडियन नेशनल लोकदल के उपस्थित सभी सदस्य व भारतीय जनता पार्टी के उपस्थित सभी सदस्य सदन में नारेबाजी लगाने लगे।)

श्री सतपात: अध्यक्ष महोदय, इस हाउस में ये मान रहे हैं, इससे बड़ी और क्या बात होगी। ये लाठी गोली चलाने वाले कौन हैं, 90 परसैंट इनके ऑफिस बेयरर हैं। लाठी गोली चलाने वाले तो ये लोग हैं। (शोर एवं व्यवधान) एक इतना जिम्मेदार विधायक होते हुए ऐसी बातें कहता है और फिर ये कहते हैं कि यह ऐजीटेशन हमने किया है। यह सारा का सारा ऐजीटेशन इनका मैंड है, उसमें सारे इनके पदाधिकारी उसमें हैं it is totally mend by these people और यहां आकर ये कहते हैं कि वहां लाठी, गोली चली है। (शोर एवं व्यवधान) ये सारा का सारा मैटर खत्म हो गया था लेकिन इन्होंने फिर से यह शुरू कराया है। (शोर एवं व्यवधान) हम प्रूफ दे सकते हैं सर, ये जाटों का आंदोलन नहीं है। It is mend by Indian National Lokdal. जाट हम भी हैं। अब इंडियन नेशनल लोकदल के सदस्य प्रदेश में भाईचार को बिगाड़ रहे हैं, यहां जो 36 बिरादिरयों का भाईचारा है, ये उसको खराब कर रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि यदि हरियाणा प्रदेश को बचाना है तो इनको कहो कि ये इस मामले में कुछ तो समझदारी बरतें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी सेवा में एक कालिंग अटैंशन मोशन हिसार में जाट आंदोलन में पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में दिया था उसके बारे में बताएं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Anil Vij ji, please sit down, I have disallowed it,

श्री **अनित विज:** स्पीकर सर, मैं जानना चाहता हूं कि उसे क्यों डिसअलाऊ किया है? (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: I have disallowed it. (Noise and Interruption) It is my power to disallow it. You resume your seat on this question. Please sit down. (Noise & Interruption)

Ahri Anil Vij : Speaker Sir, -----(Noise & Interruption)

Mr. Speaker: Anil Vij, I warn you. Please resume your seat. (Noise & Interruption)

श्री **अनित विज:** स्पीकर सर, मैं जानना चाहता हूं कि उसे क्यों डिसअलाऊ किया है? (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: I have disallowed it. It is my power to disallow it. I warn you again. Please sit down (Noise & Interruption)

श्री अनित विज: स्पीकर सर, ----- (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Anil Vij, I warn you again otherwise I will have to name you. Please resume your seat. I am requesting you last time. (Noise & Interruption)

श्री जनिल विज: स्पीकर सर, ----- (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विज साहब, मैंने आपको कई बार वार्न किया है कि आप बैठ जाएं ! फिर भी आप अपनी सीट पर नहीं बैठ रहे हैं ! मैंने आपका कालिंग अटैंशन मोशन डिसअलाऊ कर दिया है । (शोर एवं व्यवधान) I have disallowed it. (Noise & Interruption) It is my power to disallow it. You resume your seat on this question. Please sit down. I have disallowed your question and if you further speak, I will name you.

श्री अनित विज: स्पीकर सर, ----- (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : I am naming Shri Anil Vij. विज साहब, सदन से बाहर चले जाएं।

श्री अनिल विज: स्पीकर सर, ----- (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Anil Vij, you may leave the House. Are you questioning my authority? You leave the House. Nobody should question my authority. You leave the House. (Noise & Interruption) You please leave the House.

(At this stage, Shri Anii Vij, did not withdraw from the House and continously interrupting the proceedings of the House).

Mr. Speaker: Marshal, take him out of the House. (Noise & Interruption)

(इस समय विपक्ष के कई सदस्यों ने श्री अनिल विज को सदन से बाहर न लै जाने के लिए चारों तरफ से घेर लिया)

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, can anybody stop the marshals as Mr. Ajay Singh Chautala is doing? अध्यक्ष महोदय, अभय चौटाला जी मार्शल को रोक रहे हैं. क्या वे ऐसा कर सकते हैं? (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Mr. Ajay Singh Chautala come back to your seat. Marshal, remove Mr. Vij from the House. (Noise & Interruption)

Shri Randeep Singh Surjewala: How can he be stopped for implementing his duty? (Noise & Interruption) Sir, similar action has to be taken against those who are stopping the Marshal. (Noise and Interruption)

Mr. Speaker: Anybody who will stop the Marshal, I will also name him. (Noise & Interruption) I will name any person who will stop the Marshal to do his duty. (Noise & Interruption) Please leave the House, Mr. Vij. (Noise & Interruption) Mr. Vij, please leave the House. Marshal, remove him from the House. (Noise & Interruption) Anybody who will stop the Marshal, I will also

[Mr. Speaker]

name him. Go back to your seats. Marshal, remove Mr. Vij from the House. (Noise & Interruption)

(At this stage, the Sergeant-at-Arms with the aid of the Watch and Ward Staff removed Shri Anil Vij from the House.) (Noise and Interruption)

#### वाक-साउट

श्री कृष्णपाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा हमारे माननीय सदस्य को बिना वजह ही सदन में नेम किया गया है जबकि वह अपनी बात कहना चाह रहे थे इसलिए हम एज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक-आऊट करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

(At this stage, Shri Krishan Pal Gurjar and Smt. Kavita Jain, members of the Bharatiya Janata Party staged a walk out as a protest against naming of Shri Anil Vij, M.L.A.)

# सदस्यों का नाम लेना

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: स्पीकर सर, ये तो अपने समय में मैम्बर्ज को फिजीकली उठवाते थे (शोर एवं व्यवधान) कुछ शर्म करो। उस समय अरोड़ा साहब आप तो स्पीकर होते थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : किसने उठवाया?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : जब आप स्पीकर होते थे ।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: मैंने कभी भी एक मैम्बर के साथ ऐसा नहीं किया।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: जब हम अपोजिशन के बैंचिज पर हुआ करते थे। अशोक अरोड़ा जी आपने भी कैप्टन अजय सिंह यादव जी को फिजीकली उठवाया था। यहां से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की उंगली चलती थी। रामपाल जी यहीं खड़े हैं वे कह दें कि वे ऐसा नहीं करते थे। कैप्टन अजय सिंह भी कह सकते हैं कि आप फिजीकली लिफ्टिंग करवाते थे। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, ये मार्शल को गुण्डा कैसे कह सकते हैं?

Mr. Speaker: I am also naming Shri Abhey Singh Chautala. (Noise and Interruption)

कैप्टन अजय सिंह यादव: स्पीकर सर, ये आपको भी थ्रैट कर रहे हैं।

Mr. Speaker: Is this his way talking to the Chair? Shri Abhey Singh Chautala cannot talk to me like this. (Noise and Interruption) He cannot talk to me like this.

Shri Randeep Singh Surjewala: How can he call the Marshal as 'Gunda'? (Noise and Interruption)

Mr. Speaker: I am also naming Shri Ram Pal Majra. Remove him from the House also. (Noise and Interruption)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, इनके दिन अब लद चुके हैं। (शोर एवं व्यवधान)

(At this stage, the members of the Indian National Lok Dal started shouting the slogans.)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, तानाशाही वाला व्यवहार करने की इनको आदत पड़ चुकी है। सर, इनके दिन अब लद चुके हैं। (शोर एवं व्यवधान)

(At this stage, some of the members of the treasury benches also started raising the slogans.)

Mr. Speaker: I named Shri Abhey Singh Chautala and Shri Shri Ram Pal Majra. I am also naming Shri Dilbag Singh, Shri Jagdish Nayar, Shri Phool Singh Kheri, Shri Krishan Lal Panwar, Shri Ganga Ram, Shri Charanjit Singh, Shri Pardeep Chaudhary, Shri Ashok Kashyap, Shri Rameshwar Dayal, Shri Kali Ram Patwari, Master Dharam Pal Obra, Mohd. Illyas, Shri Prithi Singh and Shri Mamu Ram. (Noise and Interruption)

(At this stage, all the named Members did not withdraw from the House and start raising slogans.)

Mr. Speaker: Marshal, remove them all from the House. All these members have been named. They may please leave the House. (Noise and Interruption)

(At this stage, the Sergeant-at-Arms with the aid of the Watch and Ward Staff removed all the named members from the House.)

# संकल्प

Mr. Speaker: Nobody to stand. Everybody to sit. Let the order be restored.

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, यह जो हाउस में हो रहा है this is completely unprecedented. (Interruption) The Minister is speaking. ऐसे में पूरे हाउस की गरिमा को खराब करने की कोशिश की जा रही है। मेरे मिनिस्टर कुलीग सतपाल सांगवान ने एक अहम बात कही है जिसके ऊपर मैं समझती हूं कि इस सदन को बहुत अच्छी तरह से गौर करना चाहिए और उस पर कार्यवाही करनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उन्होंने क्या कहा है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, \*\*\*\*\*

श्री शेरसिंह बडशामी : अध्यक्ष महोदय, \*\*\*\*\*

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, ये सतपाल सांगवान की बात सुनने से डरते क्यों हैं? (शोर एवं व्यवधान) सतपाल सांगवान जी के पास ऐसा क्या है जिसकी बात सुनने से ये डरते हैं। लोकदल के लोग सतपाल सांगवान की बात सुनने से इतना डर क्यों रहे हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इनको अपनी बात कह लेने दो, आपको इस बात में तकलीफ क्यों है, आप बाद में जवाब दे देना।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, सतपाल सांगवान जी के पास ऐसा क्या है जिसको सुनने से ये डरते हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप सब बैठिए । आप बाद में जवाब दे देना । (शोर एवं व्यवधान) मंत्री जी, आप बोलिए, आप क्या कह रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री सतपाल: अध्यक्ष महोदय, जो जाट ऐजीटेशन चल रहा है उसमें भोले भाले किसानों को बहकाया जा रहा है, इसमें हमारे इनेलो के साथियों का हाथ है। मैं इसका हाउस में प्रूफ देता हूं। (शोर एवं व्यवधान) उस ऐजीटेशन में जिसके बच्चे की डैथ हो गई है उसके रिश्तेदारों को हमारे एक साथी ने टेलीफोन किया कि जब तक मैं न कहूं उसका दाह संस्कार नहीं करना है। ये हाउस में मान गए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह किसने कहा है।

श्री सतपात: अध्यक्ष महोदय, ये स्वयं ही मान गए हैं। हाउस में मान गए हैं। अशोक अरोड़ा जी से पूछ लो। हमारे साथी अजय चौटाला जी ने कहा है और ये हाउस में इस बात को मान गए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: I will hear you.

श्री सतपाल: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने हाउस में माना है। इन्होंने अशोक अरोड़ा जी के आगे 'हां' मरी है। (शोर एवं व्यवधान) इन्होंने मेरे को अभी कहा है कि हां मैंने कहा है तू कर ले जो कुछ करना है। (शोर एवं व्यवधान) अगर अरोड़ा जी भगवान को साक्षी मानते हैं तो ये कह दें कि इन्होंने ऐसा यहां नहीं कहा। सर, यहीं कहा है, मेरे और भी साथी यह बात सुन रहे थे। (शोर एवं व्यवधान) इसी हाउस के अंदर इन्होंने यह कहा है। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर व्यवधान) इन्होंने यह कहा है। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, यदि अरोड़ा जी में इस हाउस में सच बोलने की हिम्मत है, तो वे इस बारे में बतायें। इनके आगे ही मिठ अजय चौटाला ने एग्री किया है। (शोर एवं व्यवधान)

Smt. Kiran Chaudhary: Speaker Sir, Hon'ble Minister is making his statement in this august House and it is a very-very serious matter. (Interruption)

(8)49

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, nothing more serious than that. Let at least Shri Sangwan Sahib complete his Statement. (Interruption)

Mr. Speaker: Have you completed your statement? (Interruption)

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, he has not completed his statement. Let Sangwan Sahib complete his statement. (Noise and Interruption)

श्री सतपात : अध्यक्ष महोदय, ये बीच में ही खड़े हो गये। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हमारे एक सीनियर मैंबर ने (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सांगवान साहब, क्या आपने इस बात की सीरियनैस को समझा कि आपने सदन के एक माननीय सदस्य श्री अजय सिंह चौटाला जी का नाम लेकर यह बात कही है।

श्री सतपात : अध्यक्ष महोदय, जी हां, इन्होंने यह बात कही है । अरोड़ा साहब भी बैठे हैं, इन्होंने मेरी तरफ आंख करके यह बोला कि मैंने कहा था जो कुछ करना है, कर ले । आप इनसे पूछ लें । (शोर एवं व्यवधान) Speaker Sir, he just now told me this thing in the House itself. (Noise and Interruption)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, ये लोग लाशों पर भी राजनीति करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सतपात : अध्यक्ष महोदय, ये लोग कह दें कि इन्होंने ऐसा नहीं कहा ! (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप सभी बैठें।

डॉo अजय सिंह चौदाता: स्पीकर सर, मेरे एक सम्मानित साथी ने नाम लेकर मेरे ऊपर यह इल्जाम लगाया है कि मैंने जाट आंदोलन में मरे हुए एक साथी के किसी रिश्तेदार को टेलीफोन करके यह कहा कि जब तक मैं न कहूं, तब तक उसका दाह संस्कार न किया जायें माननीय स्पीकर सर, मैं पहली बार नहीं पिछले 20 सालों से महान् सदनों का सदस्य रहा हूं। मुझे यह पता है कि मुझे क्या कहना चाहिए, कहां कहना चाहिए और कहां नहीं कहना चाहिए। जो बातें यहां पर की गई हैं वे बहुत अशोभनीय हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले दिन ही इस सदन में यह कहा था कि ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करें और सदस्यों को एजूकेट करें। जिस तरीके का बर्ताव और व्यवहार यहां किया जा रहा है, वह बहुत अशोभनीय और नींदनीय है। यहां पर कल एक मंत्री ने इनैलो पार्टी का नाम लेकर ब्यान दिया कि इनैलो के लोग इन्वौल्व हैं, टेलीविजन पर भी उन्होंने स्टेटमैंट जारी किए। मैंने कहा इनैलो का अगर कहीं हाथ है या इन्वौल्व है तो उनको पकड़ा जाये और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करके सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: माननीय सुरजेवाला जी ने यह बात कही थी ! चलो इनसे पूछेंगे । Yes, please I am listening you. Nobody will speak here.

डॉ० अजय सिंह चौदाता: जी हां! आप जिससे मर्जी पूछें लेकिन मैं अपनी बात एकसप्लेन कर रहा हूं! जिस तरीके से यहां पर प्री-प्लांड से कुछ लोगों को\*\*\*\* सिलसिला आपने शुरू किया है, वह अच्छा नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

[डॉ० अजय सिंह चौटाला]

श्री अध्यक्ष : अजय जी ने जो अनपार्लियानैंद्री शब्द कहे हैं वे ऐक्सपंज कर दिए जायें ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, अजय सिंह जी ने चेयर पर इस तरह के ऐक्स्पर्शन किए हैं It should not recorded. He should withdraw these words.

श्री अध्यक्ष : ठीक है, यह शब्द कार्यवाही से निकाल दिए जाएं !

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, he should apologize. You can not say such things.

डॉं अजय सिंह चौदाला : स्पीकर सर, मैं चेयर का सम्मान करना जानता हूं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, यदि ये चेयर का सम्मान करना जानते तो यह न कहते कि चेयर " " " निकलवाने का काम करती है। (शोर एवं व्यवधान) क्या इस तरह की बातें कहकर आदरणीय चौटाला जी चेयर का सम्मान करना जानते हैं। He should apologize for itself, Sir and an apology is in place. Sir this kind of aspersion on the Chair (Interruption).

डॉं० अजय सिंह चौदाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने चेयर को नहीं कहा । मैं चेयर का सम्मान करता हूं । मैंने यह कहा कि कुछ लोग ऐसा करवाते हैं (शोर एवं व्यवधान)

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, if it is not aspersion on the Chair then these aspersions are on the Government. It is even more unacceptable. We do not accept it.

श्री आनंद सिंह दांगी: स्पीकर सर, अजय जी यह कह रहे हैं कि इन्होंने चेयर को नहीं कहा। सारे सदन ने और यहां बैठी पब्लिक ने सुना है। इन्होंने आपको इंडीकेट करके कहा है कि आप \* \* \* दिलवाने का काम करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष :** ठीक है, record will tell. रिकार्ड निकलवाकर सुन लेते हैं ! (शोर एवं व्यवधान) आप रिकार्ड दिखाइये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: सर, इनको इस विषय पर सदन में माफी मांगनी चाहिए! He should withdraw his words.

डॉं अजय सिंह चौदाला: अध्यक्ष महोदय, मैंने चेयर पर ऐस्पर्शन नहीं किया । मैंने कहा कि कुछ लोग यहां उकसा करके \* \* \* निकलवाने का काम करते हैं ।

श्री अध्यक्ष : अजय चौटाला जी जो कह रहे हैं उसे रिकार्ड न किया जाए।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, यह इन्होंने अपनी बात कही। किसी सदस्य ने इनका नाम लिया ये अपनी बात कह रहे थे और जब ये अपनी बात कह रहे थे ती उस समय इन्होंने चेयर के बारे में कहा। आपने रिकार्ड मंगवाया है। इसलिए पहले आप

<sup>\*</sup>चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

रिकार्ड देख लें। अगर अजय जी ने कोई ऐसी बात कही है तो उसके लिए इनको माफी मांगनी वाहिए और अपने लफ्ज़ वापिस लेने चाहिएं। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, मैं अपनी बात कहने के लिए खड़ा हूं इसलिए आप अजय जी को बैठने के लिए कहें। सर, माननीय सदस्य अब यह कह रहे हैं कि वह बात उन्होंने चेयर के बारे में नहीं कही है। इनके ऐसा कहने पर सवाल खत्म हो जाता है लेकिन ऐसा नहीं है सवाल खत्म नहीं हुआ क्योंकि उस समय अगर ये यह नहीं कहते तो ही सवाल खत्म होता लेकिन उसके बाद भी इन्होंने उस बात को दोहराया है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि आप रिकार्ड देख लें और रिकार्ड देखने के बाद आप फैसला करें। अगर इन्होंने ऐसा कहा है तो he should apologize. इनको हर हाल में माफी मांगनी ही चाहिए और अगर ये माफी नहीं मांगते तो फिर सदन की गरिमा कैसे बरकरार रहेगी?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर कोई कत्ल करके माफी मांग ले तो क्या बात खत्म हो जायेगी? He has to apologize. This is the reflection on the whole House, Sir. This is not your Chair alone, Sir. We humbly request to you for your ruling on this issue, Sir.

Mr. Speaker: Let me see the record first.

-

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, before we proceed further and before my learned friend says anything further, आप रिकार्ड देख लें because it is a very serious matter. स्पीकर सर, इससे ज्यादा गम्भीर आरोप इस चेयर पर और इस सदन पर मेरी जानकारी में कभी किसी माननीय सदस्य द्वारा नहीं लगाया गया है। यह एक बहुत ही गम्मीर विषय है । सर, मेरी आपसे हम्बल रिक्वैस्ट है कि पहले आप रिकार्ड देखें और उसके बाद ही इस हाउस की प्रोसीडिंग्स को आगे चलाया जाये । स्पीकर सर, दो मिनट की बात है आप अमी रिकार्ड मंगवा लें और उसे जांच लें । (शोर एवं व्यवधान) सर, ये हाउस ऐसे नहीं चल सकता । No Member can hold this House to ransom. No Member can cast aspersion on the entire House and on the Chair in this fashion, Sir. He is a respectable Member. He has been Member of Parliament. He is a Member of Legislative Assembly more than one year. He has no right to hold the House to ransom. He cannot cast aspersion on the whole House. Sometimes, he says that he did not cast aspersion on the Chair. If so, then whether it was an aspersion on the whole House? The House is bigger than even your Chair, Sir. The House is much bigger than the Chair. If he has not cast aspersion on the Chair, he has cast aspersion on the whole House, Sir.

श्री आनंद सिंह दांगी: स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही है कि इस सारे मामले से सम्बन्धित रिकार्ड निकलवाकर देखा जाये कि क्या वर्डिंग कही गई है? रिकार्ड निकलवाकर क्यों नहीं देखा जा रहा है? अगर रिकार्ड देख लिया जायेगा तो सारी बात साफ हो जायेगी। यह कोई कल की प्रोसीडिंग थोड़े ही है। यह तो आज की पांच मिनट पहले की ही प्रोसिडिंग है।

श्री अध्यक्ष: दांगी जी, भैंने रिकॉर्ड मंगवा लिया है। इसलिए रिकॉर्ड आ ही रहा है। I have called the record. (Noise and Interruption) Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, may I respectfully say one thing. The cumelative House is even bigger than the Chair of the Speaker because you draw your strength also from the majesty of the House Sir. If my learned friend has said he did not cast an aspersion on the Chair then it is a bigger aspersion not on the Chair but on the whole House. This is completely unacceptable and he has to apologize to the whole House, Sir.

डॉo अजय सिंह चौटाला: स्पीकर सर, ये पार्लियामैंट्री अफेयर्ज़ मिनिस्टर कैसे बेलगाम बोले जा रहे हैं?

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, this is not the way. I am saying respectfully to him. He is using the word like "बेलगाम" ये बिलकुल अशोभनीय है। मैं आदरणीय चौटाला जी को आदरणीय कहते-कहते थक जाता हूं लेकिन ये शब्दावली में और शब्दों के जात के अंदर खुद बेलगाम हुए जाते हैं। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, चेयर से बड़ा ग्रह हाऊस है और अब हाऊस के ऊपर ऐस्पर्शन किया गया है। Speaker Sir, this is extremely serious, most deplorable, most unparliamentarily and totally unacceptable. Speaker Sir, you have to give a ruling. I am humbly requesting you on behalf of the entire House.

Mr. Speaker : I will first hear what he has said. टेप तो होगा इसलिए हाउस में इसको चलवाईये । I am taking a very serious view of it.

डॉ० अजय सिंह चौदाला : अध्यक्ष महोदय, \*\*\*\*\*\* (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, ये लोग टेप की आवाज को भी दबाना चाहते हैं । आपने टेप की रूलिंग दी है तो फिर टेप को सुन तो लें ! (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Please, let me hear what has been said about the Chair.

डॉं० अजय सिंह चौदाता: अध्यक्ष महोदय, मैंने चेयर से निषेदन किया है कि मैं कोई अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजैवाला: अध्यक्ष महोदय, मेरा भी चेयर से निवेदन है कि आपने रूलिंग दी है इसलिए हम उस रूलिंग तक तो रुकें और पहले टेप चलवा कर देख लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ठीक है, पहले टेप चलाईये ! Let me hear.

(इस समय डॉ॰ अजय सिंह चौटाला की बात को सुनने के लिए हाउस में टेप चलवा कर सुनी गई 1)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, टेप को सुनने के बाद अब तो कोई सन्देह नहीं रहा है।

डॉ॰ अजय सिंह चौयाता: अध्यक्ष महोदय, मेरी चेयर के प्रति कोई ऐसी भावना नहीं थी। मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मैंने कभी चेयर को अपमानित करने का प्रयास नहीं किया। Mr. Speaker: His apologies may be recorded. Let's proceed.

डॉo अजय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को पुनः शुरू करते हुए कहता हूं कि जिस तरीके के प्रदेश के हालात हैं और निरन्तर खराब होते जा रहे हैं, हमने कल मी हाउस में प्रयास किया या और आज भी इस बात का प्रयास किया कि आप हमारी बात सुन लें, परन्तु बजाय हमारी बात सुनने के दूसरी तरफ से किस तरीके से नारे लगाये जा रहे थे वह आपने स्वयं सुना है। किस तरह की बात की जा रही थी, आपने स्वयं सुनी। मैं अपने लोगों की पैरवी नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि स्पीकर साहब ने सुना। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह जून: अध्यक्ष महोदय, हम तो अपनी सीटों पर ही नारे लगा रहे थे और गालियाँ तो नहीं निकाल रहे थे जबिक इनके सदस्य तो हाउस की वैल में आकर नारे लगा रहे थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अजय जी, आप बोलिये।

डॉo अजय सिंह चौदाला: अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से एकतरफा जो कुछ किया जा रहा है, वह उचित नहीं है।

वित्त मंत्री (सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा): अध्यक्ष महोदय, यह एकतरफा वाली बात कहना ठीक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ॰ अजय सिंह चौदाला: इसमें गलत क्या कह दिया। चट्ठा साहब, आप मुझे बता दीजिए कि मैं क्या बोलूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: सर, कीन कर रहा है? Sir, it is an aspersion on the House or aspersion on the Chair. अध्यक्ष महोदय, जो अजय सिंह चौटाला जी कह रहे हैं यह पूरे हाउस के बारे में कह रहे हैं या ये आपके बारे में कह रहे हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मेरा एक सुझाव है, देखिये ऐसा है कि क्षमा माँगने से आदमी बड़ा होता है। अजय सिंह जी ने अपने शब्द वापस ले लिये हैं, यह अच्छी बात है, अच्छी पार्लियामैंट्री प्रेक्टिस है और आप अच्छे, सम्य, सौम्य और मधुर तरिके से अपनी बात कहते हैं। मैं तो सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि इस सदन के सदस्य और सम्मानित मंत्री श्री सांगवान ने आपका नाम लेकर कहा है आप उस पर आईये। देखिये उस दिन की बात मैं नहीं करना चाहता लेकिन उस दिन पहले नारेबाजी आपकी तरफ से शुरू हुई थी उसके बाद इधर से शुरू हुई थी। दोनों तरफ से हुई थी, आप इस पर अपनी बात कहिए। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ॰ अजय सिंह चौदाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मेरा नाम लेकर यह बात कही। हम आपस में एक दूसरे के साथ बैठकर क्या-क्या बात करते हैं, क्या-क्या तकरार करते हैं, यह बात आप भी चेयर पर बैठें हुये सारा दिन देखते हैं। मैं कमी इस तरह की बात नहीं करता। परन्तु जिस तरीके से माननीय सदस्य की तरफ से उकसाने वाली बातें कही गई तो मैंने कहा कि सांगवान जी आपके मुँह से ऐसी बातें उचित नहीं लगती इसलिए आप ऐसा मत

[डॉ० अजय सिंह चौटाला]

कहें, लेकिन मेरे इतना कहने के बावजूद मी इन्होंने बार-बार फिर उसी बात को दोहराया। जब माननीय मंत्री महोदय की तरफ से इस प्रकार की बात की गई तब भी मैंने इन्ट्रण्ट करके कहा कि ये बात पूरी तरह से गलत है कि मैंने किसी को टेलीफोन किया, अगर मेरे द्वारा इस तरह का कोई टेलीफोन किया जाना पूच कर दे तो माननीय मंत्री महोदय की उपस्थिति में कहना चाहता हूं कि आप हाउस की एक कमेटी मुकर्रर कर दें, वह कमेटी इस सारे मामले की इंक्वायरी कर दे। उस इंक्वायरी पर जो फैसला आप करेंगे, वो मुझे मंजूर होगा, इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप श्री सांगवान जी को तुरन्त कहें कि मेरा नाम लेकर जो इन्होंने बात कही है ये उसे वापस लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सांगवान साहब, आपने जो ये कहा है कि आपको सदन में इन्होंने कहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे।

श्री सतपात : ऐसा है स्पीकर सर, मैं अभी जब कह रहा था कि एक माननीय सदस्य ने किसी को टेलीफोन किया उनके रिश्तेदार को कि जब तक मैं नहीं कहूं तब तक आप दाह संस्कार मत करना । इन्होंने ऐग्री किया अरोड़ा साहब बैठे हैं, ये भी बैठे हैं, ये मुझे बोले कि ये मैंने कहा है तू कर ले जो कुछ करना हो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता (शोर एवं व्यवधान) अरोड़ा साहब, आप बता दें। आप तो सीनियर मैंबर हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री सूरजेवाला जी, आप सब बातों का जवाब देना । पहले आप श्री अरोड़ा जी को बोलने दीजिए । अरोड़ा जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: स्पीकर सर, सांगवान साहब ने अजय सिंह जी का नाम लिया है, हाऊस में लिया है, वह रिकॉर्ड भी निकलवा लिया जाए। अजय सिंह जी ने अपने जवाब में कहा है कि अगर मैंने कोई टेलीफोन किया है तो उसकी जांच करने के लिए हाऊस की कमेटी बना दी जाए वह कमेटी जो भी सजा देगी, उसे वह मुगतने के लिए तैयार हैं। वहीं कमेटी यह भी निर्णय ले कि अगर सांगवान जी की बात झूठी पाई गई तो इनको क्या सजा मिलेगी?

श्री आनंद सिंह दांगी: स्पीकर सर, इसमें कोई शक की बात नहीं है जिस तरह सांगवान साहब ने अजय सिंह का नाम ले कर कहा अजय सिंह इतने गुस्ते में थे शायद कुछ भी हो सकता था और कोई भी बात कर सकते थे। इन्होंने ये कहा कि जो कुछ मैंने करना था वह कर दिया है अब तू कर ले तुझे जो कुछ करना है यहां तक की वर्डिंग हुई है। ये अरोड़ा साहब क्यों नहीं कहते, अरोड़ा साहब साथ में बैठे हैं ये कैसे सारी बातें सुनने लग रहे हैं, पता नहीं कैसे इन्कार कर रहे हैं। ये तो पास बैठे हैं इसलिए इनको तो सारी बात सुनाई दी होगी क्योंकि सारी बात हमारे तक भी सुनाई दे रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: स्पीकर सर, आपने उन्हें परिमट कर दिया था। Speaker Sir, there is something I have to intervene on. It is a very serious matter. Sir, Not one but two Members have gone on record. (Noise and Interruption) स्पीकर सर, हाऊस के अन्दर भी और बाहर भी विषद्य के साथी दोगली राजनीति करते हैं। (शोर एवं

व्यवधान) क्या अब विपक्ष के साथी हरियाणा के नौजवानों की लाशों पर भी राजनीति करेंगे? (शोर एवं व्यवधान) क्या विपक्ष के साथी समाज को बांटने का काम करेंगे। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, पहले मैंने आपसे बोलने की परमीशन मांगी थी इसलिए मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया जाए।

श्री आनंद सिंह दांगी: स्पीकर सर, ये सांगवान जी और अजय जी दोनों की आपस में कन्दरसेशन है। यह रिकॉर्ड की बात नहीं है क्योंकि ये बातें रिकॉर्ड पर नहीं आई (शोर एवं व्यवधान) हम बैठे हैं ये सभी बातें हमने सुनी हैं, यह रिकॉर्ड का मैटर ही नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सतपाल: माननीय अरोड़ा जी अगर ये कह दें कि अजय जी ने यह नहीं कहा कि ये टेलीफोन मैंने किया है तूं कर ले जो कुछ करना हो। अरोड़ा साहब भगवान को साक्षी मान कर आप सच बोलिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री अरोड़ा जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या इन दोनों की आज आपस में हीटेड बातें हुई हैं या नहीं हुई हैं, आप बताएं।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, सांगवान साहब जी श्री अजय सिंह पर बैठे-बैठे इल्जाम लगा रहे थे। ये बैठे-बैठे कुछ बात कर रहे थे। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Randeep Singh Surjewala: Sir, it is a Pointed question and Pointed answer.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: स्पीकर सर, क्या बात हुई वह तो सांगवान साहब जाने या अजय जी जाने, परन्तु सर, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हाऊस के कस्टोडियन हैं। जो बातें सांगवान साहब ने बैठे-बैठे की ना उनका यहां रिकॉर्ड है और जो बातें अजय सिंह ने की, ना उनका रिकॉर्ड है। सर, सांगवान साहब ने बाद में यहां पर जो अपनी स्टेटमेंट अजय सिंह जी का नाम लेकर दी है कि अजय सिंह जी ने उनको फोन किया, इसका मेरे पास रिकॉर्ड है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बारे में हाऊस की एक कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी में सारा रिकॉर्ड मंगाया जाए, अगर उसमें सांगवान साहब को दोषी पाया जाए तो उनको सजा मिले और अगर श्री अजय सिंह ने उनको उकसायां है तो इनको सजा मिले। (विघ्न) ये बिल्कल स्पष्ट बात है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सतपात: स्पीकर सर, मैंने अजय जी का तो नाम ही नहीं लिया या बावजूद इसके यह मुझसे कह रहे हैं कि जो कुछ किया है मैंने किया है और जो तुम्हारे से होता है मेरा कर लों इस तरह बात करना अशोमनीय है। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, मेरा चौधरी अजय सिंह चौटाला जी, अरोड़ा जी तथा दूसरे साथियों से बहुत लंबा वास्ता रहा है। मैं तो अभी पिछले ढाई साल से कांग्रेस में आया हूं मैं तो इनके साथ ही रहा लेकिन। I have never seen him in this type agitated way how he was behaving Mr. Sangwan or direct जिस तरह से ये धमकी भरी लैंच्वेज इन्होंने बोली कि 'मैंने कहा है और जो कुछ मेरा करना है आप कर लो' मैंने इनके मुंह से इस तरह

[प्रो० सम्पत सिंह] लैंग्वेज आज तक नहीं सुनी थी। (शोर एवं व्यवधान) I have never seen (Noise & Interruption)

श्री सतपात : अरोड़ा जी, आप तो यहीं बैठे थे, आप ही बता दीजिये कि इन्होंने धमकी भरी बात कही या नहीं । (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Hon'ble Minister, you will speak in the last.

प्रो० सन्पत सिंह : स्पीकर सर, मैं चाहता हूं कि अगर हाऊस की सैंस हो तो जो यह ऐजिटेशन चल रहा है इसके लिए एक इन्ववायरी कमेटी बनानी चाहिए । कमेटी बैठाने से इस बात का पता लग जायेगा कि इस ऐजिटेशन में कौन लोग शामिल हैं, किस पार्टी के पदाधिकारी हैं तथा कौन रास्ता रोक रहे हैं, दोगली भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है । हाऊस के अंदर कुछ है और बाहर कुछ । 50-50 खापें रिक्वैस्ट करके आती हैं और लोग उन खापों की बातों को मान भी लेते हैं लेकिन फिर बात आती है कि खाप की बात को नहीं मानना । हरियाणा में खापों की मान्यता कोर्ट कचहरियों से बहुत ज्यादा है । खापें मुख्यमंत्री जी से मिलकर जाती हैं. सहमति जता के जाती हैं, आंदोलन को खत्म करने की बात करके जाती हैं, कमीशन की बात मानकर जाती हैं, टाईम लेकर जाती हैं लेकिन फिर भी ऐजिटेशन चल रहा है वास्तव में वहां पार्टी विशेष के लोग लगे हुए हैं । अगर यह बात गलत है तो कमेटी इसके बारे में बता देगी । स्पीकर सर, अगर आप चाहें तो अपने सोर्सेस से इन्क्वायरी करा सकते हैं कि किस पार्टी के पदाधिकारी वहां पर कार्यरत हैं जो आग लगाने का काम कर रहे हैं, भाईचारे को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, जात-पात फैलाने का काम कर रहे हैं । सर, पार्लियामैंट और असैंबली के चुनावों में पता नहीं कौन-कौन पिट जाता है परन्तु इस तरह पिटने के बाद इस तरह दुष्प्रचार करके अगर कोई जीवित होने का प्रयास करे तो वह उनकी भूल होगी वह किसी भी कीमत पर जीवित नहीं रह सकते । (शोर एवं व्यवधान)

डॉo अजय सिंह चौदाला : स्पीकर सर, एक मिनट मुझे भी बोलना है।

श्री अध्यक्ष: अजय जी, आपको भी बोलने का मौका देंगे। जब मैंने आपका नाम लिया था कि अजय जी आप बोलिये तो बड़शामी जी को हाथ नहीं उठाना चाहिए था कि मैं बोलूंगा। (शोर एवं व्यवधान) उनको खुद समझना चाहिए, He is a senior leader of your party.

श्री श्रेर सिंह बड़शामी: स्पीकर सर, आपने मेरे को कहा तो मैं खड़ा हुआ हूं ! अगर आप कहें तो मैं बैठ जाता हूं । जब अजय जी बोल रहे थे तो आपको उनको बोलने के लिए अलाऊ करना चाहिए था he is still continue तो ऐसे में मेरे को बोलने के लिए खड़ा नहीं करना चाहिए था । स्पीकर सर, मैं आपके कहने से खड़ा हुआ हूं !

श्री अध्यक्ष : बड़शामी जी, मैंने श्री अजय जी को बोत्तने के लिए कहा था आपने बीच में ही हाथ उठा लिया ।

श्री शेर सिंह बड़शामी : स्पीकर सर, मैं आपके कहने से ही खड़ा हुआ हूं यदि आप अजय जी को कांटीन्यू रखना चाहते थे तो रख सकते थे, ये आपका अधिकार है मेरा नहीं !

(8)57

श्री अध्यक्ष : अजय चौटाला जी, जो आप को बोलना है बोलिये मैं आपको इंट्रप्ट नहीं करूगा । बड़शामी जी इनके बाद आप बोल लेना !

डॉo अजय सिंह चौटाला: स्पीकर सर, प्रदेश में जो कमेटियां बनाने की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब है हरियाणा प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। मंत्री जी ने कल अपने ब्यान में पार्टी विशेष का नाम लिया। सारी बातें सत्य से परे हैं। हम तो खुद यह कहते हैं कि जो लोग इस तरह के जवन्य कृत्य में शामिल हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करों, उस हाथ को पकड़कर लोगों को दिखाओं और कानून के दायरे में सख्त से सख्त सजा दो। परन्तु प्रश्न उठता है कि वे लोग पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं केवल इल्जाम ही क्यों लगाये जा रहे हैं। (विह्न)

Mr. Speaker: Hon'ble Minister, I can allow you to speak, but I have promised Mr. Ajay to complete his statement.

डॉo अजय सिंह चौटाला: स्पीकर सर, मैं सम्मानित सदस्यों को कहूंगा कि ठीक है वे राज को खुश करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इस तरह की बेबुनियाद बातें न करें। वह मंत्री बनना चाहें तो कल बनें या आज बनें, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) मैं कह रहा हूं कि हम तो मंत्री बनाने वाले नहीं हैं, जब हम होंगे तो सोचेंगे। अब ये थोड़ी सहनशक्ति तो रखें। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Let him speak ये मुद्दों से नहीं हट रहे हैं। मैंने इनको अलाक किया है। अजय सिंह जी जितना बोल सकते हैं, इनको बोलने दीजिए, उसके बाद आपको बोलने का मौका दूंगा। I don't speak like this. अजय चौटाला जी, आप बोलिए।

डॉo अजय सिंह चौटाला: मैंने कहा कि जो मर्जी सरकार को ख़ुश करके मंत्री बनें और कुछ हासिल करना चाहें, वह भी करें। मेरे साथी सम्मानित सदन के सीनियर सदस्य हैं लेकिन वे इस तरह की बेबुनियाद और असत्य बातें करके लोगों को और सदन को गुमराह करने का प्रयास न करें। (विघन)

Mr. Speaker: Ajay ji, you may continue.

डॉo अजय सिंह चौटाला : मैं तो मुख्यमंत्री महोदय से कहूंगा कि एक-एक बार सबको मंत्री बना दें, मैं तो सबकी सिफारिश करता हूं।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, अजय सिंह जी नाम की भी सिफारिश करें कि मैं किसे-किसे मंत्री बनाऊं, ये मुझे अकेले में बता दें।

Mr. Speaker: Mr. Ajay Singh Chautala, you may continue.

डॉo अजय सिंह चौटाला: स्पीकर सर, जो गलत बात पूरे सदन में मेरा नाम लेकर कही गई है, मैं चाहता हूं कि उसे विडा करवाएं और उस सदस्य को कहें कि वह माफी मांगें ! आपने कहा कि माफी मांगने से आदमी बड़ा ही होता है इसलिए मैंने माफी मांगने में एक भिनट भी देर नहीं की । मेरा कहना है कि ये भी माफी मांगे ।

कैंप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूं कि मैं कई वर्षों से इस सम्मानित सदन का सदस्य हूं, मैंने कभी यहां ऐसा नहीं देखा कि यहां किसी को थ्रैटन किया गया हो। आज सपत सिंह जी ने कहा कि हाऊस की कमेटी बना दो, वह कमेटी इस बात का पता करे कि इस आंदोलन के पीछे कौन-कौन लोग हैं, जो वहां जाकर बैठते हैं इससे यह सिद्ध हो जाएगा कि भाईचारा बिगाड़ने वाले कौन लोग हैं? ये लोग आंदोलन की आड़ में प्रदेश में भाईचारे को बिगाड़ रहे हैं। उसमें इनैलो के बहुत से पदाधिकारी हैं। मेरा सुझाव है कि आप इस बारे में हाऊस की एक कमेटी बना दें और अगर यह बात न हो तो यह जवाब दें। (विष्न)

Mr. Speaker: I have given him unlimited time to speak. (Interruption)

श्री विनोद कुमार शर्मा: माननीय स्पीकर सर, ये अमी-अभी जो माननीय सदस्य ने कहा है, हमारे मंत्री जी और इनकी आपस में चर्चा हुई है। माननीय सदस्य ने कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा, मंत्री जी ने कहा कि मैं यह कह रहा था कि कुछ लोगों ने टेलीफोन किए हैं, उन लोगों को और कहा कि आप लोग लाश का दाड संस्कार मत होने दीजिएगा, जब तक कि मैं न कहूं, उन्होंने उस वक्त तक नाम नहीं लिया था। मंत्री जी ने कहा कि मेरे इतना कहने के बाद इन्होंने कहा कि हां हमने टेलीफोन किया है, कर लो जो करना है। (विघ्न) मैंने यह भी कहा कि माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि मैंने नहीं कहा । हाऊस के अंदर बैठे 3 सदस्यों ने इसकी ताईद भी की कि उन्होंने खुद अपने कानों से सुना कि माननीय सदस्य के यही शब्द थे। उनके साथ बैठे हुए सीनियर नेता अरोड़ा जी के बारे में भी कहा गया कि उन्होंने सुना, लेकिन वे इस बात पर चुप्पी साध गए। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि मैंने नहीं सुना कि क्या 16.00 बजे ऐसा टेलीफोन हुआ है जब तक यह नहीं कहा गया कि किसी सदस्य ने कहा है । लेकिन किस इन्सान ने कहा या किस सदस्य ने टेलीफोन किया है । इसके मायने हाऊस को समझ लेने चाहिएं कि पूरे प्रदेश में अफरा-तफरी मचाने की साजिश हो रही है। साजिश के पीछे कौन हैं ? साजिश करने वालों को नंगा करना बहुत जरूरी है और यह समझना भी बहुत जरूरी है कि किस तरह के मन्तव्य के साथ वे चल रहे हैं ? कैसे ये आज हरियाणा प्रदेश के लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं । राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रदेश के लोगों को आपस में लड़ाकर अपने साधन को साधने के लिए जो कार्य ये करना चाहते हैं, मैं इसकी पुरजोर निन्दा करता हूं और मैं चाहूंगा कि सदन को भी इस बात की निन्दा करनी चाहिए !

श्री श्रेर सिंह बड़शामी: स्पीकर सर, जाटों के आरक्षण को लेकर आज यह वाद-विवाद शुरू हुआ था और बहुत देर तक यह मुद्दा चलता रहा है। विपक्ष की तरफ से नारेवाजी हुई और ट्रेजरी बैन्चिज की तरफ से भी नारेवाजी की गई। अब यह मुद्दा ट्विस्ट कर गया है।

Mr. Speaker: This is a very serious matter.

श्री शेर सिंह बड़शामी: स्पीकर सर, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह मुद्दा ट्विस्ट क्यों कर गया है। अब यह मुद्दा दूसरी तरफ चला गया है। आपने सांगवान जी को भी सुन तिया। श्री अजय सिंह चौटाला जी ने क्या कहा आपने उसको भी पूरी तरह से सुन लिया। संकल्प (8)59

श्री सम्पत सिंह जी ने भी उसका संज्ञान लिया, दांगी साहब और अरोड़ा साहब ने भी कहा । इसका हल तो आपको निकालना है कि इसका क्या ऐदीईंस है कि श्री अजय सिंह चौटाला जी ने यह कहा या नहीं कहा । जो भी श्री अजय सिंह चौटाला जी के शब्दों के बारे में आपित उठाई गई थी कि यह चैयर पर ऐस्पर्शन है आपने उन शब्दों को विदड़ा कर लिया है । इस मुद्दे का हल निकालने के लिए हाऊस की कमेटी बना दी जाए । श्री सम्पत सिंह जी ने भी ऐसा ही कहा है कि हाऊस की कमेटी बना दी जाए । मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि प्रदेश के अन्दर लॉ एण्ड आर्डर की जिम्मेवारी सरकार की होती है । कोई बदमाशी करता है या कोई झगड़ा करता है तो सरकार उन पर मुकद्मा चलाये, उनको गिरफ्तार करें या जेल में डालें । यदि सरकार ऐसा करने में असफल हो चुकी है तब कमेटी बनाने का प्रश्न उठता है । इसी तरह से आपने अन्य सदस्यों को नेम किया, क्या प्रजातंत्र में ऐसा होता है?

Mr. Speaker: You cannot put question in this regard.

Shri Sher Singh Barshami : Sir I am talking only on reference. आपने गलत किया या ठीक किया, यह मैं नहीं कह सकता । आपने कुछ माननीय सदस्यों को नेम किया और वे सदस्य यहां से चले गये । यह आपका अधिकार बनता है कि किस प्रकार हाऊस में लॉ एण्ड आर्डर मेनटेन करना है और किस प्रकार से हाऊस को चलाना है । सर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि छोटी सी बात के लिए आपित उठाई गई कि चेयर पर ऐस्पर्शन है लेकिन जो सिक्योरिटी के लोग यहां पर जम्म करके आये हैं, उनको मैं क्या संज्ञा दूं । उसके लिए जिम्मेवारी किसकी होगी? स्पीकर साहब की होगी या सरकार की होगी या किसी बाहर के व्यक्ति की होगी । यह भी देखने की बात है? इस बारे में भी निर्णय लिया जाए कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है? कल और लोग भी बाहर के लोगों को लाकर बालकानी में बैठा लेंगे फिर तो हाऊस का जनाजा निकलेगा और क्या होगा? इसके बारे में मैं स्पैसिफिकली जानना चाहता हूं ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने बात कही है वह आपने सुनी है। जो इन्होंने कहा है कि इन्होंने पहली बार ऐसा देखा है तो ये माननीय सदस्य पहली दफा तो इस हाऊस के सदस्य चुनकर आये हैं। पिछली बार तो हम इस हाऊस के सदस्य थे और विपक्ष की सरकार के समय हम तो ये काम रोज देखते थे कि किस प्रकार मार्शल आ जाते थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री शेर सिंह बड़शामी: स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं पहली बार चुनाव जीतकर यहां पर आया हं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, भैंने कोई गलत बात नहीं कही है मेरी जमानत जब्त हुई या नहीं हुई कब मैं जीता, किसके मुकाबले में मैं जीता। यह सब तो रिकार्ड की बातें हैं। उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। मैंने कोई बात नहीं कही! मैं तो इनको सूचना के लिए बता रहा हूं कि ये पहली बार आए हैं। मैं तीसरी बार आया हूं। मैं 4 बार लोकसभा में रहा हूं। आपने सवाल किया और मैं सुन रहा था। अगर आप रिकार्ड देखेंगे और यदि रिकार्ड सही है तो रिकार्ड में यह होगा कि मैं 4 बार लोकसभा में रहा हूं और तीसरी बार विधानसभा में आया हूं। मार्शल को कभी गुंडा नहीं कहा जाता। यहां मार्शल को गुंडा कहा जा रहा है।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। ये खड़े-खड़े कह रहे थे, मैं उस समय नहीं बोला। मैं इनको सूचना देने के लिए कह रहा हूं कि आप पहली बार आए हैं। जब हम विपक्ष में होते थे तो हम रोज ये देखते थे। यहां रोज मार्शल आते थे और रोज नए मुद्दे होते थे। अध्यक्ष महोदय, आपको तो मजबूरन नेम करना पड़ता है। हमने तो ऐसा समय देखा है जब बगैर बोले ही नेम कर दिया जाता था। डॉ० कादियान अपनी सीट पर खड़े होते थे और उनको नेम कर दिया जाता था। बड़शामी जी, ऐसी हाऊस की प्रोसिडिंग्ज कभी आपने देखी है। आपको चाहिए कि आप हाऊस की गरिमा का ब्यान रखें। मेरी 20 बार जमानत जब्त हुई है या नहीं हुई, मैं कहां से जीता हूं, मेरे मुकाबले में कीन था, यह सब रिकार्ड की बातें हैं। आप रिकार्ड देख लें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह हाऊस एक बहुत गम्भीर मुद्दे पर चर्चा कर रहा है। (विघ्न) मैं ऐसा कोई शब्द नहीं कहूंगा जो इनके सम्मान पर ठेस पहुंचाए। सदन के कई सदस्यों ने यहां जो वाकए हालात मौके पर हुए उनके बारे में चर्चा की । जिन सदस्यों का मुझसे और अजय सिंह जी से भी ज्यादा लम्बा तजुर्बी है ऐसे सदस्यों ने भी अपनी बात कही। मुझे तीसरी बार यहां आने का मौका मिला है और मुझे लगता है कि अजय सिंह जी भी शायद तीसरी बार चुनकर आए हैं और ये पार्लियामैंट के भी सदस्य रहे हैं । प्रो० सम्पत सिंह जी शायद 6 बार सदन के अंदर चुनकर आए हैं और बहुत लम्बे अर्से तक इनैलो की सरकार में प्रदेश के गृह मंत्री और फाइनैंस मिनिस्टर रहे हैं। आदरणीय आनन्द सिंह दांगी भी हमसे ज्यादा बार चुनकर इस हाउस में आए हैं। सतपाल सांगवान जी ने दो बातें कहीं। ये जिम्मेवार व्यक्ति हैं और मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि मैं पूरी डिबेट के अन्दर खड़े होकर कह रहा था कि जाट ऐजीटेशन में जिस बच्चे की मृत्यु हुई है उसके रिश्तेदारों के पास इस सदन के एक सदस्य का टेलीफोन जाता है, इन्होंने अजय सिंह चौटाला जी का नाम नहीं लिया लेकिन यह कहा है कि इस सदन के एक सदस्य ने यह कहा है कि आप लाश का दाह संस्कार मत करिएगा जब तक कि हमारी अनुमति और राय न हो जाए ! अध्यक्ष महोदय, ऐसा सांगवान साहब ने कहा । उन्होंने कहा कि जब डिबेट के अंदर विघ्न और व्यवधान पड़ रहा था और मैं यह कह रहा था तो अजय सिंह चौटाला जी यकायक खड़े हो गए और वे बहुत उलेजित थे और जैसा आदरणीय दांगी साहब ने और चौधरी सम्पत सिंह जी ने भी कहा कि इन्होंने कहा है कि हां, मैंने टेलीफोन किया है तेरे को जो करना है वह कर ले। (शोर एवं व्यवधान) यह सांगवान जी ने कहा, मैं तो यही कह रहा हूं । अध्यक्ष महोदय, जब अजय चौटाला जी बोल रहे थे तो मैंने आप से बोलने के लिए 5 बार इजाजत मांगी और आपने कहा नहीं अभी अजय सिंह चौटाला जी बोल रहे हैं इसलिए आप व्यवधान मत डालिए । अध्यक्ष महोदय, जब अजय सिंह चौटाला जी बोल रहे थे तब मैंने बड़ी विनम्रता से आपकी इजाजत मांगी थी परंतु आपने कहा कि he is on his legs. मैं आपको मौका दूंगा और अब आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया है। (शोर एवं व्यवधान) मुझे पूरी बात कर लेने दो। दो इवैंट्स हुए। अजय सिंह चौटाला ने जिस बच्चे की मृत्यु हुई है, उसके रिश्तेदारों को फोन करके यह राय दी कि उसका दाह संस्कार मत करिएगा, जब तक कि अजय सिंह चौटाला जी न कह दें। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ये भी इनैतो के सदस्य हैं इन्होंने इस सदन के अंदर इस तथ्य की ऐडमिशन की और उस ऐडमिशन के बारे में दो सीनियर सदस्यों ने जो बिल्कुल साथ में बैठे हैं चौधरी सम्पत सिंह और चौधरी आनांद सिंह दांगी जी ने यह कहा कि हां अजय सिंह चौटाला जी को यह बात कहते हुए सांगवान साहब को हमने सुना है। जब अरोड़ा साहब बोले उसका रिकार्ड निकलया लिया जाये इन्होंने यह कहा कि इनकी उत्तेजना से बात तो हुई, कौन किसको क्या कह रहा था यह मैंने नहीं सुना, मुझे नहीं पता । क्योंकि न तो ये यह कह सकते कि हां कहा था फिर तो ये गड़बड़ में फंस जायेंगे। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इसका टेप रिकार्डिड है it can be played. अरोड़ा जी ने यह कहा कि दोनों ने उत्तेजना भरे शब्द आपस में कहे ! मैंने नहीं सना क्या बात हुई । यदि मुझे सही याद है तो इन्होंने यही बात कही थी । सर, ये तो कह रहे हैं कि इनको तो पता नहीं, क्या बात हुई है। (विघ्न) जबकि आदरणीय मंत्री जी कह रहे हैं कि उनको ऐसा कहा गया । आदरणीय चौधरी दांगी साहब और चौधरी सम्पत सिंह जी साथ बैठे हैं। इस हाउस में जो फिजीकल पोजीशन है उसके मुताबिक वे दोनों सबसे नजदीक बैठे हैं और उन्होंने यह बात सुनी । अध्यक्ष महोदय, यह बात बड़ी स्पष्ट और सच है कि यहां पर लाशों के ऊपर भी राजनीति की जा रही है। (इस समय शेम-शेम की आवाजें आई।) एक षड्यंत्र के तहत समाज के भाईचारे को तुड़वाने का काम किया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान) Speaker Sir, this is condemnable. This is deplorable. Never in my own carrier have I seen such a thing take place in this august House where a Member of the House admits inside the House that yes, he is the one who is responsible for all i.e. happening and he is fermenting trouble. He is not letting the cremation take place and he is the one actually who is behind all this. If, this is not sacrilege what is sacrilege, Sir, I ask myself and I request to you to answer. The only answer is what Shri Ajay Singh Chautala has done is sacrilege, it is murder of democracy. It is deplorable and with all humility at my command and with all respect I have for him, he has no right to be a member of this august House and to call himself as a part of participating democracy.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, बहुत देर से इस बात को यहां घुमा फिरा के कहा जा रहा है। यह बहुत सीरियस मैटर है और पूरा प्रदेश इस बात से चिंतित है कि यह आंदोलन चल रहा है। हम भी इससे बहुत चिंतित हैं। जो हुआ, वह नहीं होना चाहिए था। इस पर चाहिए था कि ये लोग सुझाव देते कि किस प्रकार से सरकार इसकी खत्म करेगी। इस पर मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले चाहिए था कि जो बात वे खाप पंचायतों से कर रहे थे, वह बात हाउस में बतानी चाहिए थी। अध्यक्ष महोदय, लेकिन आज जो बात हो रही है इस बारे में आपसे हम एक व्यवस्था चाह रहे हैं कि ऑन रिकार्ड जो बात आपके बीच में आई है क्या उस पर हम बात नहीं कर सकते? क्योंकि सांगवान साहब ने ऑन रिकार्ड यह कहा है कि मिस्टर अजय सिंह चौटाला ने यह बात कही है। (विघ्न) स्पीकर सर, अजय सिंह जी ने जो आपके बारे में बात कही थे उसके लिए उन्होंने अपनी गलती मान ली और उसके लिए आप से क्षमा भी मांग ली।

Mr. Speaker: This is good and that chapter is closed now.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: स्पीकर सर, मेरा आपसे अनुरोध है कि जो श्री सांगवान जी ने एक मैम्बर का नाम लेकर उन पर इतना सीरियस आरोप लगा दिया और जिस मैम्बर पर उन द्वारा यह आरोप लगाया गया उन्होंने यह कह दिया कि आप इंकवायरी करवाईये मैं इंक्वायरी के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। फिर इसमें क्या दिक्कत है आप पूरे मामले की [श्री अशोक कुमार अरोड़ा] इंक्वायरी करवाईये। सांगवान साहब ने ऑन रिकार्ड इल्ज़ाम लगाया है और जिस मैम्बर पर इन द्वारा इल्ज़ाम लगाया गया है उन्होंने इस बात को ऑन रिकार्ड मान लिया है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस मामले में अपनी व्यवस्था दें कि अगर कोई ऑन रिकार्ड इल्ज़ाम लगाये और दूसरा साथी ऑन रिकार्ड इस बात को मान ले तो इस प्रकार की परिस्थितियों में क्या होना चाहिए। इस पर भी सत्तापक्ष के मेरे साथी यह कहें कि विपक्ष डैमोक्रेसी का मर्डर कर रहा है। सर, हम तो ऑन रिकार्ड मान रहे हैं कि जो बात हमने ऑन रिकार्ड कही, वह हमने कही है।

श्री सतपाल सांगवान : स्पीकर सर, (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: मिस्टर सांगवान, आप बार-बार हाथ ऊपर मत उठाईये । अरोड़ा जी की अपनी बात पूरी कर लेने दें फिर आपको भी अपनी बात कहने का मौका दिया जायेगा ।

श्री अश्रोक कुमार अरोड़ा: स्पीकर सर, मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि आज पूरे हरियाणा प्रदेश में इस जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर न केवल कानून व्यवस्था की स्थिति आड़े आ रही है बल्कि हमारे सामाजिक रिश्तों पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। जब यह कहा जाता है कि जाट समुदाय को आरक्षण दिया जा रहा है इस पर कुछ लोग हमसे पूछने लग जाते हैं कि यह आरक्षण कहां से दिया जायेगा जबिक 50 प्रतिशत आरक्षण पहले से ही है। इसलिए वे लोग इस बात से चिंतित हैं कि कहीं जाट समुदाय को आरक्षण पहले से ही है। इसलिए वे लोग इस बात से चिंतित हैं कि कहीं जाट समुदाय को आरक्षण देते समय उनका हिस्सा ही न काट लिया जायें उनमें हरियाणा सरकार के एक मंत्री भी हैं जिन्होंने मिनिस्टर के तौर पर नहीं बल्कि एक यादव लीडर के तौर पर यह कहा है कि मैं कहता हूं कि हमारा हिस्सा खाने की आशंका है। स्पीकर सर, मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से प्रार्थना है कि यह एक बहुत ही अहम मुद्दा है इसलिए वे इसको जल्दी से जल्दी हल करवायें और अगर इण्डियन नेशनल लोकदल की तरफ से उनको जिस प्रकार की भी मदद चाहिए हम उनको देने के लिए बिल्कुल और पूरी तरह से तैयार हैं। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सांगवान साइब ने जो शब्द कहें हैं आप उनको कहें कि वे खड़े होकर उनको वापस लें।

कैटन अजय सिंह यादव: स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आईर है। एक अति गम्भीर विषय में मेरा नाम एक माननीय सदस्य द्वारा लिया गया है। मैं इस बारे में अपनी पर्सनल एक्सपलेनेशन देना चाहता हूं। इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि मैंने यह कभी भी नहीं कहा कि जाटों को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए बल्कि मैंने तो यह कहा या कि आरक्षण की व्यवस्था इकॉनोमिक बेसिज पर होनी चाहिए न कि जाति आधार पर। मैंने कभी भी यह नहीं कहा कि किसी जाति विशेष को आरक्षण न मिले। मैंने कभी किसी जात-पात की बात नहीं की है, यह ऑन रिकार्ड की बात है लेकिन किसी अखबार वाले ने मेरे इस ब्यान को तोड़-मरोड़ कर पेश कर दिया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: स्पीकर सर, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि लीडर ऑफ दी हाउस यहां बैठे हैं, यह कोई मज़ाक का विषय नहीं है। हम सभी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं इसलिए हम सभी की ज़िम्मेदारी है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक रहे। प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों की ज़िम्मेदारी बनती है। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव: स्पीकर सर, मैंने हाउस में भी यह बात कही थी कि जैसे ब्राह्मण हैं, अग्रवाल हैं और जितनी भी जातियाँ हैं उन सभी को आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आपकी बात सभी ने सुन ली है अब आप कृपया करके बैठ जाईये। अरोड़ा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जैसा कि आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी खाप के प्रतिनिधियों से बात कर रहे थे। क्या आप यह समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को खाप के प्रतिनिधियों से बात नहीं करनी चाहिए थी।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, मैं भी यही चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को खाप के प्रतिनिधियों से बात करनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष: अरोड़ जी, जब आप भी यही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी द्वारा खाप के प्रतिनिधियों से बात की जानी चाहिए तो फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने खाप के प्रतिनिधियों से बात करके क्या गलत किया?

श्री अज्ञोक कुमार अरोड़ा: स्पीकर सर, मैं चाहता हूं कि बात करनी चाहिए लेकिन अगर हाउस चल रहा है तो हाउस को भी विश्वास में लेना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, जो बात माननीय अरोड़ा जी ने कही उसके बारे में हमारे मंत्री जी पूरे हाउस के सामने पूरी तफसील से बता चुके हैं। जिस विषय पर श्री अरोड़ा जी बात कर रहे हैं उस विषय पर हमारे मंत्री जी का सरकार की तरफ से ब्यान हो चुका है। सरकार की तरफ से किसी भी विषय के बारे में ब्यान ही दिया जाता है न कि कुछ और किया जाता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्यमंत्री जी, वह इशू नहीं है । जो आज अजय चौटाला जी वाली बात हुई है इशू तो वह है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: स्पीकर सर, हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं कि ऑन रिकार्ड जो विपक्ष के एक मैम्बर पर सत्तापक्ष के एक मंत्री द्वारा इल्ज़ाम लगाया गया। उसके बाद मैम्बर ने यह कहा है कि अध्यक्ष महोदय जो कमेटी बनायेंगे और वह कमेटी जो सज़ा मुकर्रर करेगी, वे उस सज़ा को मुगतने के लिए तैयार हैं। क्या अब इससे ऊपर कोई और बात हो सकती है। इस बारे में आप अपनी रुलिंग दें।

श्री अध्यक्ष: सांगवान जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे?

श्री सतपाल सांगवान: स्पीकर सर, मैं इस बारे में यह कहना चाहता हूं कि मैंने किसी भी मैम्बर का नाम नहीं लिया था। (शीर एवं व्यवधान) अरोड़ा साहब बार-बार यह कह रहे [श्री सतपाल सांगवान]

हैं कि मैंने नाम लिया है। किस वक्त लिया यह इन्होंने नहीं बताया। मैं यह कहना चाहता हूं कि अरोड़ा साहब इस हाउस के अंदर भगवान को साक्षी मानकर ईमानदारी से यह कह दें कि उन्होंने यह नहीं कहा कि "यह मैंने कहा है तू कर ले जो कुछ करना है" तो मैं हाउस से माफी मांग लूंगा। इसमें कोई शोर मचाने वाली बात नहीं है। अगर ईमानदारी है तो ये बात अरोड़ा कह दें या फिर अजय जी कह दें। इसके बाद ही मैंने इनका नाम लिया था। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, अरोड़ा जी इस मामले में रिकार्ड निकलवाने की बातें कर रहे हैं। मैं इनको कहना चाहूंगा कि माईक ऑन न होने के कारण इस तरह की बातें रिकार्ड में नहीं आती। ये इस बारे में पूरी ईमानदारी से जवाब दे दें। (शोर एवं व्यवधान)

### श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: आप सब थोड़ी-थोड़ी देर बाद आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। Hon'ble Minister, please don't talk. आपस में बात मत कीजिए। Alright. Enough has been discussued about this.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, यहां यह कोई विवाद या डिबेट का विषय नहीं है। अरोड़ा जी इस विषय के बारे में पूरी तरह से अपनी अनिमज्ञता जाहिर कर रहे हैं कि उन्होंने तो कुछ नहीं सुना है। यह उन्होंने कह दिया है और अब इससे फालतू वे क्या कह सकते हैं जो वे अपनी मर्यादा और \*\*\* में रहकर कह सकते थे वह उन्होंने कह दिया। (विष्न)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, शब्द \*\*\* हाउस की कार्यवाही से निकलवा दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है । शब्द \*\*\* को रिकार्ड न किया जाये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, क्या शब्द \*\*\* अनपार्लियाभैंद्री है?

श्री अध्यक्ष: शब्द \*\*\* अनुपार्लियामैंट्री नहीं है लेकिन जिस प्रकार से आपने कहा वह शायद अरोड़ा जी को अच्छा नहीं लगा।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं छोटा हूं और श्री अरोड़ा जी मेरे बड़े भाई हैं इसलिए मैं ही शब्द \*\*\* को विद्ड़ा कर लेता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ठीक है । यह शब्द रिकार्ड न किया जाए ।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: कैप्टन साहब, पार्लियामैंट्री अफेयर्ज़ मिनिस्टर अपनी बात कम्पलीट कर लें उसके बाद आप बोल लेना।

<sup>\*</sup>चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

संकल्प (8)65

कैप्टन अजय सिंह यादव: स्पीकर सर, मैंने यह कहा था कि आरक्षण इकोनॉमिक बेसिज़ पर होना चाहिए। अरोड़ा जी, निराधार बात कर रहे हैं। मैंने यह कहा था कि ब्राह्मण हों, अग्रवाल हों या जाट हों सभी को इकोनॉमिक बेसिज़ पर आरक्षण मिलना चाहिए। इसके साथ-साथ मैंने यह भी कहा था कि आरक्षण के मामले में सख्ती होनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) अरोड़ा जी को पता होगा कि मेरे कहने के बाद सख्ती हुई या नहीं हुई है। मैंने ऑन रिकार्ड कहा था कि आप लोगों को भड़काओ मत। आपकी पार्टी यह काम कर रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, मैं तो कहता हूं कि सबकी जिम्मेदारी है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: He wants to lose everything there which has been gained by him. What can I do? (Interruptions)

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, विवाद बहुत छोटा सा है और बड़ा गम्भीर है और यह आज तक की प्रदेश की राजनीति और सदन का सबसे बड़ा विवाद है। वह केवल इतना है कि अरोड़ा साहब ने तो कह दिया कि मैं तो अनिभन्न हूं कि क्या चर्चा हुई। श्री सतपाल सांगवान जी ने स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि अजय सिंह चौटाला जी ने मुझे यह शब्द कहे थे और 2 आदरणीय मैम्बर जो हम से सीनियर हैं, उन्होंने इस बात को कन्फर्म कर दिया। Speaker Sir, I unanimously bring a resolution condemning the conduct of Shri Ajay Singh Chautala in murdering democracy in inciting passions as also in ensuring that the social fabric of the State is decided on caste lines. Speaker Sir, his conduct should be condemned. I am bringing a resolution on the floor of the House. Speaker Sir, I am moving a resolution now, it may be put to the vote of the House. (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the Parliamentary Minister will move a resolution.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Speaker Sir, I beg to move:—

"That in light of the statement made by Shri Sat Pal Sangwan, Hon'ble Minister stating that an M.L.A. had telephoned the relatives of deceased to not cremate the body of deceased boy at Village Mayyar, District Hisar and as per Shri Sat Pal Sangwan, this fact was admitted by Shri Ajay Singh Chautala, M.L.A. in the House while sitting on his seat and further to the effect that he had said and told the member (Shri Sangwan) in a threatening tone that 'he can do as he wish and he had told so' and which fact was heard by Shri Anand Singh Dangi, M.L.A. and Shri Sampat Singh, M.L.A. and who have verified this fact by making a statement in the House again, this House condemns the conduct of Shri Ajay Singh Chautala, M.L.A. in entering into a political conspiracy to enrage the feelings of brotherhood and for attempting to divide the social fabric of the State."

Mr. Speaker: Motion moved-

"That in light of the statement made by Shri Sat Pal Sangwan, Hon'ble Minister stating that an M.L.A. had telephoned the relatives of deceased do not cremate the body of deceased boy at Village Mayyar, District Hisar and as per Shri Sat Pal Sangwan, this fact was admitted by Shri Ajay Singh Chautala, M.L.A. in the House while sitting on his seat and further to the effect that he had said and told the member (Shri Sangwan) in a threatening tone that 'he can do as he wish and he had told so' and which fact was heard by Shri Anand Singh Dangi, M.L.A. and Shri Sampat Singh, M.L.A. and who have verified this fact by making a statement in the House again, this House condemns the conduct of Shri Ajay Singh Chautala, M.L.A. in entering into a political conspiracy to enrage the feelings of brotherhood and for attempting to divide the social fabric of the State."

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन इस मामले में मैं भी आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि जो प्रश्न हमने आपके सामने रखा कि एक मैम्बर का नाम लेकर यहां पर कहा गया कि उसने फोन किया। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, I have already moved a resolution after a debate. I humbly requests to you that it may be put to the vote of the House. (Noise and Interruption) Speaker Sir, I have already moved a resolution. You have heard Shri Ashok Arora, you have heard Shri Ajay Singh Chautala Ji. I have moved a resolution on the floor of the House and Speaker Sir, House may be asked to put it to the vote of the House. (Noise and Interruption) Such conduct is most deplorable. (Noise and Interruption) It is annihilation of democracy. It is murder of democracy. This is the way we are going to run this State. This is the way we are going to divide this State. (Noise and Interruption) This is the way we are going to conduct ourselves then democracy will not thrive, Sir. (Noise and Interruption) We can not do so. Sir, a member has said and two members have confirmed it. It may be put to vote, Sir. (Noise and Interruption) Sir, I humbly request to you. अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। मैंने वतीर पार्लियामेंद्री अफेयर्स मिनिस्टर जो रेजोल्यूशन मूट किया है, उस पर वोटिंग करवाई जाये। This debate can go on for days together. (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आज सारा प्रैस देख रहा है । अगर इस प्रकार से हाउस चलाया जायेगा तो चलता रहे । (शोर एवं व्यवधान)

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, You have permitted Arora Sahib to speak, he has not given opportunity to speak once but four time he has given interventions. he has said that he do not know the issue. जब उन्होंने कुछ सुना ही नहीं तो उनको इस पर टिप्पणी करने का अख्तियार ही नहीं है। दो माननीय सदस्यों ने सुना है कि आदरणीय सांगवान साहब ने कुछ कहा है A resolution has been moved. Speaker

Sir, my humber request to you कि मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। I have moved a resolution on the floor of the House. (Noise and Interruption) You have heard him आपने इनको यह कहा कि आप कितना भी बोलें। I have moved a resolution on the floor of the House that resolution may be put to vote of the House. स्पीकर सर, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है। (विघ्न)

श्री आनन्द सिंह दांगी: अध्यक्ष महोदय, इस सदन का समय बर्बाद होते-होते डेढ़ घण्टा हो गया है। (विघ्न) पहली बात तो यह है कि जो जाट आन्दोलन के ऊपर बात चली (विघ्न)

कैंप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, जब एक रैजोल्यूशन हाउस में पेश कर दिया है तो उस पर डिबेट की जरूरत ही नहीं है, उस रैजोल्यूशन को पास करवाया जाये, मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है। (विघन)

श्री आनन्द सिंह दांगी: अध्यक्ष महोदय, डेढ़ घण्टे से सदन का समय बर्बाद हो रहा है और एक ऐसी कॉम्यूनिटी जो अपनी मेहनत से कमाकर अपना पेट भरती है और लोगों का पेट भरती है, स्वाभिमान के साथ अपना जीवन यापन करती है। उसके बारे में एक इश्यू बनाकर, इस तरह की भावना पैदा करके, सदन में इस तरह की डिबेट आए, अगर कोई भी इस तरह की बात करता तो मैं समझता हूं कि यह इस कॉम्यूनिटी के खिलाफ करने वाली बात है। मैं इस बात के लिए श्री सुरजेवाला जी का समर्थन करता हूं। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि छाती ठोक करके उन्होंने कहा है कि हा मैंने कहा है, जो कुछ करना है कर लेना। अध्यक्ष महोदय, जो बात वहां कही गई, उस बात को कैसे झुठलाया जा सकता है मैं उस बात का समर्थन करता हूं और इस बात को सदन में पास करके इसकी इंक्वायरी की जाए।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, हमने एक व्यवस्था मांगी है कि जो बात सांगवान साहब ने आपके सामने ऑन रिकार्ड कही है, क्या उसके बारे में आप कुछ कहेंगे या उसको सुनेंगे कि उन्होंने क्या कहा? एक मैंबर के खिलाफ कुछ कहा गया और वह मैंबर सीधा कह रहा है कि आप कमेटी बना दीजिए जो सजा आप कहांगे, हम भुगतने के लिए तैयार हैं। स्पीकर सर, उसके बाद भी आपसे एक Request करते हैं कि आप इसमें अपनी व्यवस्था हैं कि क्या मैंबर ने ठीक कहा है और अगर उन्होंने गलत कहा है तो वे माफी मांग लें।

श्री अध्यक्ष : कौन माफी मांग लें ?

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, सतपाल सांगवान जी जिन्होंने इत्जाम लगाया है।

श्री अध्यक्ष : वे तो रिपीट कर रहे हैं कि मेरे सामने कहा है। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Randcep Singh Surjewala: Speaker Sir, I have moved a resolution.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: अगर कहा है तो कमेटी बनाएं और उनको सजा दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सतपाल: अरोड़ा साहब, आप भेरी बात सुनें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, एक मैम्बर ने इल्जाम लगा दिया !

श्री अध्यक्ष: नहीं, एक ने नहीं लगाया अब तो तीन इल्जाम लगाने वाले मैंबर हो गये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: ठीक है सर, तीनों ने इल्जाम लगा दिया। आपके सामने ऑन रिकार्ड एक मैंबर कह रहा है कि स्पीकर सर, आप इस बारे में एक कमेटी बना दीजिए और हम तो आप पर विश्वास करते हैं आप स्वयं एक मैंबरी कमेटी के चेयरमैन बनें और अगर अजय सिंह जी ने ये बात कही है, तो उनको सजा दीजिए और अगर नहीं कही है तो इनको सजा दीजिए। (शोर एवं व्यवधान) आप एक कमेटी बना दीजिए और अब आपके बारे में दांगी जी कह रहे हैं कि कुलदीप शर्मा जी तो अजय सिंह जी से मिल जाएंगे। आप कोई दो मैंबरी कमेटी बना दीजिए। आप पुल के लिए कमेटी बनाते हो और एक मैंबर पर सीरियस इल्जाम लगाए गए हैं उसके लिए आप कमेटी नहीं बना रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा): अब ये इस बात को फिर उलझाना चाहते हैं ये बात सिद्ध है और सारी दुनिया कहती है कि This agitation is sponsored virtually by the Indian National Lok Dal. This fact is known to everybody. ये दोनों हारों, हिसार और रितया को संभाल नहीं सके। इनको समझ नहीं आता कि अब क्या करें? पिछले सात सात में और कुछ तो मिला नहीं, इनकी बात नहीं बनी। अब सात साल में यह नई बात इन्होंने शुरू कर दी कि मैजोरिटी कम्यूनिटी है उसको उकसाओ, उसको उकसाके गल पुवाओ और मजा उठाओ तो हमारी प्रार्थना है जो रैजोल्यूशन आपके पास आया है, उसको पुट किया जाए, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। अध्यक्ष महोदय, इनको कहा जाए कि ये दस-दस दफा बोल बैठे हैं। This is not the way. (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनंद सिंह दांगी: जो बात अरोड़ा साहब ने कही कि अगर प्रोसीडिंग में कोई बात है तो उस पर जाया जाए। मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि प्रोसीडिंग में बात तब आती है जब कोई सदस्य खड़ा होकर बोलता है, उसकी रिकॉर्डिंग होती है, बैठे-बैठे कोई क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, उसकी प्रोसीडिंग में कोई बात नहीं आती। ये बोलने लग रहे हैं कि अजय जी ने बैठे-बैठे जो बात कही है उसके हम आईविटनैस हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, अरोड़ा साहब ने तो मना कर दिया कि उन्होंने जो बोला मैंने तो कुछ सुना ही नहीं । यहां दो सीनियर मैंबर हैं वे कह रहे हैं कि हमने सना है। अब क्या बच गया है सर। Therefore, I put a resolution, Sir.

डॉo अजय सिंह चौदाला: स्पीकर सर, सब लोगों ने अपनी बात कह ली है लेकिन हम लोग जो बार बार कह रहे हैं कि आप उस हाथ को पकड़ कर लोगों को दिखाओ जो असली गुनहगार हैं। यहां सदन में बार-बार इंडियन नेशनल लोकदल पर ऐजिटेशन में शामिल होने का इल्जाम लगाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि आपको इंडियन नेशनल लोकदल के नाम का फोबिया हो गया है। उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर सर, क्या आपको इंडियन नेशनल लोकदल के नाम का फोबिया है?

श्री अध्यक्ष: रणदीप जी, अजय जी मेरे को नहीं कह रहे हैं!

डॉo अजय सिंह चौदाला : स्पीकर सर, अब आप ही देख लो मैंने किसको कहा है? (शोर व व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: स्पीकर सर, कहा तो आपको ही है। आप प्रोसीडिंग निकालकर देख लीजिये। उन्होंने कहा है कि स्पीकर सर बार-बार आप इंडियन नेशनल लोकदल पर इल्जाम लगा रहे हो क्या आपको इस नाम का फोबिया हो गया है। Let the tape be heard again (Noise & Interruption). स्पीकर साहब, वे आपको ही कह रहे हैं कि आपको इंडियन नेशनल लोकदल का फोबिया हो गया है।

श्री **आनंद सिंह दांगी** : स्पीकर सर, बहुत मजाक हो चुका है, अब सदन का समय बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: अजय जी, व्यवस्था में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक नहीं तीन-तीन मैम्बर्ज कोई बात कह रहे हैं (विघ्न) अरोड़ जी, गंभीरता इस बात में इसलिए है कि मंत्री जी ने ईश्वर और अपने परिवार की कसम उठाकर यह बात कही है! (विघ्न)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: स्पीकर सर, मंत्री जी ने तो यह कहा है कि मेरे पास ऐसे तथ्य मौजूद हैं जो मैंने सुने हैं और जिनको मैं देने को तैयार हूं।

Sh. Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, this resolution can no longer be a matter of debate, I request you Sir. Every Member has expressed his opinion more than once. (Noise & Interruption)

श्री अध्यक्ष : नरेश जी, क्या आपको रैजोल्यूशन पर बोलना है ।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: स्पीकर सर, यह रैजोल्यूशन तो सारा ही गलत है।

Mr. Speaker: The resolution has been moved before me.

डॉo जजय सिंह चौदाला : स्पीकर सर, ये किस चीज का रैजोल्यूशन है।

श्री अध्यक्ष: अजय जी, रैजोल्यूशन लाने का अधिकार तो हर आदमी का है। (शोर व विघन)

डॉo अजय सिंह चौटाला: स्पीकर सर, पहले इस मामले पर उन्होंने जो बात कही उसको तो आपने मान लिया, लेकिन मैंने जो ऑन ऑथ बात कही, उसको आपने नज़रअंदाज कर दिया। ऐसी स्थिति में स्पीकर सर, मैं और किस पर विश्वास कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : अजय जी, आप मेरे ऊपर विश्वास करो !

**डॉ**o **अजय सिंह चौटाला**ः स्पीकर सर, मैं आप पर विश्वास तो तब करूंगा जब आप टेप चलवाकर अपनी व्यवस्था देंगे। जब आपने पहले भी एक टेप चलवाई है तो अब यह भी आप चलवा सकते हैं! (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, तथ्य खुलकर सामने आ चुके हैं और दो-दो सम्मानित सदस्यों ने यह बात ऑन दि फ्लोर ऑफ द हाउस वैरीफाई भी की है (शोर एव व्यवधान) आपसे मेरी प्रार्थना है कि I have moved a resolution. That resolution may be put to vote because this house has the final majesty to decide on the resolution. I have put a resolution. It is not a matter of debate any longer. That is why, I am again humbly requesting you that the resolution as moved by me may be put to vote as moved by me.

#### Mr. Speaker: Question is-

"That in light of the statement made by Shri Sat Pal Sangwan, Hon'ble Minister stating that an M.L.A. had telephoned the relatives of deceased to not cremate the body of deceased boy at Village Mayyar, District Hisar and as per Shri Sat Pal Sangwan, this fact was admitted by Shri Ajay Singh Chautala, M.L.A. in the House while sitting on his seat and further to the effect that he had said and told the member (Shri Sangwan) in a threatening tone that 'he can do as he wish and he had told so' and which fact was heared by Shri Anand Singh Dangi, M.L.A. and Shri Sampat Singh, M.L.A. and who have verified this fact by making a statement in the House again, this House condemns the conduct of Shri Ajay Singh Chautala, M.L.A. in entering into a political conspiracy to enrage the feelings of brotherhood and for attmepting to divide the social fabric of the State."

The motion was carried.

#### वाक-आउट

(At this stage all the members of the Indian National Lok Dal, present in the House staged a walk out as a protest against moving the above said resolution against Shri Ajay Singh Chautala, M.L.A.)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, यह रैजोल्यूशन भी इनकी सहमति से ही पास हुआ है (शोर एवं व्यवधान)

# ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा उस पर वक्तव्य

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Motion

No. 4 from Sh. Sampat Singh, MLA regarding Road Accident in Haryana. I have
admitted it. Sh. Sampat Singh may read his notice.

श्री सम्मत सिंह: मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की और दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा में सुरक्षित सड़क यातायात के दिन बीत गए हैं। अब हरियाणा की सड़कें "हत्यारी सड़कें" कही जाती हैं। इन हत्यारी सड़कों पर रोजाना 13 जानें चली जाती हैं तथा 26 व्यक्ति प्रति दिन घायल हो जाते हैं। मोटरचालकों की वाहन चलाने की आदतों को दोष दें या यातायात नियमों को कठोरता से अनुपालन करने में हरियाणा पुलिस की लापरवाही कहें। "हत्यारी सड़कों" ने हरियाणा में 2011 में 4,595 जानें, 13 जानें प्रति दिन ली। यदि यह काफी नहीं था, गत् वर्ष राज्य की सड़कों पर 9,320 व्यक्ति (26 व्यक्ति प्रति दिन) घायल हुए। गत् वर्ष राज्य में 10,672 दुर्घटनाएं रिकार्ड हुई जिनमें 4200 दुर्घटनाएं घातक प्रकृति की थी। इन दुर्घटनाओं की कोतूहल उत्पन्न करने वाली बड़ी संख्या राज्य सरकार के लिये निश्चय ही खतरे की घण्टी होनी चाहिए।

462 मौतों के साथ बहुत अधिक असुरक्षित सड़कें होने के कारण नई दिल्ली की सीमा के साथ लगते राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) में गुड़गांव जिला की श्रेष्ठता संदिग्ध थी। सोनीपत 291 मौतें तथा झज्जर 271 मौतों के साथ रैंक में गुड़गांव के ठीक बाद थे। राज्ध में फतेहाबाद (102), पंचक्ता (120) तथा कैथल (140) सबसे सुरक्षित जिले थे।

चण्डीगढ़-आधारित राजमार्ग विशेषज्ञ प्रोफेसर हरीश भाटिया ने कहा है "मानव गलती के कारण 50-60 प्रतिशत दुर्घटनाओं के साथ वाहन चलाने का आचरण सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है।" उन्होंने आगे कहा कि सड़क की अवस्थाएं तथा डिज़ाइन एवं वाहन की खराबियां सड़क दुर्घटनाओं के अन्य मुख्य कारण पाए गए हैं!

उसी प्रकार भाव को दोहराते हुए, सड़क सुरक्षा पर हरियाणा पुलिस के ब्राण्ड अम्बेसेडर, हरमन सिधू जो कि बहुत बड़े गायक हैं, ने कहा कि हरियाणा में वाहन चलाने की आदतों के अतिरिक्त, राज्य में गुजरने वाले राष्ट्रीय तथा राज्य राजमार्गों पर वाहन चालकों द्वारा ज्यादा गति से वाहन चलाना तथा यातायात के नियमों की पालना न करना बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाओं के अन्य कारण थे।

मोटर चालकों, विशेषकर हरियाणा रोडवेज के चालक जो अंधाधुंध वाहन चलाने के लिए बदनाम हैं, द्वारा राज्य तथा राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रयोग हरियाणा में सब से अधिक किया जाता है। यातायात के नियमों का लागू करने में इस संयोजित लापरवाही को प्राथमिक रूप से सडक दुर्घटना की उच्च दर के लिये उत्तरदायी ठहराया जाता है।

सड़कों की खराब तथा बुरी हालत भी दुर्घटनाओं के लिये जिम्मेवार हैं। मैक्सी कैबों तथा तिपहिया वाहनों की अनुशासनहीनता तथा अनियंत्रित यातायात भी इन दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण है। वातक दुर्घटनाएं राज्य की दिनवर्या की बात हो गई है। हरियाणा की सड़कों पर चलते हुए लोग डरते हैं।

मैं माननीय मंत्री से इस जनहित के अत्यावश्यक मामले पर सदन के पटल पर एक वक्तव्य देने का निवेदन करता हूं।

Power Minister (Capt. Ajay Singh Yadav): Speaker Sir, a statement in reply to this Calling Attention Motion is laid on the Table of the House.

Mr. Speaker: O.K.

Power Minister (Capt. Ajay Singh Yadav): The issue concerning road accidents is indeed an issue of utmost importance and is an urgent matter of public interest. However, it is not correct to say the Haryana roads are killer roads. Haryana has among the best quality and in National Highways and State Highways in the country. These conform to the acceptable stradards of safety Haryana is an economically progressive State. Every day a large number of vehicles are added to the already very high vehicle population. Moreover, four major National Highways originating in the national capital pass through Haryana which add to a huge volume of traffic.

The State Government is serious about the issue of traffic and road safety. To address this issue in an integrated manner a State level council has been set up under the chairmanship of Transport Minister, Haryana and comprising experts and officers of the concerned departments. In addition, a State level co-ordination committee for road safety has been formed under the chairmanship of Financial Commissioner & Principal Secretary to Govt. of Haryana, Transport Department. Both these bodies are expected to make recommendations to improve road safety.

The following steps have been taken by the Police Department to improve road safety:—

- 22 Traffic Police Stations and 5 Traffic Police Posts have been established in the Haryana State alongwith required force and vehicles to enforce traffic rules and create road safety awareness.
- 2. 14 High Speed Interceptors have been provided to control the menace of over-speeding vehicles. During the period from 01.01.2011 to 31.12.2011, as many as 106010 violators have been intercepted and challaned for over speeding.
- 3. A total number of 33 Ambulances have been provided for timely medical assistance to the road accident victims.
- 4. Sobriety Checkpoints have been established and sufficient Alco-Sensors have been provided to check drunken driving in all districts of Haryana. During the period from 01.01.2011 to 31.12.2011, 15736 drunken drivers have been detected & challaned, thereby reducing the rate of accidents by the drunken drivers.
- Road Safety Awareness campaigns have been launched throughout the State.
   Road Safety Awareness Campaigns, Seminars, Painting Competition (for children) etc. have been organized.
- 6. Prominent members of society, including ex-servicemen, senior citizens, non-governmental organizations, resident welfare associations, retired officials, shopkeepers, transporters, vehicle associations etc. were associated and Road Safety Organizations (RSOs) have been created on 27.10.2009. These are working efficiently in each district and supporting Haryana Police in the road safety awareness campaigns.
- 1170 accident prone points have been identified in Haryana State with the help of PWD (B&R), Forests, Telecom, Electricity and Transport Departments.

688 accident prone points have been improved and other accidents prone points will be improved very shortly. 1051 points have been identified for construction of speed breakers, in which 797 speed breakers have been constructed on various roads in Haryana.

- 8. A State Traffic Control Room has been established in the headquarters at Karnal with facilities of accident helpline toll free number "1073" which is functioning round the clock.
- 9. In addition to the above, drivers who are not wearing helmets, those not using seat-belts or those using mobile phones while driving, over-loaded vehicles with passengers etc. are being challaned by District Police. The offenders of these offences are being addressed through the Modern Method of Traffic Challen Record. In the year 2011, 1050805 vehicles have been challaned.
- 10. Installation of speed governors has been made compulsory in all transport vehicles including the buses of Haryana Roadways and all educational institution vehicles to further ensure the safety of passengers.
- 11. It has been decided to set up an automated Inspection & Certification Centre for motor vehicles in district Rohtak with a Central assistance of Rs. 14.40 crore. This Centre would be equipped with sophisticated machines to check fitness and road worthiness along with compliance with the emission norms of 1,25,000—1,35,000 motor vehicles per year.
- 12. The department is setting up four driving training schools at Kaithal, Bahadurgarh, Rohtak and Bhiwani. These driving training schools would be fully equipped alongwith simulators and provide training to the citizens which would go a long way in increasing the safety of on the roads. Three of these driving training schools (Rohtak, Bahadurgarh and Kaithal) are at an advanced stage of construction and likely to be made operational shortly.
- 13. A special campaign has been launched in the State to check the menace of overloading by the goods vehicles. 48110 number of overloaded goods vehicles have been challaned by the enforcement agencies during 2010-11 as against 27746 during 2009-10.
- 14. Directions have been issued from time to time with regard to safe plying of school buses. Recently, the Government has issued instructions vide letter dated 06.1.2012 to all concerned in this regard. All the DCs, SPs and Secretary, RTAs have been directed to launch special enforcement campaign for checking of School Busses overloading, overspeeding, drunken driving, wrong side driving, etc. in School Busses etc. Education Department has been requested to issue strict orders to all District Education Officers for ensuring that schools do not violate law relating to transportation of school children. Rule 114A of the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993 has been introduced in respect of school buses specifically to ensure provisioning for safe transportation of school children.

#### [Capt. Ajay Singh Yadav]

- 15. Due to concerted action launched by the transport department along with the Police, PWD (B&R), Education, Health, Forests, Power, Urban Local Bodies departments for improving road safety in the State, the number of accidents has come down from 10957 in 2010 to 10624 in 2011.
- 16. Haryana Roadways with a fleet of about 3500 buses operate about 10.33 lac kilometers daily and carry an average of 11.00 lac passengers everyday. The performance of Haryana Roadways has been noteworthy on different parameters including accident rate. With consistent efforts, the rate of accident in Haryana has been brought down steadily from 0.21 per one lac kms. in 1994-95 to 0.07 in per one lac kms. in 2011-12. Haryana Roadways has won the Union Transport Minister's Trophy and cash award of Rs. 4.5 lac for lowest accident record amongst all the State Road Transport Undertakings in the country during the year 2005-06, 2006-07 and 2007-08.
- 17. As a measure to control illegal plying of vehicles, a total 14408 Maxicabs have been challaned during the year 2011.
- 18. Railway Over Bridge (ROBs) on railway level crossing which are major accident points have been constructed. From 199 to 2005 only 3 ROBs were constructed whereas from 205 to January, 2012 as 29 ROBs were constructed at cost of Rs. 603 crores and work on 25 ROBs/RUBs at cost of Rs. 872 crores in progress. In addition proposal for 43 ROBs/RUBs at cost of Rs. 1306 crores has been submitted to the Railways to be taken up in the subsequent financial year for execution as per availability of funds and feasibility of site.
- 26 grade separators/under passes have been completed and work 119 grade separators/under passes are in progress.
- 20. A number of bypasses have been constructed which have contributed to decongestion of traffic in urban/habituated areas. 8 bypasses have been constructed in the State at a cost of Rs. 36.30 crores and 11 bypasses having estimated cost of Rs. 13.13 crores are in progress.
- 21. In order to improve the condition of roads a massive campaign of patch and not hole repairs is regularly launched by the Department so that on account of poor condition of roads are minimized if not eliminated. Patch work/pot hold work carried out during 2010-2011 and 2011-12 upto 26612 km.
- 22. 40% of Haryana falls in NCR and 33% of NCR falls in Haryana. Rapid development in NCR has led to abnormal increase in traffic. State Government has been given priority to widening of roads in NCR to cater to increased demand of traffic leading to improved road safety. 4 laning has been completed in 100 kms. and 556 kms. of road have widened.
- 23. Due to sustained and co-ordinated efforts made by various agencies of the State Government, Non-Governmental Organizations and Road Safety

Organizations there is a decrease in number of accidents, number of deaths and number of injured persons caused due to road accidents in the year 2011 as compared to the previous year 2010. The number of accidents in 2011 has been reduced by 333 as compared to the previous year reducing the number of fatalities by 334 and number of injured persons by 418. The details are as under:—

Total accidents	Fatal accidents		Persons killed		Non-fatal accidents		Persons injured	
2010 2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
10957 10624	4190	4155	4895	4561	6767	6469	9946	9528

24. The State is continuing with its sincere efforts to make Haryana roads safe and further to the number of road accidents. We want to ensure maximum safety to all citizens who are using roads in Haryana by providing better roads, better enforcement of traffic laws and encouraging awareness for traffic discipline in all age groups.

Shri Bharat Bhushan Batra: Speaker Sir, a vital issue has been raised by the Hon'ble Member Shri Sampat Singh. The Maxi Cabs is not the only thing due to which the accidents are increasing. So far as the year 2011-2012 is concerned fetal accidents are more than 4000. अध्यक्ष महोदय, आप सोच सकते हैं कि जब ऐक्सीडैंट होता है तो एक परिवार की क्या व्यथा होती है, किस कठिनाई के दौर से परिवार गुजरता है इसमें तो यह है कि जा तन लागे वो तन जाने, उसी की पता लगता है। इन ऐक्सीडैंट्स के लिए मैक्सी कैब के अलावा ओवर लोडेड ट्रक्स जो चलते हैं व ट्रैक्टर्स पर जो अनुअयोराइण्ड सिटिंग होती है और फोरव्हीलर्स व ट्रकों के अंदर जो लोग बैठते हैं may be जब कोई पॉलिटिकल फंक्शन होता है या कोई रिलीजियस फंक्शंज में लोग जाते हैं इनके बारे में सरकार बताये कि क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो ऐक्सीडैंट्स की संख्या बढ़ रही है उसमें ओवरस्पीडिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है । एक फैक्टर इसमें बहुत ज्यादा रेलेवैंट है it is not the notorious drivers. नीटोरियस ड्राइवर्स की वर्डिंग की बात नहीं है उन ड्राइवर्स को इस बारे में प्रीपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है । जिन ड्राइवर्स को व्हीकल चलाना नहीं आता उनको अनुअयोराइज्ड तरीके से ड्राइविंग लाइसैंस मिल जाता है। जो स्कूल से ट्रेनिंग करके आते हैं उनकी प्रोपर वीडियोग्राफी होनी चाहिए । प्रोपर उस व्यक्ति को नॉलेज होनी चाहिए । टीचर्ज ट्रेनिंग चलनी चाहिए । इस बारे में पूरी तरह से अवेकनिंग होनी चाहिए यह सरकार के लिए बहुत ही जरूरी है । एक सबसे बड़ा प्यायंट मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं । जब ऐसे एक्सीडैंट होते हैं तो उस समय इस प्रकार की वायलेशज होती हैं कि उनके कारण इन्श्योरैंस कम्पनी से भी कोई क्लेम नहीं मिलता । जो ऑनर होता है चाहे वह ट्रैक्टर का ऑनर हो, चाहे थ्री व्हीलर का ऑनर हो, चाहे मैक्सी कैब का ऑनर हो, किसी भी व्हीकल का ऑनर हो जो व्यक्ति घायल होता है तो उसको क्लेम नहीं मिलता । उनके पास पैसा नहीं होता, जब ऐक्सीडैंट होता है तब एक तो व्यथा होती है और ऐसे में उस आदमी को राजीव गांधी योजना के तहत सरकार द्वारा एक लाख या दो लाख रुपये दे दिए जाते हैं । उसके बाद ऐक्सीडैंट क्लेम के लिए उस आदमी को कोर्ट के अन्दर केस लड़ना पड़ता है और केस लड़ने के दौरान [Shri Bharat Bhushan Batra]

इन्श्योरेंस कम्पनी तो अपने आप को बाहर निकाल लेती है। उस आदमी को कोई क्लेम नहीं मिलता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बातें मैंने बताई हैं उनके बारे में जानना चाहूंगा कि उनमें इस तरह के ऐक्सीडैंट रोकने के लिए सरकार ने क्या प्रावधान किया है? सरकार ऐसे ऐक्सीडैंट को रोकने के लिए क्यों नहीं सख्ती करती? मैं एक कदम और आगे जाकर कहना चाहता हूं कि इस ओवरलोडिंग को रोकने के लिए जो ट्रक दो-दो बिल्टिया लेकर चलते हैं उनके ऊपर सरकार का अंकुश क्यों नहीं है?

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिन्ता से अपने आपको भी जोड़ता हूं । रोड सेफ्टी एक ऐसा विषय है जो साधारण नागरिक के लिए ही नहीं बल्कि हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। जो आंकड़े सदन के पटल पर रखे हैं अगर मेरे काबिल दोस्त उन आंकड़ों का अवलोकन भी करें तो मेरे काबिल दोस्त यह पायेंगे कि number of accidents have gone down in Haryana. I want to give that figures, Sir. 1.4.2010 से 31 3.2011 तक हालांकि यह कन्सोलेशन नहीं है लेकिन यह हमारे ऐफर्ट्स का नतीजा है कि 4615 व्यक्तियों की रोड एक्सीडैंट के कारण मृत्यु हुई और 1.4.2011 से 31.1.2012 तक सरकार के ऐफर्ट्स के चलते यह आंकड़े घटकर 3553 रह गये हैं। ऐसे ही 1.4.2010 से 31.3.2011 तक घायल व्यक्तियों की संख्या 9913 थी और हमारे ऐफर्स के चलते 1.4.2011 से 31.1.2012 तक ये आंकड़े 8470 रह गये हैं। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) इन दोनों आंकड़ों में जो यह गिरता हुआ ग्राफ है उनके बारे में हरियाणा सरकार द्वारा सस्टेन्ड कदम उठाये गये हैं यह उनका ही परिणाम है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने आदरणीय सदस्य का ध्यान मेरे जवाब के प्वायंट नं 1 की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा । हमारी सरकार ने 22 ट्रैफिक पुलिस स्टेशंज, पांच ट्रैफिक पुलिस पोस्ट, 14 हाई स्पीड इन्टरसैप्टर वैन ट्रैफिक पुलिस को प्रोवाईड की हैं ताकि जो व्हीकरज स्पीड से चलते हैं, उनको पकड़ा जा सके। दिनांक 1.1.11 से 31.12.2011 के बीच 106010 वायलेशन करने वालों के खिलाफ चालान भी किए हैं। 33 एम्बुलैंस भी रोड एक्सीडैंट से घायल व्यक्तियों के लिए उपलब्ध करवाई हैं। यह चैक करने के लिए कि किसी व्यक्ति ने गाड़ी चलाते समय शराब या किसी मादक पदार्थ का सेवन तो नहीं कर रखा है उसको चैक करने के लिए they have been provided with sufficient Alco-censers to check drunken driving in all the districts of the State. सर, रोड्ज सेफ्टी अवेयरनैस कम्पेन भी सरकार ने चलाये हैं। अब तक 5988 रोड्ज सेफ्टी कम्पेन हम चला चुके हैं। जो सोसायटी के प्रोमिनैंट मैम्बर्ज हैं, जो एन जी ओज. हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, सीनियर सिटीजंस हैं, रेजीडैंट वैल्फेयर ऐसोसिएशंज हैं और व्हीकल्ज ऑनर्ज ऐसोसिएशंज हैं इन सबको हमने इस कम्पेन में इन्दौल्य किया है । सर, हमने स्टेट में 1170 ऐक्सीडैंट प्रोन प्वॉयंट आईडैंटिफाई किए हैं । इसमें हमने पी.डब्ल्यू.डी. बी. एण्ड आर., फोरैस्ट, टेलीकॉम, इलैक्ट्रिसिटी और ट्रान्सपोर्ट इन सब विभागों की मदद ली है । इन 1170 में से 688 ऐक्सीडैंट प्रोन एरियाज को हमने इम्पूव भी कर दिया है और जो बाकी के बचे हैं उनको हम इम्पूव कर रहे हैं। 1051 प्वायंट्स हमने construction of new speed breakers के लिए आईडिंटीफाई किए हैं उन प्वायंद्स पर 797 स्पीड ब्रेकर्ज अब तक बनाये जा चुके हैं । एक स्टेट ट्रैफिक कंट्रोल रूम, करनाल में नैशनल हाइवे पर हमने स्थापित किया है और एम्बूलैंसिज की तरह उनको भी टोल फ्री नम्बर 1073 दिया है । इसके साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस को हमने यह कहा है कि जो व्यक्ति मोबाइल फोन सुनें, सीट बैल्ट न पहनें या रेश ड्राइविंग करे और हैलमेट न पहने उनके चालान की ड्राइव शुरू की जाए । अकेले वर्ष 2011 में हमने 1050805 चालान किए हैं । करीब ढाई करोड़ की पापुलेशन पर 1050805 चालान हमारी सतर्कता का सब्त है। स्पीड गवर्नर्स हरियाणा रोडवेज की सभी बसों में हमने कम्पलसरी कर दिए हैं। 14.40 करोड़ रुपये की लागत से एक ऑटोमेटिड इंस्पैक्शन और सर्टिफिकेट सैंटर ऑफ मोटर व्हीकल डिस्टिक्ट, रोहतक में भारत सरकार के साथ मिलकर हम लगा रहे हैं। जिसके तहत हम सालाना एक लाख 25 हजार से एक व्हीकल्ज के ऐमीशन नॉर्म्ज चैक कर सकेंगे। कैथल, बहादुरगढ, रोहतक और भिवानी में अशोक लेनिन और मारुति सुजुकी के साथ मिलकर हम झाइवर्स ट्रेनिंग स्कूल स्थापित कर रहे हैं । कैथल का ड्राइवर्स ट्रेनिंग स्कूल अगले 3 महीनों में चालू हो जाएगा । इसी प्रकार से सुजुकी का बहादुरगढ़ का झड़वर्स ट्रेनिंग स्कूल भी बहुत जल्दी चालू हो जाएगा और बाकी दोनों जगह भी हम जल्दी ही ये स्कूल चालू करेंगे। उसका नतीजा यह होगा कि ट्रेंड सर्टिफाइड डाइवर जिनको इंटरनैशनली भी नौकरी मिल सकती है उनका मैनपॉवर हमारे पास उपलब्ध होगा । अध्यक्ष महोदय, ओवर लोडिड व्हीकल्ज के लिए हमने एक कम्पेन चलाया है और इसके तहत हमने 2010-11 में 48110 व्हीकल्ज का चालान किया है। यह वर्ष 2009-10 के 27746 के मुकाबले लगभग 80 प्रतिशत अधिक था। डिप्टी कमीश्नर, एस.पीज., सैकेटरी आर.टी.ए. और दूसरे लोगों को हम स्कूल बसिज की सेफ्टी के लिए और दूसरे कार्यों के लिए इन्वील्व करके रखते हैं । इसके साथ-साथ हरियाणा रोडवेज की 3500 बसिज की जो हमारी फ्लीट है. उसको भी हम बढ़ा रहे हैं । मैक्सीकैब की यहां पर चर्चा हुई । हमने वर्ष 2011 में 14408 मैक्सीकैब के चालान भी किए हैं। हमने आर.ओ.बीज. का भी निर्माण किया है। अध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार में जहां 5 साल में केवल 3 आर.ओ.बी. बनाए गए। वर्ष 2005 से जब से हमारी सरकार आई है हमने 603 करोड़ रुपये की लागत से 29 नए आर.ओ.बीज. बना दिए हैं। 872 करोड़ रुपये की लागत से 25 नए आर.ओ.बीज. इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और 306 करोड़ रुपये की लागत से 43 नए आर.ओ.बीज. इस समय पाइप लाइन में हैं । इन आर.ओ.बीज. से स्मूथ ट्रैफिक फलों में बहुत मदद मिलेगी । अध्यक्ष महोदय, चूंकि जो ओवर ब्रिजिज हैं वे केवल सड़क के ऊपर से जाते हैं इसलिए हम 26 ग्रेट सैपरेटर बना चुके हैं ताकि यातायात को सुविधा मिले और 119 नए ग्रेट सैपरेटर इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। यातायात शहरों के अंदर से न निकले इसके लिए नए बॉय पासिज के ऊपर इम इस समय काम कर रहे हैं। हमने पिछले 7 सालों में 8 बड़े शहरों के 36.30 करोड़ रुपये की लागत से 8 बॉय पास बना दिए हैं और 1313 करोड़ की लागत से 11 नए बॉय पासिज का निर्माण इस समय जारी है । 26612 किलोमीटर सड़कों पर पैच वर्क हमने कम्पलीट कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि इन सारी बातों से माननीय सदस्य की जिज्ञासा पूरी नहीं होगी इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि we have to all make a concerted efforts as citizens of the State. It is the endeavour of the Congress Government in Haryana led by Chief Minister Ch. Bhupinder Singh Hooda that we should make this as the safest State in terms of road safety besides other parameters of the country and we are doing our best to do so.

प्रो० सम्पत सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, आनरेबल मंत्री जी ने काफी डिटेल रिप्लाई दिया

प्रो० सम्पत सिंही था और उसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स को हाउस में पढ़कर सुनाया भी है । मैं मानता हूं कि they have already done. ये सारे काम ये 31 मार्च, 2011 से पहले कर चुके हैं। ये काम होने के बावजूद मैं कह रहा हूं कि जो ऐक्सीडैंट्स हुए हैं इनको आप क्या डिक्रीजिंग मानेंगे। फैटल (प्राणघातक) ऐक्सीडेंट्स 2010 के 4190 हैं और 2011 के 4155 हैं। इस प्रकार 35 ऐक्सीडैंट घटने को हम यह कह दें कि यह इंडीकेटर दुर्घटनाएं कम होने का है। यह दुर्घटनाएं कम होने का इंडीकेटर नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर हम अपने देश के ट्रैफिक का और ट्रैफिक ऐक्सीडेंट्स का वर्ल्ड के साथ कपैरीजन करें तो we are at the worst और इरियाणा के ट्रैफिक का और ट्रैफिक ऐक्सीडैंट्स का अपने देश के साथ कपैरीजन करें तो we are at the worst as far as vehicles are available, as far as population available. दुनिया के एक प्रतिशत व्हीकल हिंदुस्तान में हैं। अभी मोटर व्हीकल ऐक्ट पर यूनियन कैविनेट ने जब अमैंडमैंट किया, उस टाईम मैं आंकड़े पढ़ रहा था। ये आंकड़े पेपर में भी आये और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आये कि दुनिया के एक प्रतिशत व्हीकल हिंदुस्तान में हैं । चाहे हमारी कन्ट्री का इतना बड़ा साईज है और हमारी बहुत ज्यादा पांपुलेशन भी है लेकिन व्हीकल एक प्रतिशत हैं और ऐक्सीडैंट्स 10 प्रतिशत हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में हर रोज 336 मौतें ऐक्सीडैंट से होती हैं यानि 14 मौतें ऐक्सीडैंट से प्रति घंटा होती है। हमारे देश की पॉयुलेशन करीबन 125 करोड़ है और हमारे प्रदेश की पॉपुलेशन 2.50 करोड़ के करीब है । इस हिसाब से हरियाणा की पॉपुलेशन देश की 2 प्रतिशत है और टोटल ऐक्सीडैंट्स से जो भीतें हर रोज देश में होती हैं उनकी संख्या 336 है। अगर हरियाणा की पॉपुलेशन के साथ 336 को प्रोपोरश्नेटली देखेंगे तो 6.6 डेली होनी चाहिए थी और हमारे यहां डेली 13 मृत्यु ऐक्सीडैंट में हो रही हैं। Then where we are standing. Despite all those reforms. सारी चीजें हम कर रहे हैं उसके बावजूद यह सब हो रहा है। इसका मेन कारण यह है कि हमारे यहां ट्रैफिक रूल्ज सख्ती से लागू नहीं हो रहे। आप कोई भी व्हीकल देख लें उसमें ड्राईवर का तो पता ही नहीं लगता क्योंकि सवारियां ओवर लोडिड होती हैं । चाहे थ्री व्हीलर चल रहा हो, उसमें इतनी सवारिया बैठी होती हैं कि ड्राईवर दिखाई ही नहीं देता । चाहे मैक्सी कैब हो, जीप हो, फोर व्हीलर हो या टू व्हीलर हो यानि कोई भी व्हीकल हो उनमें ड्राईवर का ही पता नहीं चलता कि कौन है, क्योंकि सवारियां ही इतनी ज्यादा बैठी होती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, खासकर जब धार्मिक सम्मेलन वगैरह होते हैं ज्यादातर ऐक्सीडैंट उस टाईम पर होते हैं। ऐसे समय में सारा परिवार इकट्ठा जाता है, यह मजबूरी होती है। यदि कोई गाड़ी पांच सवारियों की है तो उसमें दस-दस बैठ जाते हैं और 20 संचारियों वाली गाड़ी में 100 बैठ जाते हैं। इसके बाद ड्राईयर भी पूरी रात प्रवचन सुनते हैं उसके बाद सुबह ही कह दिया जाता है ड्राईवर चलो वापस । ड्राईवर को भी नींद आती है । क्या सरकार ड्राईवर केयर के लिए भी कुछ कर रही है? यह जो 8 ऑवर्ज का सिस्टम है, यह अपनाना चाहिए। ड्राईवर 18-18 घंटे गाड़ी चलाने में सक्षम नहीं हैं। पिछले दिनों मैंने अखबारों में पढ़ा कि एक परिवार के 8 सदस्य फतेहाबाद में खत्म हो गए। केवल एक बूढ़ा व्यक्ति बचा है । वे लोग सिरसा डेरे से आ रहे थे । जो लड़का वह गाड़ी चला रहा था वह पूरी रात बाबा के डेरे में सेवा करता रहा और सुबह परिवार को वापिस लेकर चल पड़ा ! चलते ही 10 मिनट में ऐक्सीडैंट हो गया । उसने सीधी खड़े ट्राले में गाड़ी मारी । उपाध्यक्ष महोदय, यदि डाईवर्ज की पोजीशन ऐसे ही चलेगी तो हमारा सिस्टम ठीक नहीं हो पायेगा । हमारे समाज आदि का सारा सिस्टम अच्छा या लेकिन आज हर मीडिया हमें किलर रोडज कहने लग गया है। यह जो बदनमा दाग हम पर लग गया है इसको मिटाने के लिए हमें सख्त कदम उठाने चाहिए । मंत्री जी ने ठीक कहा कि हम सभी की जिम्मेवारी है और इसके साथ-साथ सोशल अवेकनिंग भी देना जरूरी है। इसके साथ-साथ वर्क्स करना भी जरूरी है और उसकी इम्पलीमैंटेशन तो बहुत ही जरूरी है। अब यह बहुत अच्छी बात है कि भारत सरकार मोटर व्हीकल ऐक्ट को सख्त कर रही है। हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम भी अपने रूल्ज चेंज करें। यदि कोई मोटर व्हीकल ऐक्ट की पालना नहीं करता है तो उस पर अच्छा जुर्माना लगायें । यदि कोई दो से तीन बार गलती करता है तो उसका डाईविंग लाईसैंस कैंसिल कर दें । क्योंकि जब तक हम सख्ताई नहीं बरतेंगे, चाहे वह हैलमेट सिस्टम है, चाहे वह बैल्ट सिस्टम है। अब क्या होता है कि यदि हम हरियाणा से दिल्ली में इंटर करते हैं तो लोग कहते हैं कि दिल्ली आ गई गाड़ी की बैल्ट लगा लो । इसी तरह कहते हैं कि बैल्ट लगा लो अब चण्डीगढ़ आ गया है। इन शहरों में इंटरी करते ही लोग दैफिक रूल्ज की पालना क्यों करते हैं। ऐसा क्यों नहीं कहते कि बैल्ट लगा लो हरियाणा आ गया? हमें उस दिन खुशी होगी जब गाड़ियों वाले कहेंगे कि हरियाणा आ गया सवारियां परी रखो नहीं तो चालान जो जायेगा और गाड़ी की बैल्ट भी लगा कर रखो। अब हम देखते हैं कि चण्डीगढ़ और दिल्ली का बॉर्डर आते ही सभी गाडियों में लोग बैल्ट लगा लेते हैं । लेकिन हरियाणा आते ही बैल्ट खोल देते हैं । इसका मतलब लोगों को कानून की जरूरत है, मौत की परवाह नहीं है। हमें लोगों में प्रचार करके इस तरह की अवेकनिंग लानी पड़ेगी कि गाड़ी चलाते वक्त ट्रैफिक रूल्ज की पालना करनी चाहिए, इससे लोगों की लाईफ सेफ रहेगी । उपाध्यक्ष महोदय, हमने एक अच्छे पंजाबी गायक को ऐम्बेस्डर तो नियुक्त कर दिया लेकिन वह क्या कर रहा है हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर सर, एक बात मैं माननीय मंत्री महोदय को यह कहना चाहता ह कि जिस प्रकार से कमर्शियलाईजेशन हुआ है उसके बाद सड़क के किनारों पर ढाबे ख़ुले हैं और दूसरी कमर्शियल ऐक्टिविटीज़ शुरू हुई हैं वहां पर सारे ट्रक और सारी गाड़ियां खड़ी रहती हैं। अगर कहीं कोई गाड़ी या ट्रक खराब हो जाता है तो उन्हें भी सडक के ऊपर ही खड़े कर दिया जाता है। हमें उन सबको एग्जिट एरिया के अंदर लेकर जाना चाहिए। सर. आप भी यरोपीय देशों, अमेरिका व इंग्लैंड इत्यादि में गये हैं, मंत्री जी भी गये हैं और मुझे भी बाहर के देशों में जाने का कई बार मौका मिला है । वहां पर सभी जगहों पर एग्जिट एरियाज़ हैं । वहां आपको रोड के ऊपर कोई ढाबा या दूसरी बिल्डिंग नहीं मिलेगी । इनके अलावा और कुछ मी नहीं मिलेगा । उन्होंने एग्जिट एरियाज बनाये हुए हैं । मैं चाहता हूं कि हमारे यहां भी उसी प्रकार से एग्जिट एरियाज बनाये जायें जिन पर रैस्ट एरियाज हों और सर्विस एरियाज़ भी हों । जहां पर हर प्रकार की सर्विस अवेलेबल हो और अगर ड्राईवर्ज को रैस्ट करना हो तो वे अपनी गाड़ी को एग्जिट एरिया में पार्क करें और रात में वहां पर सो जायें । सर्विस और रैस्ट एरियाज़ का एग्ज़िट एरिया में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह सब कुछ सड़क पर नहीं होना चाहिए वर्ना एक्सीडैंट्स की बढ़ती हुई संख्या को कोई नहीं रोक सकता। वे होंगे और होंगे ही। ट्रैफिक जाम की समस्या भी रहेगी ही रहेगी और एक्सीडैंट्स में लोग मरते भी रहेंगे। सरकार द्वारा अकेले कानून बना देने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है बल्कि हमें इससे सम्बन्धित सभी फैसिलिटीज देनी ही पडेंगी। डिप्टी स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि स्टेट हाईवेज़,

प्रो० सम्पत सिंही.

नेशनल हाईवेज और दूसरी सड़कों पर जितने भी ढ़ावे इत्यादि हैं, उन सभी को एन्ज़िट पर ले जायें। उनके लिए सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया जाये कि वे एग्जिट पर जायें वहां पर उनको इतनी जगह मिलेगी, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर दिया जायेगा और तमाम प्रकार की दसरी सभी सुविधायें भी मिलेंगी । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उनको उन एग्जिट एरियाज़ में कोई स्कीम बनाकर दी जाये क्योंकि यह बहुत ज्यादा जरूरी होने के साथ-साथ बहत ही ऐमरजैंट भी है। डिप्टी स्पीकर सर, खास तौर से धुंध और पाले के समय में सड़क पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है जिसके कारण अधिकतर ऐक्सीईंट्स होते हैं। हमारे जो रोड्ज हैं उनके बारे में पी.डब्ल्यू.डी. वालों की तरफ से एक सिस्टम है जिसमें सड़क पर कैट आईज़ लगाई जाती हैं जो वाहनों की लाईट पड़ने पर रिफलैक्ट करती हैं और वे रात को चमकती भी हैं जिससे हमें पता चलता है कि रोड किस साईड में है और हमारा वाहन कहां चल रहा है। ठीक इसी प्रकार से डिलियेटर ए.बी.डी. नाम के गार्डुज़ हैं। ये भी विदेशों में रोड्ज़ पर लगे हुए हैं । ये हमारे यहां भी इस तरह के लगाने चाहिएं । इनके अलावा जो स्ट्रिप लगाये जाते हैं वे भी हर रोड़ के ऊपर होने चाहिएं । इनको किनारों पर भी और ऐजिज पर भी लगाया जाना चाहिए ताकि सही पता चल सके कि रोड़ कहां तक है क्योंकि उस समय रोड़ की वास्तिवक स्थिति का पता नहीं चलता है। अगर हर रोड़ के ऊपर ये सारी चीजें होंगी तो Deputy Speaker Sir, I would like to say these can be avoided. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो मैंने ये सारे सुझाव दिये हैं क्या वे इनकी इम्पलीमैंटेशन सनिश्चित करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : सुमिता सिंह जी, आप क्या कहना चाहती हैं?

श्रीमती समिता सिंह : डिप्टी स्पीकर सर. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऐक्सीडैंट्स में जो ज्यादातर मौतें होती हैं वे टू-व्हीलर के ऊपर होती हैं । अगर हम दिल्ली या चण्डीगढ़ चले जायें तो हमें वहां पर कोई भी टू-व्हीलर राईडर और उसके साथ बैठी सवारी बिना हैलमेट के नहीं मिलेगी यहां तक कि इन जगहों पर टू-व्हीलर चलाने वाली लड़कियों ने भी हैलमेट पहना होता है लेकिन इसके विपरीत जब हम करनाल में नेशनल हाईवे पर देखते हैं या शहर के अंदर जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं उन पर देखते हैं तो हमें कोई भी टू-व्हीलर चालक विशेषकर नौजवान और नवयुवतियां और उनके साथ बैठी सवारी भी हैलमेट पहने नहीं मिलती। ट-व्हीलर से होने वाले ऐक्सीडैंट्स में ज्यादातर मौतें नौजवानों की ही होती हैं। मैंने अपने लैवल पर भी स्थानीय स्तर पर इस बारे में लोगों में अवेयरनैस लाने के लिए प्रयास किये हैं। हमने न्युज़ पेपर में इस बारे में इशितहार भी दिये, लोकल केबल पर भी इशितहार दिये और इसके साथ-साथ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लैवल पर पुलिस ऑफिसर्ज़ हैं उनसे भी मैंने इस बारे में बात की कि जो बाकी की चीज़ें हैं उनको बेशक हम छोड़ भी दें जैसे कि दूसरे कागज़ पत्र हैं जिनके न होने पर हम वाहन का चालान करते हैं उन्हें हम छोड़ दें और जो टू-व्हीलर राईडर और सवारी हैलमेट नहीं पहनते उनका हर हाल में चालान किया जाये और हैलमेट के चालान की राशि को भी ज्यादा से ज्यादा किया जाये । इसके साथ-साथ इसको और ज्यादा सख्ती से लाग किया जाये क्योंकि मैं यह भी जानती हूं कि हमारे यहां भी हैलमेट न होने पर चालान किया जाता है लेकिन इसके बावजूद भी लोगों में चालान का डर नहीं है। मैं बार-बार यही कहना चाहती हूं कि कुछ ऐसे सख्त नियम बनाकर कड़े कदम उठाये जायें जिससे टू-व्हीलर चालक और सवारी हैलमेट हर हाल में पहनें। अगर हम इस बारे में थोड़ी ज्यादा सख्ती बरतेंगे तो टू-व्हीलज़ं के मामले में होने वाली डैस्स को कम किया जा सकता है। डिप्टी स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी के लिए यह एक सुझाव भी है और रिक्वैस्ट भी कि वे कुछ ऐसा करें कि जिससे सभी टू-व्हीलर चालक और सवारी हैलमेट हर हाल में पहनें। चाहे इसकें लिए कोई कठोर और सख्त कदम ही क्यों न उठाने पड़ें। ऐसा करके हम बहुत से लोगों और विशेषकर बच्चों की जान बचा सकते हैं।

श्री भारत भूषण बजा : डिप्टी स्पीकर सर, चौधरी सम्पत सिंह जी के कालिंग अटैंशन भोशन का जवाब तो माननीय मंत्री जी ने दे दिया है । चौधरी सम्पत सिंह जी ने अपने कालिंग अटैंशन मोशन में एक बात विशेष रूप से पूछी है कि क्या ये अपने डिपार्टमैंट की सारी स्टेट में चल रही मैक्सी कैब्स की वीडियोग्राफी करवाने की ड्यूटी लगायेंगे और साथ में यह पता भी लगायेंगे कि मैक्सी कैब्स से कितने एक्सीईंट्स होते हैं। इसके अलावा क्या ये यह भी पता लगायेंगे कि मैक्सी कैब्स में अगर 8 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी है तो उस हिसाब से उसमें कितनी सवारियों को बिठाया जाता है । क्या मंत्री जी मैक्सी कैब्स के आपस में होने वाले रेस के जानलेवा कम्पीटीशन को भी रोकने के लिए कोई ठीस कदम उठायेंगे अर्यात् जैसा कि 17.00 बजे चौधरी सम्पत सिंह जी ने भी पूछा है कि मंत्री जी मैक्सी कैब्स के ऊपर कैसे रिस्ट्रिक्शन लगायेंगे ? यह मेरा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट से रिलेवैंट सवाल है हालाँकि यह सवाल कोलिंग अटैंशन मोशन से संबंधित नहीं है लेकिन मुझे उम्मीद है कि उसका जवाब भी मंत्री जी दे देंगे। इसके साथ ही मिसयूज ऑफ रैडलाईट के बारे में मंत्री जी क्या प्रावधान करेंगे ? यहां तक कि गाड़ी पर ब्लैक फिल्म भी लगी होती है, आई.एन.एल.डी. लिखा होता है और ऊपर रैड लाईट लगी हुई होती है। अगर मंत्री जी कहें तो हम उन गाड़ियों के नम्बर इनको दे देंगे । इसके लिए मेरा एक सुझाव है कि जहां पर टॉल प्लाजा वगैरह बने हुये हैं वहां पर कैमरे लगा कर इन गाड़ियों को आईडेंटीफाई करें। ये ब्लैक फिल्म और रैड लाईट भी स्टेट में क्राइम को बढ़ावा देते हैं।

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Deputy Speaker Sir, extremely valuable suggestions have been given by Ch. Sampat Singh Ji, as also by Smt. Sumita Singh Ji, and Shri B.B. Batra Ji. Sir it is a fact that road safety is a danger among many other dangers to the progress of youth in Haryana. उपाध यक्ष महोदय, मैंने जैसा बताया कि जिस प्रदेश की जनसंख्या अड़ाई करोड़ हो और वहां पर जहां हैलमेट और दूसरी चीजों के साढ़े दस लाख से ज्यादा चालान एक साल में काटे जायें तो यह हमारी मुस्तैदी की भी दिखाता है। हम मृत्यु दर की लगभग एक हजार से कम कर पाये हैं। माननीय सदस्य श्री सम्पत सिंह जी ने और दूसरे सदस्यों ने जो वैल्यूएबल सुझाव दिये हैं, वे सुझाव भैंने नोट कर लिये हैं ! We will make sure that the sense of the House ! think is conveyed by what Ch. Sampat Singh, Smt. Sumita Ji and Shri B.B. Batra Ji have said. Government has noted that sense and we will be more proactive. I can assure the House and the learned Members. We will make sure whether it is a question of Helmet, Red Light, Black Films, over loading of Maxi Cabs, private and Govt. buses, an exit and entry points, cat eyes on the sides of the roads, we will try to implement all these and many other suggestions that have come. We will make sure that we will do our best that this State remains a safe State in [Shri Randeep Singh Surjewala]

terms of safety standards and road safety standards. We make sure that the training of drivers which is of paramount importance and testing of road worthiness of vehicles which is also paramount importance. All these institutes are implemented as soon and come into operation as soon as possible.

प्रोo सम्पत सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज मुझसे रह गई थी। मैं कह रहा हूं कि हमारी बहुत सी एक्टिविटी रोड पर चल रही हैं, जैसे शराब के ठेके रोड पर चल रहे हैं, इन सबको आप एक्जिट में ले जा कर स्थापित कर सकते हैं। जैसे दूसरे देशों में आप देखते हैं कि सर्विस एरियाज हैं, दूसरे रेस्ट एरियाज बने हुये हैं, इसी तरह की कोई व्यवस्था आप करें तो रोड मी अच्छा लगेगा और ऐक्सीडैंट्स भी कम होंगे। वहीं रोड पर द्रक खड़े हो जाते हैं, गाड़ी खराब हो जाती है तो वहीं पर खड़ी हो जाती है। अगर पंक्चर हो गया तो उसको यह नहीं पता कि कहां पर ठीक करवायेगा, वह भी रोड पर ही खड़ा हो जाता है। ऐसी जगह हो और थोड़ी-थोड़ी दूर पर आप ऐक्जिट नहीं दे सकते हैं तो रोड को 30-40 फिट चौड़ा कर दें, 100 यार्ड चौड़ा कर दें। कम से कम वहां पर गाड़ी खड़ी करके रेस्ट किया जा सकता है। मेरा यह भी सुझाव है कि ऐक्जिट एरियाज भी हों, जिससे कमिशियल ऐक्टिविटीज वहां पर चली जायें, ये सड़क पर न रहें। कम से कम शराब का ठेका तो सड़क पर नहीं होना चाहिए और बाकी ऐक्टिविटीज को तो देखा जा सकता है। धीरे-धीरे आप कोई रोड मैप बनायें, आपको ट्रैफिक का भी पता है और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट आपके पास ही है, आप ऐसा कुछ करें कि जिससे हमारी स्टेट का नक्शा ही अलग नजर आये you are very intelligent and efficient.

Shri Randeep Singh Surjewala: Sir, The point is very well taken. Sir, in all the new roads, we are constructing for example the north-south corridor that we have just standard out, we make provision for truck lay-byes which can be resting places for drivers who do long distance travelling. National Highway Authority of India, they are making many other roads for example six-laning of the Delhi-Jaipur road via Faridabad, Palwal, six-laning of the existing National Highway No. 1 Now, they are also making a 1200 crores rupees road from Panchkula to Yamunanagar. All these roads we are building on BoT. Another road from Ladwa to Yamunanagar district at a cost of 400 crores. All these roads that now are making, we are ensuring that there are truck by-lays there. A valuable suggestion has come regarding vehicle lanes. I will pass on to the Minister and Sir, we will make sure that the existing vends which have come up the policy and which have been given away, I do not know whether it is possible to re-locate them because they have paid some amount of money. Yet, I can assure my learned friend and a senior colleague who has far more experience that we will try to see if the Excise & Taxation Department can persuade the vend owners to re-locate. However, I will request the Minister and the Department and I will give this suggestion to them that they should consider re-locating the vends away from National Highways. Although we already do it as far as possible. But it is not so everywhere. It is correct and we will try and re-locate them also, atleast in future if not immediately.

### शोक प्रस्ताव

Mr. Deputy Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will make the obituary references.

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री कंवर राम पाल सिंह के 8 मार्च, 2012 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 6 नवम्बर, 1934 को हुआ। वह 1962 में पंजाब विधान समा तथा 1967, 1977 तथा 1991 में हरियाणा विधान समा के सदस्य चुने गए। वह 1966-67 के दौरान उप-मंत्री एवं राज्य मंत्री तथा 1979 से 1982 और 1993 से 1996 तक केबिनेट मंत्री रहे। मंत्रीमंडल में रहते हुए उन्हें पर्यटन, मत्स्य, वन्य जीव, जन-स्वास्थ्य, पशुपालन एवं डेयरी जैसे महत्वपूर्ण विभाग सम्भालने का गौरव हासिल हुआ। वह एक निष्ठावान सामाजिक कार्य कर्ता थे तथा समाज के कमजोर एवं गरीब वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए सदैव समर्पित रहे। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा तो उनके परिवार से विशेष संबंध रहा है। वे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के भी मित्र थे। मेरी उनके बेटों के साथ घनिष्ठ मित्रता है। उनके निधन से हम सभी को भारी आधात हुआ है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

### चौघरी राम लाल वधवा, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री चौधरी राम लाल वधवा के 8 मार्च, 2012 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है ।

उनका जन्म 1 जून, 1922 को मुज्जफरगढ़ पश्चिमी पंजाब (पाकिस्तान) में हुआ। उन्होंने देश की आजादी के बाद करनाल की अपनी कर्मभूमि बनाया और समाज सेवा में जुट गए। वह 1967, 1972 तथा 1977 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए। वह राज्य योजना बोर्ड के उप-सभापति रहे। मंत्रिमंडल में रहते हुए उन्हें आवास, जन स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन तथा नगर एवं ग्राम आयोजन जैसे महत्वपूर्ण विभाग सम्भालने का गौरव हासिल हुआ।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I associate myself with the obituary references made by Hon'ble Parliamentary Affairs Minister. I also deeply feel grieved on the sad demise of Kanwar Ram Pal Singh Ji and Shri Ram Lal Wadhwa Ji, Ex-Ministers of Haryana. Kanwar Ram Pal Ji was elected to Punjab Vidhan

[Mr. Speaker]

Sabha in 1962 and thereafter he was elected to Haryana Vidhan Sabha for three times. He served the State as a Deputy Minister, State Minister and a Cabinet Minister and held various important portfolios. Similarly, Shri Ram Lal Wadhwa was elected to this House three times, remained Vice-Chairman of the Planning Board and also served the State as a Cabinet Minister for about a year. Both these Hon'ble Members of this House earlier and Ex-Ministers were great social workers who served the State with all sincerity and devotion. I pray to Almighty to give peace to the departed souls. I will convey my feelings and feeling of this House to the bereaved families. Now, I request you all to kindly stand up to pay homage to the departed souls.

(At this stage the House stood in silence for two minutes as a mark of respect in the memory of the deceased.)

श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम.एल.ए. के परिवार के सदस्यों के न्यासों/सोसायटियों द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच करने के लिए सदन की समिति के गठन की वैधता, जबकि श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम.एल.ए. के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरों के न्यायालय में आय से अधिक सम्पित्तयों का मामला लंबित पड़ा है, पर चर्चा।

Mr. Speaker: Hon'ble Member, as aggrieved upon and as decided after taking the sense of the House, the discussion regarding the validity of the Constitution of a Committee of this House to examine the irregularities committed by the Trust/Societies of the family members of Sh. Om Parkash Chautala, MLA when disproportionate assets case is pending in CBI Court against Sh. Om Parkash Chautala Ji. Hon'ble Members, now discussion on the validity of the Constitution of the Committee of the House to examine the irregularities committed by the Trusts/Societies of family members of Sh. Om Parkash Chautala, MLA when disproportionate assets case is pending in CBI Court against Sh. Om Parkash Chautala will take place. Now, Hon'ble Parliamentary Affairs Minister will speak.

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, यह जब मुद्दा चर्चा में आया तो विपक्ष के साथी जो अपने खुद के आचरण के कारण बहिर्गमन करके चले गये हैं, उन्होंने डिलेटिडली यह मुद्दा उठाया था। चौटाला परिवार ने जिस तरह से हरियाणा की वेशकीमती संपत्ति इड़प कर बगैर किसी कीमत के बगैर किसी कंसीडरेशन के देवी लाल ट्रस्ट और देवी लाल परिवार के सदस्यों के नाम से कर दी थीं और उनके नाम से जो मिन्न-भिन्न ट्रस्टें बनाई गई हैं उनके अंदर बहुत कम मूल्य के आधार पर सैंकड़ों एकड़ भूमि जो उन्होंने अर्जित की थी वह अपने ट्रस्ट के अंदर शामिल कर ली थी। इसकी जांच के लिए पिछले सत्र

के अंदर एक कमेटी का गठन किया गया था. जिस की कार्यवाही इस समय भी चल रही है। जब इस कमेटी की ऐक्सर्टेशन का मुददा आया तो श्री शेरसिंह बडशामी जो हाउस में इण्डियन नैशनल लोकदल के डिन्टी लीडर हैं उन्होंने कहा कि चुंकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा श्री ओम प्रकाश चौटाला जी, श्री अजय सिंह चौटाला जी और श्री अभय सिंह चौटाला जी पर आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे केन्द्रीय जांच ब्यूरो में दर्ज हैं तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो की एक विशेष अदालत उन मुक्दमों के ऊपर कार्यवाही कर रही है वहां ओम प्रकाश चौटाला जी, श्री अजय सिंह चौटाला जी, श्री अभय सिंह चौटाला जी तीनों उसमें आरोपित हैं उन्होंने उस समय कहा कि ये जो सदस्य हैं, क्योंकि ये डिस्प्रपोर्शनेट असैट्स केस के जंदर आरोपित हैं इसलिए इनके जो ट्रस्ट्स या सोसाइटीज हैं इन्होंने हरियाणा की संपत्ति कैसे ली, हरियाणा की बेशकीमती संपत्ति को कैसे उसमें डाल दिया गया था। अब कह रहे हैं कि इसके ऊपर यह कमेटी निर्णय नहीं कर सकती । स्पीकर सर, मेरा केवल इतना अनुरोध है कि जो केस चौटाला जी और उनके दोनों बेटों के खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यरो के अन्दर विचाराधीन है और उसमें श्री ओम प्रकाश चौटाला जी और उनके दोनों बेटों के खिलाफ ब्यरो द्वारा उनकी तफ्तीश की गई है और उनको आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में, जे.बी.टी. घोटालों के अंदर, नियक्तियों के घोटालों के अंदर आरोपित किया गया है तथा जिसकी अब चार्जशीट फ्रेम हो चुकी है । इस समय यह तीनों मुकदमें गवाही पर हैं। इनके ट्रस्ट की जो प्रापर्टी है वह हरियाणा सरकार की प्रापर्टी थी या पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्ज की प्रॉपर्टी थी या फिर पंचायतों की प्रॉपर्टी थी या पंचायत समिति या जिला परिषद् की प्रॉपर्टी थी। जब आखिरी बार इस बारे में चर्चा हुई थी तब इनकी परी तफसील देकर रिकॉर्ड हमने सदन के पटल पर रख दिया है, वह प्रॉपर्टी किस प्रकार से चौधरी देवीलाल द्रस्ट या उनके परिवार में बगैर इयु कंसीडेशन ली जा सकती थी। जैसा आदरणीय मंत्री जी ने कहा, उसमें कई डिस्यटेड प्रॉपर्टीज भी थी। (विघ्न) ये सारी कैसे एक ट्रस्ट में ली जा सकती हैं, विशेष तौर से जब, जब चौटाला जी स्वयं मख्यमंत्री थे उनकी माता जी के नाम से ट्रस्ट है उनके पिता के नाम से ट्रस्ट हैं वह मंत्रीमण्डल में लाई जाती थी। Speaker Sir, there was a direct conflict of interest of the Chief Minister परन्त मंत्रीमण्डल में उसको पास कर दिया जाता था। प्रॉपर्टी लाई जाती थी कि 'हां' हम अमुक प्रॉपर्टी इस ट्रस्ट को दे रहे हैं, लेने वाला भी 'मैं' देने वाला भी 'मैं' । प्रॉपर्टी किसकी जा रही है वह हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों की जा रही है । इस प्रकार से टस्ट में प्रॉपर्टी इकटठी की गई, इससे पूरे प्रदेश के हर वर्ग में हडकंप मचा, बेचैनी रही कि सैकड़ों करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी इस प्रकार से इकटुठी की जा रही है जो कि चौघरी देवी लाल और माता हरकी देवी टस्ट या जन्य जो ट्रस्ट हैं, उनमें कहीं बुत लगाकर, कहीं संस्था के नाम पर, कहीं धर्मशाला के नाम पर कहीं गऊशाला के नाम पर और सैकड़ों एकड़ भिम दूसरे भवन देवीलाल सदन के नाम से की जा रही है। प्राइम लैंड जो कि शहरों और गांवों की है, उनकी सारी संपत्ति इकट्ठी कर ली गई है । आय से अधिक संपत्ति का मामला बिल्कुल भिन्न है । अगर मुकद्मा भी चलता है तो this House is supreme. It can always regulate its own proceedings. It is not dependent upon proceedings of a Court. May I say Sir, the law-makers sit here. Court only interprets the law. There is segregation of functions under the Indian Constitution. There is legislature, there is executive and there is judiciary. If a case is pending in a CBI Court, where Shri Om Prakash Chautala, Shri Abhey Singh Chautala & Shri Ajay Singh Chautala have been charge-sheeted for having [श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

disproportionate assets compare to their known sources of income for illegally recruiting JBT teachers for playing with the future of young men and women of Haryana, even then there is no bar to consider by this House by way of constituting a Committee. As to how these trust properties were used of, how people of Haryana were duped, how hundreds of crores rupees of property was taken away by none other then the Chief Minister of the State himself by bringing a resolution in his own cabinet to give the property to his own family trusts. Speaker Sir, this is a sacrilege, this is a breach of oath that you take for the constitution, this is a breach of oath that you take to be fair and impartial. They have never known to be fair or impartial or just because that is a word that is alient to the dictionary of the Chautala family. Sir, my humble request is that the Committee is correctly constituted and it has no difficulty or no conflict with the disproportionate assets or the jobs scam for which Chautala family has been charge-sheeted.

श्री शेर सिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि जिस तरह की कमेटी कांस्टीच्यूट की है यह पूरी तरह से असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। भारतीय संविधान के आर्टिकल-20 के तहत जब कोई मुकद्मा किसी अदालत में चल रहा हो, उसकी चर्चा नहीं की जा सकती । एक व्यक्ति को दो बार सजा नहीं दी जा सकती है। मैं इस बारे में एक ताजा जजमेंट से सदन को अवगत करवाना चाहूंगा कि पंजाब प्रदेश की अकाली दल सरकार ने पंजाब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्द्र सिंह के खिलाफ लुधियाना की ट्रस्ट के मामले में प्रिविलेज कमेटी में मुकद्मा दे कर के उनको अनसीट करने का काम किया था और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में सरदार अमरिन्द्र सिंह गए और उन्होंने अपनी सारी दलील पेश की तो उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमैंट में यह लिखा है कि any act of omission and commission took place within the premises of the Vidhan Sabha can be taken into consideration by the Legislature Committee. जो विधान सभा की प्रीमिसिस में कोई भी इस तरह की ओमिशन और कमीशन होगी, उसका संज्ञान विद्यान सभा के द्वारा बनाई गई कमेटी ले सकती है। विद्यान सभा के बाहर कोई भी ऐक्शन चाहे वह ट्रस्ट का मामला हो, चाहे किसी दूसरी चीज का मामला हो, विधान सभा द्वारा गठित की गई कमेटी ऐसा कोई भी मामला उठा नहीं सकती और न ही ऐसे मामलों में कोई इंक्वायरी कर सकती है, न ही कोई सजा दे सकती है । यह एक हिस्टोरिकल जजमेंट है । आपको इस जजमेंट को भी ध्यान में रखना चाहिए । चौटाला साहब और उनकी फैमिली से संबंधित जितने भी केसिज हैं उनमें से एक भी इन्सीडैंट ऐसा नहीं है जो विधान सभा की प्रीमिसिज में घटा हो या कोई ऐसी घटना हुई हो । इस केस को देखते हुए भी हरियाणा प्रदेश की जो कमेटी विधान सभा द्वारा गठित की गई है, यह पूरी तरह से गलत की गई है। वह कमेटी कोई भी कान्नीजैंस इस ट्रस्ट के मामले में नहीं ले सकती । इस प्रकार की सुप्रीम कोर्ट की लेटैस्ट जजमेंट है।

श्री अध्यक्ष : कहां है जजमेंट?

श्री शेर सिंह बड़शामी: सर, मैं बता रहा हूं, विधान समा की लाईब्रेरी में हैं आप वहां से मंगा सकते हैं। सर, मेरी यह बात रिकार्ड की जाए। श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम.एल.ए. के परिवार के सदस्यों के न्यासों/ (8)87 सोसायटियों द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच बारे

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): He has to give citation, Page No. party's name and title of the case.

श्री अध्यक्ष: अगर आपके पास इस जजमैंट की कोई कॉपी है तो आप सदन के पटल पर रिखये। अगर आपके पास उस जजमैंट की कॉपी नहीं है, आप उसकी साईट कर सकते हैं।

श्री शेर सिंह बड़शामी: स्पीकर सर, वह कॉपी तो बाद में भी दी जा सकती है क्योंकि कोर्ट में भी तो बाद में कॉपी देते हैं । इस बात पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा मैंने पहले भी सदन में प्रार्थना की थी कि हमारी विघान सभा की लाईब्रेरी के अन्दर जितने भी हरियाणा के ऐक्ट हैं, उन सभी की कॉपी मौजूद होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि हर प्रकार की जजमैंट यहां पर अवेलेबल होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। भैंने यह भी रिक्वेस्ट की थी और मुख्य सचिव को इस बारे में चिट्ठी भी लिखी थी कि जो भी बिल हमारे पास आते हैं उन सभी के प्रिंसिपल एक्ट की कॉपी भी बिल के साथ प्रोवाईड करनी चाहिए वह भी हमारी लाईब्रेरी में नहीं हैं। वास्तविकता यह है कि ये सारी किताबें यहां मौजूद होनी चाहिएं थी । मैं हाई कोर्ट से इस जजमैंट की कॉपी मंगवाकर सदन के अन्दर दस मिनट के अन्दर रख दंगा । मेरी बात यहां पर रिकॉर्ड हो गई है कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री का यह केस है। इस केस में मैंने आर्टीकल 20 का भी मैंने हवाला दिया है इसके साथ ही जो कौल एण्ड शकधर की पार्लियामैंट्री अफेयर्ज के बारे में किताब है उसमें भी पूरी तरह से इस बारे में लिखा हुआ है कि जो मामला सब जूडिस है उनको पूरी तरह से डिबार किया हुआ है कि उन पर उन मामलों पर सदन के अन्दर चर्चा नहीं की जा सकती । इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहूंगा कि विधान सभा के अन्दर दिनांक 8.3.1995 को एक नोटिस दिया था, जिसमें चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी थे और श्री सम्पत सिंह जी थे इन दोनों के नाम यहां पर अंकित हैं । उस नोटिस के माध्यम से उन्होंने पौल्यूशन के बारे में चर्चा करनी चाही थी । लेकिन इसी सदन ने यह कहकर उस नोटिस को डिसजलाऊ कर दिया था कि क्योंकि यह मामला कोर्ट के विचाराधीन है, सब जुडिस है इसलिए सदन में इस पर चर्चा नहीं हो सकती । यही बात में सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। जब और मोशन डिसअलाऊ कर दिए जाते हैं तो स्पैसीफिकली चौटाला साहब से और उनके परिवार से सम्बन्धित मामले को विशेष तीर से क्यों उठाने का काम किया जा रहा है । मैं यह कहूंगा कि इस मामले में एक परिवार के ऊपर विशेष तौर से कीचड़ फैंकने का काम किया जा रहा है ! न्यायालय का जो निर्णय आएगा वह सारे देश और प्रदेश के सामने होगा ! अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ में एक और उदाहरण देना चाहता हूं । श्री रामपाल माजरा जी ने पिछले बजट सैशन, 2011 में इसी तरह का एक कालिंग अटैंशन मोशन दिया था, उसको भी इसी सदन ने यह कहकर डिसअलाऊ कर दिया था कि यह मामला सब जुड़िस है और न्यायालय के विचाराधीन है इसलिए इस पर वर्चा नहीं की जा सकती है। सब जूडिस को भी लॉ में भी इस तरह से डिफाइन किया गया है कि जो मामला सब जुड़िस होता है उस पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए, ताकि उसका जो असली निर्णय आना है वह प्रभावित न हो । इस कमेटी के जो मैम्बर्ज हैं वे सारे इसी सदन के सदस्य हैं और यहां पर मौजूद हैं । यदि हम इस कमेटी के बारे में और चौटाला साहब के ऊपर बने हुए केसिज के बारे में यहां चर्चा करेंगे तो नैचरली उन लोगों के ऊपर भी प्रभाव जाएगा कि सदन क्या (श्री शेर सिंह बड़शामी) चाहता है और कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे वही प्रार्थना है कि जहां निर्णय देने वाले, इक्वायरी करने वाले सदस्य सदन के अंदर मौजूद हों, उनकी मौजूदगी में इस तरह के विषयों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए । अध्यक्ष महोदय, इस मामले को आपने जो एक तरह से ऐक्सटैंशन दी है वह भी गैर वाजिब है नहीं देनी चाहिए थी। यह असवैधानिक है और इसको ऐक्सटेंशन नहीं दी जानी चाहिए थी । अध्यक्ष महोदय, कौल एण्ड शकधर के अंदर 1967 का बहुत पुराना केस है, जब डॉ॰ राम मनोहर लोडिया पार्लियामैंट के मैम्बर होते थे। उन्होंने पार्लियाभैंट में सवाल उठाया था और इस बात पर व्यवस्था मांगी थी कि क्या सब जूड़िस मामले पर चर्चा की जा सकती है । उस समय भी तत्कालीन स्पीकर ने यही कहा था कि जो मामले सब जुड़िस हैं, उनके ऊपर चर्चा नहीं की जा सकती। कौल एण्ड शकधर के अंदर एक उदाहरण नहीं बल्कि अनेकों उदाहरण पेश किए गए हैं कि सब जुडिस मामलों पर इसलिए चर्चा नहीं की जा सकती क्योंकि उस चर्चा से उसका जो फाइनल आउट कम है वह प्रभावित होता है। वैसे इस पर कोई बैन नहीं है परन्तु यह चर्चा फाइनल आउट कम को प्रभावित कर सकती है । अध्यक्ष महोदय, मैं कील एण्ड शकघर के कुछ पेजिज और बताना चाहता हूं। कौल एण्ड शकधर की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामैंट के 336 पेज पर व्यवस्था दी गई है जिसको मैं पढ़कर सुना देता हूं इसमें लास्ट लाइन में लिखा है "As a matter in the other cases were pending decision".

Mr. Speaker: Which is the edition with you?

Shri Sher Singh Barshami: Sir, it is the latest edition. जो पहले का ऐड़ीशन है उसमें पेज 123 पर है और जो लेटेस्ट ऐडीशन है उसके पेज 336 पर है । (विच्न) मैंने यह किताब विधान सभा की लाइब्रेरी से इश्रू कराई है । वहां सारी किताबें उपलब्ध नहीं हैं जबिक यहां सारी किताबें होनी चाहिए । हम सदस्य बाहर से किताबें मांगते फिरते हैं । इसमें लिखा है "As the matter in the other cases were pending decision in the Court, the House decided await the verdict of the Court. कोर्ट के वरहिक्ट का इंतजार करें । पेज 1122 पर लिखा है "The rule of sub-judice has application only during the period when the matter is under active consideration of the Court of Law." सिर्फ एक पैटीशन डालने से ही सब जूडिस नहीं कहा जा सकता । जब किसी केस में या तो इश्रूज डिसाइड हो जाएं या चार्जिज फ्रेम हो जाएं तब उसको कहेंगे कि यह केस एक्टिव कंसीड्रेशन में था । आज जो चौटाला साहब या जजय सिंह चौटाला के खिलाफ केसिज हैं वे सारे एक्टिव कंसीड्रेशन के अंदर चल रहे हैं । तो इस नजिरये से उनका संज्ञान विधान सभा के पटल पर नहीं लिया जा सकता है ।

# मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : चार्जिज फ्रेम हो गये हैं।

श्री शेर सिंह बड़शामी: जी सर, इसलिए मैं बता रहा हूं। इसी तरह से at page no. 1123 in last paragraph it is clearly mentioned that a member during the course of his speech is required not to refer any matter of fact which is judicial decision is pending. Discussion on a matter which is sub-judice, is out of order. तो मेरे कहने का भाव यह है कि इस तरह की बहुत सी जजमैंट्स है कि सब जूडिस केसिज पर किसी तरह

की चर्चा नहीं की जा सकती । अध्यक्ष महोदय, इस तरह के इसी सदन के द्वारा 2-3 निर्णय लिये गये मैं उनके ऊपर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । दो कार्लिंग अटैंशन मोशन आपने इसी विधान सभा के अंदर डिस अलाऊ किए हैं और यही ग्राउंड लिया है कि मैटर सब जुडिस है। अभी दो दिन पहले क्वैश्चन ऑवर चल रहा या और एक सदस्य गैस्ट टीचर्स के मुद्दे पर बोलने लगा तो स्पीकर सर, आपने एकदम से कहा कि आप इस मैटर पर नहीं बोल सकते क्योंकि यह मैटर सब जूडिस है। आप चाहें तो रिकॉर्ड निकलवाकर देख लें। उस दिन के आपके निर्णय को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आपने अपने मुखारविन्द से ही इसी सदन के सदस्य को सब जूडिस मैटर पर बात करने से रोका है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे यही अर्ज है कि यह भी सेम मामला है और सब जूडिस मैटर है, न्यायालय में विचाराघीन है इसलिए इस पर यहां किसी तरह की चर्चा नहीं की जानी चाहिए ! मैं उम्मीद रखता हूं कि आप मेरी कही हुई बातों पर गौर फर्मायेंगे और इस कमेटी को जिसको आपने एक्सटैंशन दी है, इसको भंग करने का काम करेंगे ! कानुनी दुष्टि से इस कमेटी को बनाने का कोई औचित्य नहीं बनता है । इस तरह के मामले चाहे चौटाला साहब के खिलाफ हों या उनकी फेमिली के खिलाफ हों, आप जो मर्जी ऐक्शन तें लेकिन आपकी जिम्मेवारी बनती है कि कानून को ध्यान में रखते हुए सारे फैसले आपको लेने चाहिएं। आप लीगल माईंड हैं। आप एक अच्छे वकील भी माने गये हैं । मैं आशा रखता हूं कि आप इस कमेटी को आगे काम करने से रोकेंगे और इस पर हाउस में जो चर्चा हो रही है, उस पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का काम करेंगे। (विघ्न)

Mr. Speaker: Mr. Barshami, I would like to ask a question that there is a case you must have heard of is 2-G Scam. Prosecution is going on in the Court as well as Joint Parliamentary Committee to enquire into it.

## श्री शेर सिंह बड़शामी: सर, जे.पी.सी. तो बनी ही नहीं थी।

Mr. Speaker: JPC is there. (Interruption). Similarly on other matter too JPC has been formed where the case are pending before the Hon'ble Court. (Interruption).

Smt. Kiran Chaudhary: That matter has discussed at great length even in the Parliament.

Shri Sher Singh Barshami : Excuse me madam, सारी चीजें जो लोक सभा की हैं, वे यहां भी अपनाई नहीं जाती । अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुनी जाये, मैं रैफरैंस दे रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान) सर, क्या आप रैफरैंस भी नहीं सुनना चाहते।

Mr. Speaker: No-No I am listening you.

श्री श्रेर सिंह बड़शामी: सर, हो सकता है उस पर किसी ने आपित ही दर्ज न की हो लेकिन में यहां आपित रेज कर रहा हूं। जहां-जहां पार्लियामैंट में आपित आई है, ऐसे मेरे पास एक नहीं दस केस हैं। (विघन)

Mr. Speaker: Mr. Murli Manohar Joshi as Chairman of the Public Accounts Committee in Parliament is looking into the 2-G Scam, holding inquires, holding officers' witnesses.

श्री शेर सिंह बङ्शामी: सर, वह कमेटी कोई स्पेसिफिक कान्स्टीच्यूट नहीं की गई थी। वह तो प्रोसीजरली.......(थिञ) Let me submit, Sir. मैं उसी बात पर आ रहा हूं।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, जे.पी.सी. और पी.ए.सी. दोनों कमेटीज टू जी स्पैकट्रम को देख रही हैं। बाकयदा ये दोनों पार्लियामैंट्री कमेटीज हैं और उस मामले की सुनवाई कर रही हैं। इनका यह कहना कि यह मैटर सब जूडिस है और विधान सभा इसको नहीं सन सकता यह बिल्कुल इनकरैक्ट बात है।

श्री शेर सिंह बड़शामी: अध्यक्ष महोदय, मैं वही कहने जा रहा हूं कि वे तो शैड्यूल्ड कमेटीज हैं। जैसे पी.यू.सी. है या पी.ए.सी. है। Speaker Sir, these are the scheduled Committees not specifically constituted for a specific purpose. I am talking the jurisdiction of those Committees. (विष्न) जे.पी.सी. तो एक स्पेशल कमेटी बनाई जाती है, स्पेसिफिक एजेंडा उसको दिया जाता है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, बङ्शामी जी को पता होना चाहिए कि यह कमेटी भी स्पेशल ही बनाई गई है।

श्री शेर सिंह बड़शामी: स्पीकर सर, हो सकता है कि उसके ऊपर तब तक चार्ज़िज फ़्रेम न हुए हों और वह किसी ऐक्टिव कंसीडरेशन के अण्डर भी न आये हों, उसके facts and figures के बारे में you cannot say specifically. हमारा जो केस है that is in active consideration.

Mr. Speaker: But this Committee is looking only the terms of Reference to suggest/recommend manner and methodology of taking over of these Trusts/Societies by the Government in order to ensure the objects of Trusts/Societies are met with effectively as has been recommended by CBI. We are not prosecuting anybody. Where is double jeopardise.

श्री श्रेर सिंह बड़शामी: स्पीकर सर, मैं आपको यह बता रहा हूं कि अगर कोई भी कमेटी बनाई गई है तो वह कुछ तो करेगी ही। Then for what purpose this Committee has been constituted? It means only they are defaming the concerned person.

Mr. Speaker: They should not defame him.

Shri Sher Singh Barshami: Then what it means?

Mr. Speaker: They should not defame.

श्री शेर सिंह बड़शामी: नहीं स्पीकर सर, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं जानना चाहता हूं कि इस कमेटी को गठित करने का परपज़ क्या है?

Mr. Speaker: Only methodology.

श्री शेर सिंह बड़शामी: स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर यह कमेटी कोई ऐक्शन नहीं लेगी, किसी को कंविक्ट भी नहीं करेगी और किसी के खिलाफ कोई ऐक्शन भी

### श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम.एल.ए. के परिवार के सदस्यों के न्यासों/ (8)91 सोसायटियों द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच बारे

रिकमण्ड नहीं करेगी then this Committee is meaningless. For what purpose this Committee has been constituted?

Mr. Speaker: A recommendation has come from CBL

श्री श्रेर सिंह बङ्शामी: ठीक है सर, यह मैं भी मानता हूं। Sir, it is true that सी.बी.आई. की तरफ से डॉयरैक्शंज़ आई हैं और जो सी.बी.आई. का आई.ओ. या उसने कहा कि जो भी लाइक पॉसीबल ऐक्शन है, उसे आप इंनीशिएट करें! सर, आपकी बात बिल्कुल सच है लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि सी.बी.आई. के एस.पी. की डॉयरैक्शंज़ cannot be above the law, cannot be above the Constitution of India. Article-20 has been clearly provided that you cannot run two sub-judices cases parallely. There are other Acts in this regard. The directions' issued by the S.P. (CBI) cannot above the law. Law is supreme. Constitution is supreme. All the Acts are enacted by under this Constitution. These directions are totally meaningless in this specific case. सर, यह मैं भी मानता हूं कि डॉयरैझशंज़ आई हैं।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: स्पीकर सर, मैं आपसे ही एक बात जानना चाहूंगा कि जब हाऊस ने कमेटी को टाईम दे दिया कि आप सदन की अगली बैठक तक अपनी रिपोर्ट सदन में सबिमट करें तो क्या इसके बाद भी इस बारे में कोई चर्चा हो सकती है? जब हाऊस ने इस बात को मान लिया और जो कमेटी के चेयरमैन हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट पढ़ी कि उन्हें हाऊस की अगली सिटिंग तक अपनी रिपोर्ट पेश करने का टाईम दे दिया जाये और हाऊस ने उनकी इस रिक्वैस्ट को मान लिया है तो क्या रिपोर्ट की सबिमशन से पहले कोई चर्चा हो सकती है या नहीं, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं।

Mr. Speaker: Well, my ruling the other day was that this matter should be discussed in the House, because you had insisted to have a discussion on this and also insisted to give a ruling on this. Then I thought of having a discussion thereon. I want to read out the Proceedings held on 23.02.2012.

"XXX XXX XXX

Mr. Speaker: Mr. Parliamentary Affairs Minister, whether I can give my ruling on this issue if the House wants to discuss the issue?

Shri Randeep Singh Surjewala: Sir, we are ready to have a discussion.

Shri Sher Singh Barshami: Yes, Sir we are also ready.

Mr. Speaker: On the whole issue of it.

Shri Sher Singh Barshami: Yes, the whole issue of it.

Mr. Speaker: O.K. we will fix time. As per the procedure of this House, if you want a discussion, you have to give notice or you have to take sense of the Hosue.

श्री शेर सिंह बड़शामी: अध्यक्ष महोदय, जब आपने हाऊस में यह बोल ही दिया है कि हम इसके बारे में टाईम फिक्स करेंगे फिर आप ये हमसे पूछ ही क्यों रहे हो। आप टाईम फिक्स कर दो। (विष्टा)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, हम पहले इस बारे में आपकी रूलिंग चाहते हैं कि यह कमेटी बन सकती है या नहीं ? तभी हम डिस्कशन करेंगे।

Mr. Speaker: We will fix the time for discussion.

Shri Randeep Singh Surjewala: Sir, they are all agreeing.

XXX

XXX

XXX

Mr. Speaker: There may be discussion on the whole issue including the issue raised in the House.

XXX

xxx

xxx

Mr. Speaker: I will hear both the sides. No further discussion is required as already fixed time on this.

XXX

XXX

xxx

Mr. Speaker: I will inform you two days in advance. I will fix time. आप कृष्ण लाल जी इस इश्यू पर डिस्कशन चाहते हैं या नहीं ? अगर चाहते हैं तो ठीक है | I have given my ruling. My ruling has come and this matter should be discussed in the House.

श्री शेर सिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, हम डिस्कशन तो चाहते हैं लेकिन पहले आप अपनी रुलिंग तो दें ।

XXX

XXX

XXX

Mr. Speaker: Mr. Parliamentary Affairs Minister, what else do you have to say when I have said that the whole issue will be discussed? Are you running away from it?

Shri Randeep Singh Surjewala: I will ready to discuss, Sir.

XXX

XXX

xxx

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं । पहले हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं । ..........

श्री शेर सिंह बड़शामी : स्पीकर सर, इसका कोई टाईम एक्सटैंड नहीं होना चाहिए। डिस्कशन के लिए हम तैयार हैं। ये गैर कानूनी है।

Mr. Speaker: I have already given my ruling that this matter will be discussed threadbare in the House. Why are you running away from what you have said. आपने कहा कि करेंगे मैंने कहा कि मैं टाईम फिक्स कर देता हूं आपको क्या तकलीफ है डिस्कशन होने दो।

श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम.एल.ए. के परिवार के सदस्यों के न्यासों/ (8)93 सोसायटियों द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच बारे

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: स्पीकर सर, इनके पास खुला समय है ये अपनी बात रखेंगे, उसके बाद हम अपनी बात रखेंगे। हम आज यह रूलिंग चाहते हैं कि यह कमेटी ठीक है या नहीं।

श्री अध्यक्ष: भैंने अपनी व्यवस्था दे दी है मैं इस पर टाईम फिक्स करूंगा।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: स्पीकर सर, पहले यह रूलिंग तो दे दो कि यह कमेटी ठीक बनी है या नहीं।

श्री अध्यक्ष: पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है इसका फैसला मुझे करना है।

xxx xxx

श्री रामपाल माजरा : ''अगर आप इस पर फैसला कर दोगे तो हम डिस्कशन में कंट्रीब्यूट करेंगे .........

XXX

XXX XXX XXX

Mr. Speaker: When do you want the discussion? (Interruption)

xx xxx xxx."

Shri Randeep Singh Surjewala: Sorry for interrupting you. Sir, Can I give one suggestion?

Mr. Speaker: Yes, Mr. Minister.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: सर, वे एक जजमैंट भी कोट कर रहे थे वह जजमैंट भी आज आ जायेगी क्योंकि आज हाऊस का आखिरी दिन है। इसलिए इससे अगले सत्र तक इसको पैंडिंग रख लें। अगले सत्र की फर्स्ट ओपनिंग डे पर इस पर चर्चा कर लेंगे। इतनी देर में वे अपनी जजमैंट ले आयेंगे। My request is that we will also be able to go through and he will also bring all the Judgements etc.

Mr. Speaker: O.K. Both sides should bring their legal propositions.

Shri Randeep Singh Surjewala: Alright Sir.

श्री शेर सिंह बड़शामी: अध्यक्ष महोदय, मेरे तीन इम्पोर्टैंट प्रश्न हैं जो मैंने हाईलाईट किये हैं। (विष्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो कन्कल्यूड कर लिया है तो फिर अब ये किस लिए बोल रहे हैं। (विष्न)

श्री शेर सिंह बड़शामी: सर, यह शोर करने की बात नहीं है, यह लॉ की बात है। जो मुझे कहना है वह मैं कह दूंगा और जो आपने कहना है वह आप कह देना। Mr. Speaker: I will definitely give my ruling on this. First of all, the law you want to quote, must be produced it before me.

Shri Sher Singh Barshami: Definitely, Sir.

Mr. Speaker: When will you produce it?

Shri Sher Singh Barshami: I will give you tomorrow before the House rises.

Mr. Speaker: When you are quoting a law that should be handy with you.

श्री श्रेर सिंह बड़शामी: अध्यक्ष महोदय, मेरी तो पहले भी यही मांग थी कि इसको इम्मीडियेटली क्लोज कर देना चाहिए, इसको रद्द कर देना चाहिए। (विब्न) मेरी उस दिन भी यही मांग थी और आज भी यही मांग है।

Mr. Speaker: Alright, since you are not ready with the legal proposition that you have quoted, we will take it up next time.

## नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the Motion under Rule 15.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move-

That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker: Question moved----

That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

The motion was carried.

### नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the Motion under Rule 16.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine dine.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine dine.

Mr. Speaker: Question is-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine dine.

The motion was carried.

## सदन की मेज पर रखे गए कागज-पत्र

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will lay papers on the Table of the House.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to lay on the Table of the House.

The Haryana Electricity Regulatory Commission Notification regarding Regulation No. HERC/23/2010/2nd Amendment/2011, dated the 25th November, 2011, as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

The Haryana Electricity Regulatory Commission Notification regarding Regulation No. HERC/24/2011, dated the 23rd December, 2011, as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

The Haryana Electricity Regulatory Commission Notification regarding Regulation No. HERC/25/2012, dated the 11th January, 2012, as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

The Annual Statement of Accounts of Haryana Urban Development Authority for the year 2009-2010, as required under section 19-A(3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

[Shri Randeep Singh Surjewala]

The Audit Report on the Accounts alongwith 44th Annual Report of Haryana Financial Corporation for the year 2010-2011, as required under section 37(7) and 38(3) of the State Financial Corporations Act, 1951.

The Annual Report of Haryana Vidyut Prasaran Nigam Limited for the year 2008-2009, as required under section 619-A (3)(b) of the Companies Act, 1956.

The Annual Report of Haryana Vidyut Prasaran Nigam Limited for the year 2009-2010, as required under section 619-A (3)(b) of the Companies Act, 1956.

The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 2011 (Revenue Recipts) of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

# विधान सभा समितियों की रिपोर्ट्स प्रस्तुत करना

## (i) अधीनस्य विधान समिति की 40वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker: Now, Shri Jagbir Singh Malik, Chairperson, Committee on Subordinate Legislation will present the Fortieth Report of the Committee on Subordinate Legislation for the year 2011-12.

Chairperson, Committee on Subordinate Legislation (Shri Jagbir Singh Malik): Sir, I beg to present the Fortieth Report of the Committee on Subordinate Legislation for the year 2011-12.

## (ii) पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 67वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker: Now, Shri Sampat Singh, Chairperson, Committee on Public Accounts will present the Sixty Seventh Report of the Committee on Public Accounts for the year 2011-12 on the Reports of the Comptroller and Auditor General of India for the years ended (i) 31st March, 2008 (Civil) (ii) 31st March, 2006 (Revenue Receipts).

Chairperson, Committee on Public Accounts (Shri Sampat Singh): Sir, I beg to present the Sixty Seventh Report of the Committee on Public Accounts for the year 2011-12 on the Reports of the Comptroller and Audit General of India for the years ended (i) 31st March, 2008 (Civil) (ii) 31st March, 2006 (Revenue Receipts).

## (iii) पब्लिक अंडरटेकिंग्ज कमेटी की 58वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker: Now, Shri Anand Singh Dangi, MLA, Chairperson, Committee on Public Undertakings will present the 58th Report of the Committee on Public Undertakings.

श्री आनन्द सिंह दांगी (देयरपर्सन, लोक उपक्रमों संबंधी समिति): अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2006-2007 तथा 2007-2008 के लिए भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर वर्ष 2011-2012 के लिए लोक उपक्रमों संबंधी समिति की 58वीं रिपोर्ट सादर प्रस्तुत करता हूं।

# (iv) वैल्फेयर ऑफ शिडयूल्ड कास्ट्स, शिडयूल्ड ट्राइब्स एवं बैकवर्ड क्लासिज की 35वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now, Shri Anil Dhantori, MLA, Chairperson, Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes will present the 35th Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes for the year 2011-12.

Shri Anil Dhantori (Chairperson, Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes): Sir, I beg to present the 35th Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes for the year 2011-12.

## (v) गवर्नमेंट ऐश्योरिंसिस कमेटी की 41वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker: Hon'ble Members, Shri Ram Pal Majra, who is the Chairperson, Committee on Government Assurances was to present the 41st Report of the Committee on Government Assurances for the year 2011-2012. Since he is not here, this Report may be considered as laid on the Table of the House.

### (vi) प्राक्कलन समिति की 40वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker: Hon'ble Members, Rao Dharam Pal, MLA, who is the Chairperson, Committee on Estimates was to present the 40th Report of the Committee on Estimates for the year 2011-2012. Since he is not here, this Report may be considered as laid on the Table of the House.

### (vii) याचिका समिति की 1st रिपोर्ट

Mr. Speaker: Now, Shri Bharat Bhushan Batra, MLA, Chairperson, Committee on Petitions will present the 1st Report of the Committee on Petitions for the year 2011-2012.

Shri Bharat Bhushan Batra (Chairperson, Committee on Petitions): Speaker Sir, I beg to present the 1st Report of the Committee on Petitions for the year 2011-12 on various petitions received by the Committee.

## विधान कार्य

### (i) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं० 1) बिल, 2012

Mr. Speaker: Now, the Hon'ble Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No.1) Bill, 2012 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Sardar Harmohinder Singh Chattha): Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 2012.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Any speeches

(No Member rose to speak.)

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker: Question is-

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

#### Clause 1

Mr. Speaker: Question is---

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

#### **Enacting Formula**

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Hon'ble Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Sardar Harmohinder Singh Chattha): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Any speeches.

(No Member rose to speak.)

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

#### (ii) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं० 2) बिल, 2012

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 2012 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Sardar Harmohinder Singh Chattha): Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 2012.

Sir, I also beg to move---

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा (थानेसर) : स्पीकर सर, वित्त मंत्री जी ने बजट स्पीच में जो कुछ कहा है, उस पर में बोलना चाहूंगा । वित्त मंत्री ने कहा था कि हम तीन इंडस्ट्रियल टाऊन निजी क्षेत्रों में देने जा रहे हैं । मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ रहा है। जब इनका आर्थिक सर्वे आया तो उसके हिसाब से 2004-05 में जो घरेलू उत्पाद 32.7 था, वह अब घटकर 29.1 रह गया, यानि की घट गया । बहुत जोर-शोर से कहा जा रहा है कि बहुत सी इकाइयां हरियाणा प्रदेश के अंदर आ रही हैं, जिसका मैं स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री जी बड़े जोर-शोर से कहते हैं कि उनकी भूमि अधिग्रहण की नीति बहुत अच्छी है लेकिन हरियाणा में जो इंडस्ट्री आयेंगी वह खाली यह देख के नहीं आयेंगी कि सरकार आपको जमीन सस्ती दे रही है बल्कि इसके साथ-साथ वह अन्य सुविधार्ये भी देखती हैं। अतः स्पीकर सर, मेरा वित्त मंत्री जी से यह कहना है कि जब आप निजी क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां गठित करने जा रहे हो तो आपको इंडस्ट्रियल ग्रोय सैंटर के लिए आई.एम.टी. बनानी चाहिए लेकिन उसके लिए सरकार को किसानों की जमीन ऐक्वायर नहीं करनी चाहिए इसे केवल तभी ऐक्वायर करना चाहिए। यदि सरकार कोई ट्यूबवैल लगाना चाहती है, कोई स्कूल बनाना चाहती है या फिर कोई सड़क बनाना चाहती है। सरकार को औद्योगिक इकाइयों को वैट पर छूट देनी चाहिए, बिजली के रेटों में कमी करनी चाहिए ताकि औद्योगिक इकाइयां ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे प्रदेश में आयें। अब इंडस्ट्री के लिए व सेज के लिए जमीन ऐक्वायर करने की कोई जरूरत नहीं है । जैसाकि इन्होंने तीन इंडस्ट्रियल टाऊन्स को निजी क्षेत्रों में देने की बात कही है अगर इनका यह अनुभव ठीक है तो यह निजी इकाई स्थापित करें ताकि हरियाणा प्रदेश में इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिले और हरियाणा प्रदेश के किसानों की जमीन भी न जा सके। स्पीकर सर, अब मैं होम के ऊपर भी एक सुझाव देना चाहूंगा। आज किसी भी प्रदेश की तरक्की उस प्रदेश की कानून और व्यवस्था की स्थिति पर निर्मर करती है। आज बिहार के अंदर अगर नीतिश कुमार दोबारा सत्ता में आये हैं तो उसका मुख्य कारण यही है कि इन्होंने बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति को ठीक किया । सर, मैं अखबार में पढ़ रहा था कि जो देश के पांच बैस्ट स्टेट्स हैं जिनकी लॉ एंड आर्डर की पोजीशन ठीक है उनमें बिहार भी एक था। पहले जब हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर यदि कोई घटना घट जाती थी तो कहा जाता था कि हरियाणा भी बिहार बन गया है, परन्तु आज बिहार की पोजीशन हरियाणा से बेहतर है इसलिए मैं यह चाहता हूं कि सब चीजों की अपेक्षा होम पर ज्यादा पैसा खर्च किया जाये और जो पुलिस के लोग सारा दिन सड़क पर डंडा लेकर सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं उनकी तनख्वाह भी जे.बी.टी. के बराबर पंजाब पैटर्न पर करनी चाहिए और होम डिपार्टमैंट

पर ज्यादा पैसा लगाना चाहिए । हमारी बहन जी सुमिता सिंह जी ने एक सुझाव दिया था कि पोस्टमार्टम् के लिए एक अलग से डॉक्टर की पोस्ट होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिस डॉक्टर को ऑपरेशन करना होता है उस दिन वह पोस्टमार्टम के लिए ऐविईंस पर गया होता है जिससे लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है इसलिए सरकार को हैत्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और दूसरा स्पीकर सर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कृषि के ऊपर भी ज्यादा घ्यान देना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि के बारे में भी कहना चाहुंगा कि कृषि पर सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमारी निर्भरता खेती पर है । बार-बार एक प्रचार आता है जैसे भुखड़ी जी बोल रहे थे कि पोपूलर पिट गया, किसान का नुक्सान हो गया है इसी तरह से हम विपक्ष के लोग यह कहते हैं कि आलू, प्याज और जीरी पिट गई । मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार को किसान के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइज तय करनी चाहिए और यह भी प्रावधान करना चाहिए कि यदि उससे नीचे भाव जाए तो किसान की जिंस को सरकार खरीदे। इसमें यह व्यवस्था बहुत ही जरूरी है, तभी हम किसान को बचा सकते हैं। मैं यह भी कहना चाहुंगा कि हमारे वित्त मंत्री जी क्रुक्षेत्र से हैं और क्रुक्षेत्र में ही पिछले 30 सालों से रहते हैं । आज जहां नदियों को जोड़ने की बात है । पहले सरस्वती नदी की खुदाई की बात होती थी अब यह होती है कि सरस्वती नदी में पानी को किस प्रकार से चलाया जाए । आज सरस्वती नदी को बचाने की जरूरत है जिस सरस्वती को हम मां कहकर पूजते हैं । आज हालात यह हैं कि कई अनअथोराइज्ड, अथोराइज्ड कालोनीज व यहां तक कि हुडा का भी सीवरेज का पानी उसमें डाला जा रहा है। मेरी प्रार्थना है कि सरस्वती नदी की सफाई के लिए इस बजट में प्रावधान होना चाहिए i

डॉ० विशन लाल सैनी (रादौर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि एम.एल.एज. हॉस्टल में ऐलोपैथी के डॉक्टर तो हैं लेकिन साथ ही आयुर्वैदिक पैथी से इलाज करने के लिए भी डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए। इस हेतु एक आयुर्वैदिक डॉक्टर भी वहां लगाया जाए ताकि हम वहां आयुर्वैदिक तरीके से इलाज करा सकें।

प्रो० सम्पत सिंह (नलवा): अध्यक्ष महोदय, जैसे अभी अरोड़ा साहब ने बोलते हुए बिहार का जिक्क किया, हमने भी पीछे इस बारे में अखबारों में पढ़ा था। जहां तक पुलिस के पे स्केल्स की बात इन्होंने की है, मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इसको कंसीडर करेगी और उनकी तनख्याह ठीक करेगी। यह बड़ा ही जरूरी मामला है क्योंकि उनके ड्यूटी ऑवर्ज फिक्स नहीं होते हैं और आजकल क्राइम भी अलग-अलग तरीके के हो गए हैं। मैं यह चाहता हूं कि जैसे गवनमेंट ने अनाउंस भी कर दिया है और फैसले भी हो गए हैं कि सी आई.डी. अलग होगी, क्राइम विंग अलग होगी, दूसरी अलग होगी। अध्यक्ष महोदय, आज हर आदमी पुलिस की वर्दी छोड़कर सी.आई.डी., क्राइम या रेल्वेज में जाना चाहता है। आज हर चीज की स्पेशलाइजेशन की जरूरत है तो इसके लिए जरूरत इस बात की है कि कैडर अलग बनाया जाए। जो काम एक इन्वेस्टिंग ऐजेन्सी ने करना है, उसमें इकोनोमिक क्राइम अलग है, दूसरे अलग हैं। दिल्ली में भी इस तरह की अलग से विंग बन गई है उसी तरह से हमारे यहां भी बाकायदा उसी तरह की ट्रेनिंग दी जाए। विंग हमारे यहां भी बन गई है लेकिन उनको स्पेशल ट्रेनिंग देने की जरूरत है कि how to face economic crime. यह जरूरी है क्योंकि जितनी डिवैल्पमेंट हो रही है और जिस तरह से लेटेस्ट टैक्नोलॉजी आ रही है, इन्फर्मेशन टैक्नोलॉजी

आ रही है उसके हिसाब से हमारे पास जो कम्प्यूटर ऑपरेटर हैं, वह इनफ नहीं हैं। सी.आई. ड़ी. में जो पुराने लोग बैठे हैं उनसे कोई रिपोर्ट पृष्ठो तो रिपोर्ट क्या देंगे कि फलां ने फलां के यहां खाना खाया । कौन किसके शादी ब्याह में गया । ये तो सबको ही पता है कि कौन किसके शादी ब्याह में गया है इसमें बताने की क्या बात है । आज स्पेसिफिक रिपोर्ट की जरूरत है कि आपके पास क्राइम की प्रिवैंशन के लिए क्या सोर्स हैं ? आज उसके लिए प्रोफैशनल लोगों की जरूरत है. अच्छे पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है ताकि वे लोग पहले से ही इन्फर्मेशन कलैक्ट करके रखें और सरकार को बताएं कि भविष्य में यहां यह घटना होने वाली है, या ये बात होने वाली है और इस घटना को ऐसे प्रिवैंट किया जा सकता है? सोर्सिज के लिए हम काफी पैसा खर्च करते हैं । हर विभाग में इसके लिए अलग से फंड होता है, हालांकि उस फंड का कोई रिकॉर्ड नहीं होता । मैं कहना चाहंगा कि सी.आई.डी. में वही पुराने लोग चले आ रहे हैं । वे लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हमारी चिट भेज दो, हमें यहां भेज दो, वहां भेज दो । इसके हल के लिए मैं चाहुंगा कि अलग कैंडर बना दिये जाएं । जिस तरह से कमिश्नरीज बनी हैं उसी तरह से इनका अलग कैंडर बने । फरीदाबाद और गुड़गांव की कमिश्नरीज बनी हैं उनमें बड़ी जबरदस्त इस मामले में प्रौब्लम हैं, उनमें फोर्सिज की बहुत कमी है । हमारे पास सिफारिश के लिए लोग आते हैं और कहते हैं कि मुझे हिसार भेज दो, सिरसा में भेज दो, मुझे 11.00 बजे | रोहतक भेज दो | सर, हमें इस समस्या के हल के लिए नौकरी में यह करना चाहिए कि भर्ती वहीं के लड़के करने चाहिएं। जैसे टीचर्ज की भर्ती के लिए मेवात में अलग से कैडर बनाने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार से अम्बाला, यमुनानगर और पंचकला में जो लड़के नौकरी कर रहे हैं वे उधर जाना चाहते हैं they should know कि उन्हें यहीं पर रह कर नौकरी करनी पड़ेगी इसलिए उनका कैडर अलग से बना दिया जाए । दूसरा में यह कहना चाहता हूं कि जहां तक सैलरी के बारे में सरकार सीच रही है इसके बारे में सरकार पॉजीटिवली सोचकर फैसला करे ताकि अच्छे लोग उसमें आयें।

Mr. Speaker: Thank you.

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, मैं दूसरी बात ऐडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के बारे में कहना चाहता हूं Sir I am very grateful to you कि आपने मेरा एक रैजोल्यूशन ऐडिनिट कर लिया था लेकिन अनफोरच्यूनेटली नॉन आफिशिएल डे आया नहीं! (विष्न) मेरा जो अपना अनुभव है मैं उसी आधार पर बोल रहा हूं। विषक्ष के साथी कुछ भी कहें लेकिन मुझे किसी डिग्री की जरूरत नहीं है और न ही मैं कोई डिग्री ले पाया। सिर्फ पोस्टग्रेजुएट ही कर पाया था और कालेज में पढ़ा पाया था। लेकिन आज इस पोजीशन में हूं कि किसी भी सब्जैक्ट पर बोल सकता हूं चाहे वह आई.आई.एम. या आई.एस.पी. का सब्जैक्ट ही क्यों न हो। I am ready to deliver a lecture on the same. मुझे कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आप जैसे व्यक्तियों का मुझे सहयोग मिला और मैंने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है। इसलिए मेरी डिग्री तो यही है कि मैं अपने आपको आपका कृतज्ञ मानता हूं। आपने मेरा प्राईवेट मैम्बर बिल मन्जूर कर लिया लेकिन अनफोरच्यूनेटली एक दिन की छुट्टी हो गई थी और दूसरा दिन ऑफिशिएल डे में कन्चर्ट हो गया, इसलिए वह बिल आ नहीं पाया। मैं चाहता हूं कि सरकार उसको कन्सीडर कर ले बिहार के बारे में बात की गई। बिहार सरकार ने दि बिहार स्पैशल कोर्टस ऐक्ट, 2009 नामक एक बिल पास किया

था। वह बिल बड़ा रिलेवैंट है। आज उस बिल के सामने लोक पाल बिल, जन लोकपाल बिल या लोकायुक्त सब बिल फेल हो रहे हैं। उस बिल में जो मेन पॉयंट था उसके बारे में मैं सदन को बताना चाहता हूं कि चालान पुट अप होने के बाद प्राईमा फेसाई यह साबित हो जाए कि फलां आदमी के पास डिसप्रोपोरशनेट प्रॉपर्टी है तो सरकार उस प्रोपर्टी को जब्त कर सकती है। जब्त करके उसकी ऑक्शन कर सकती है और ऑक्शन करने के बाद 20 साल तक उस प्रॉपर्टी के बारे में केस चलेगा और केस चलता रहता है और उस प्रॉपर्टी का लोग फायदा उठाते रहते हैं और दोगुणा, तीन गुणा, चार गुणा या पांच गुणा करते रहते हैं। उन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता। They can buy each and every thing क्योंकि प्रॉपर्टी उनके पास है।

श्री अध्यक्ष: ऐसा आई.पी.सी. में भी है।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, वह अलग चीज है लेकिन मैं स्पैशल कोर्ट की बात कर रहा हूं क्योंकि उसमें अगर प्रॉपर्टी कान्फिस्केट हो जाए और उसके बाद उन्होंने ऐक्ट में यह किया है कि अगर वह आदमी कोर्ट से 20 साल या 15 साल बाद वरी हो जाता है तो बीस साल के बाद 5 प्रतिशत ब्याज के हिसाब से उस आदमी को सरकार द्वारा पैसा लौटा दिया जाता है। उस ऐक्ट के मेन प्रिंसिपल क्लॉज ऐक्ट में यह दिया हुआ है। मैं चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में भी ऐसा कोई ऐक्ट लेकर आए उससे एक अच्छी परम्परा पड़ेगी और आगे आने वाले समय में करप्शन पर लगाम लगेगी चाहे वह कोई भी क्यों न हो। हर पब्लिक सरवैंट पर ऐसी लगाम आयेगी। मैं यही कहना चाहता था। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That the Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

That the Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

[Mr. Speaker]

#### Schedule

Mr. Speaker: Question is-

That the Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

#### Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That the Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

#### **Enacting Formula**

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

#### Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

वित्त मंत्री (सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा): I have to submit one or two things. अध्यक्ष महोदय, जिस दिन बजट था उस दिन तो ये बाहर चले गए थे और अब उन्होंने जो बातें कही हैं उनमें से एक तो उन्होंने बड़ी वैमैंटली लॉ एण्ड आर्डर की पोजीशन की बात कही है। लॉ एण्ड आर्डर की पोजीशन जितनी हरियाणा में बैटर है उत्तनी कहीं भी नहीं है। ये लॉ एण्ड आर्डर की पोजीशन में हरियाणा का मुकाबला बिहार से करते हैं, क्या इनको हरियाणा और बिहार में कोई फर्क नजर नहीं आता। ये आज यहां बैठे हैं और जब इनका वक्त था उस वक्त लोग डर के कारण बाहर जाते नहीं थे। अब कांग्रेस का वक्त आया है तो लोग खुलेआम आने जाने लग गए हैं। उसके बाद इन्होंने पोस्ट-मार्टम की बात की है। इस बात को मैं मानता हूं कि पोस्ट-मार्टम के लिए जब डाक्टर जाते हैं। (विघ्न)

Mr. Speaker: I think this was a very good suggestion.

Sardar Harmohinder Singh Chattha : Sir, this is what I am saying. कई बार डॉक्टर पोस्ट मार्टम करने के लिए नहीं आते ! Mr. Speaker: As a lawyer I have seen that.

Sardar Harmohinder Singh Chattha: Sir, as lawyer, I feel that पोस्ट मार्टम का डॉक्टर अलग से चाहिए। This point is to be considered by the Government. This is a good point. We have taken note of it. जहां तक इन्होंने सरस्वती नदी की बात की तो मैं अपने छोटे भाई को यह बात कहूंगा कि सरस्वती नदी का एक हिस्सा तो इनके इल्के पेहवा से जाता है उसमें बहुत ज्यादा गंदगी है। उसके बाद सरस्वती की पोजीशन बहुत ठीक है। हमने सवा करोड़ रुपया लगाया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कह रहे हैं कि इन्होंने पेडवा में तो सरस्वती नदी की पोजीशन ठीक करवा दी है। (विघन)

Mr. Speaker: The point is well taken.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, ये प्रदेश के मंत्री हैं। इनको जिम्मेवारी से अपनी बात कहनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि मैंने पेहवा में तो इसकी पोजीशन ठीक करवा दी है और कुरुक्षेत्र में मैं करवा नहीं सकता।

Mr. Speaker: I think this is a very good point.

Sardar Harmohinder Singh Chattha: Sir, this is what I am saying. अध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात इसलिए कही क्योंकि ये कहते हैं कि आपके हल्के के साथ मेरा हल्का लगता है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ये सरस्वती की पोजीशन मेरे हल्के में जाकर देख लें। हमने वहां पब्लिक कंद्रीब्यूशन से छेढ़ करोड़ रुपये लगाकर उसको बहुत सुंदर बनाया है। अब सरस्वती में पानी जाता है। वहां लाइटें लगा दी गई हैं और गेट बना दिए हैं। अब मेला लगेगा तो लोग आकर देखेंगे कि सरस्वती की पोजीशन कितनी अच्छी हो गई है। अरोड़ा जी, बहुत टाइम तक मिनिस्टर रहे हैं ये उस समय क्यों नहीं कुरुक्षेत्र में पड़ने वाले सरस्वती के हिस्से को ठीक करवा सके।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, कुरुक्षेत्र में पड़ने वाली सरस्वती अगर गंदी हुई है तो उसको ठीक करवाने की जिम्मेवारी सरकार की है या नहीं ? मंत्री जी कह रहे हैं कि इन्होंने पेहोवा में तो इसकी पोजीशन ठीक करवा दी है और कुरुक्षेत्र में करवा नहीं सकते।

वित्त मंत्री (श्री हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा): अध्यक्ष महोदय, सरकार की जिम्मेवारी तो है लेकिन मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि ये 6 साल तक मंत्री रहे, स्पीकर रहे, कुरुक्षेत्र इनका अपना हल्का था, क्या ये उस वक्त सो गए थे। मैं इनको जगा रहा हूं कि आपने उस वक्त क्या किया। हमने तो फिर भी बहुत कुछ किया है।

Sir, I also beg to move-

That the Bill be passed.

[श्री हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा]

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

## (iii) दि पंजाब लेबर वैल्फेयर फंड (हरियाणा अमैंडमेंट) बिल, 2012

Mr. Speaker: Now, the Minister of State for Labour and Employment will introduce the Punjab Labour Welfare Fund (Haryana Amendment) Bill, 2012 and will also move the motion for its consideration.

रोजगार एवं श्रम राज्य मंत्री (श्री शिव चरण लाल शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब श्रम कल्याण निधि (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2012 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं-

कि पंजाब श्रम कल्याण निधि (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये ।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Labour Welfare Fund (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Any speeches?

(No Member rose to speak.)

Mr. Speaker: Question is-

That the Punjab Labour Welfare Fund (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

#### Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

The Clause 2 stands part of the Bill.

. The motion was carried.

### Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

The Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

## **Enacting Formula**

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

प्रो॰ सम्पत सिंह (नलवा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री मण्डल से यही अर्ज करना चाहता हूं कि हमने हमारे काफी ऐक्ट्स को चेंज करके पंजाब से हरियाणा ऐक्ट बना लिए लेकिन अभी भी कुछ ऐक्ट रहते हैं! मेरा सभी मंत्रियों से निवेदन है कि जितने भी ऐक्ट रहते हैं उनका नाम बदल कर पंजाब की जगह हरियाणा ऐक्ट रखना चाहिए!

#### Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Minister of State for Labour and Employment will move that the Bill be passed.

रोजगार श्रम राज्य मंत्री (श्री शिव चरण लाल शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताच करता हूं।

कि विधेयक पारित किया जाए।

कि विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Any speeches.

(No Member rose to speak.)

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

# (iv) दि महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अर्मेंडमैंट) बिल, 2012

Mr. Speaker: Now, the Education Minister will introduce the Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill, 2012 and will also move the motion for its consideration.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail): Sir, I beg to introduce the Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill, 2012.

Sir, I also beg to move---

That the Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Any speeches?

(No Member rose to speak.)

Mr. Speaker: Question is-

That the Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

The Clause 2 stands part of the Bill.

## Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

#### Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

## **Enacting Formula**

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

#### Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Education Minister will move that the Bill be passed.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail): Sir, I beg to move

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Any speeches?

(No Member rose to speak.)

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

# (v) भगत फुल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुरकलां (अमैंडमैंट) बिल, 2012

Mr. Speaker: Now, the Education Minister will introduce Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya Khanpur Kanlan (Amendment) Bill, 2012 and will also move the motion for its consideration.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail): Sir, I beg to introduce Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya Khanpur Kanlan (Amendment) Bill, 2012.

Sir, I also beg to move-

That Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya Khanpur Kanlan (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya Khanpur Kanlan (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Any speeches?

(No Member rose to speak.)

Mr. Speaker: Question is-

That Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya Khanpur Kanlan (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is----

That Clause 1 stands part of the Bill.

## **Enacting Formula**

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

#### Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Education Minister will move that the Bill be passed.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Any speeches?

(No Member rose to speak.)

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

## (vi) दि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 2012

Mr. Speaker: Now, the Education Minister will introduce the Kurukshetra University (Amendment) Bill, 2012 and will also move the motion for its consideration.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail): Sir, I beg to introduce the Kurukshetra University (Amendment) Bill, 2012.

Sir, I also beg to move---

That the Kurukshetra University (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Kurukshetra University (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Any speeches?

(No Member rose to speak.)

Mr. Speaker: Question is-

That the Kurukshetra University (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 stands part of the Bill.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

**Enacting Formula** 

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

Mr. Speaker: Now, the Education Minister will move that the Bill be passed.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Any speeches?

(No Member rose to speak.)

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

## (vii) चौघरी देवी लाल यूनिवर्सिटी सिरसा (अर्मेंडर्मेंट) बिल, 2012

Mr. Speaker: Now, the Education Minister will introduce Chaudhary Devi Lal University Sirsa (Amendment) Bill, 2012 and will also move the motion for its consideration.

Education Minister (Smt. Gceta Bhukkal Matanhail): Sir, I beg to introduce Chaudhary Devi Lal University Sirsa (Amendment) Bill, 2012.

Sir, I also beg to move-

That Chaudhary Devi Lal University Sirsa (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That Chaudhary Devi Lal University Sirsa (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Any speeches

(No Member rose to speak.)

Mr. Speaker: Question is-

That Chaudhary Devi Lal University Sirsa (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That the Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

That the Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That the Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

**Enacting Formula** 

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Education Minister will move that the Bill be passed.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Any speeches?

(No Member rose to speak.)

Mr. Speaker: Question is---

That the Bill be passed.

The motion was carried.

# (viii) दि नेशनल लॉ यूनीवर्सिटी हरियाणा बिल, 2012

Mr. Speaker: Now, the Education Minister will introduce the National Law University Haryana Bill, 2012 and will also move the motion for its consideration.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail): Sir, I beg to introduce the National Law University Haryana Bill, 2012.

Sir, I also beg to move-

That the National Law University Haryana Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the National Law University Haryana Bill be taken into consideration at once.

श्री भारत भूषण बतरा (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं हरियाणा सरकार को और मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुइडा को मुबारकवाद दूंगा कि उनके प्रयासों से हरियाणा में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही है। Its a very big achievement. यह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बहुत कम जगहों पर है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलूरू, हैदराबाद, जोधपुर और पूना वगैरह में है। इसका जो कन्सैप्ट है वह जब लागू होगी तो उससे हरियाणा के लोगों को जागरुक करने में और लीगल स्फीयर में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इसका जो प्रारूप तैयार किया गया है, जो इसकी इनैक्टमैंट है उसके लिए भी मैं मुबारकवाद दूंगा कि एक कम्प्रीहैंसिव लैजिस्लेशन इस लॉ यूनिवर्सिटी का लगाया गया है ताकि Everything has been made crystal clear so that working of the concern. उसके बाद जो नया कन्सैप्ट गवर्निंग काउंसिल का आया है this is also that there is a systematic control of the Governing Council on the University. यूनिवर्सिटी पर गवर्निंग काउंसिल का कंट्रोल जरूर होना चाहिए। इस ऐक्ट में जो गवर्निंग काउंसिल का प्रावधान किया है, वह कमैंडेबल है और बहुत अच्छा है। अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा एक सुझाव है कि हमारे हरियाणा प्रदेश की जो बाकी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें भी अगर उचित हो तो गवर्निंग काउंसिल का प्रावधान किया जाये ताकि उसकी वर्किंग के ऊपर भी there should be check and Democracy always goes

[श्री भारत भूषण बतरा]

by checks and balances. जहां तक इस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का सम्बन्ध है गवर्निंग काउंसिल की वर्ष में एक मीटिंग मैंडेटरी रखी गई है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सुझाव है कि इसकी ऐटलीस्ट दो मीटिंग्स साल में जरूर रखी जायें क्योंकि जो एक मीटिंग रखी है, वह पर्याप्त नहीं है। दूसरी मीटिंग कॉल हो या ना हो, यूनिवर्सिटी की वर्किंग को टोटल ऐनालाईज करने के लिए, उसकी वर्किंग देखने के लिए, फर्नीचर सैटअप देखने के लिए, उसकी अप्वाइंटमैंट्स देखने के लिए, उसका इफ्फास्ट्रक्चर कैसे डिवैल्प हुआ है, उसका एजूकेशन स्टैण्डर्ड कैसा है, जो गवर्निंग काउंसिल मॉनिटर करेगी, वह एक मीटिंग में सम्भव नहीं हो सकेगा। इसलिए मेरा यही सुझाव है कि गवर्निंग काउंसिल की साल में दो मीटिंग होनी चाहिएं।

श्री आफताब अहमद (नूंह): बतरा साहिब ने जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बारे में जो कुछ कहा है मैं भी उससे अपने आपको जोड़ते हुए कहना चाहता हूं कि यह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम है। गवर्निंग काउंसिल के मामले में जो मीटिंग एक बार की बजाय दो बार करने के लिए बात कही गई है उसमें मैं यही ऐड करना चाहता हूं कि सदन के सदस्य जो लीगल बैकग्राऊंड से आते हैं उनका भी गवर्निंग काउंसिल में प्रोविजन रखा जाये। कम से कम दो मैंबर जिन्हें सदन नोमिनेट करे, उन्हें भी इस गवर्निंग काउंसिल में शामिल किया जाये. जिनका लीगल बैकग्राऊंड हो। This is my suggestion, Sir.

Mr. Speaker: I think it is going to be a great centre of excellence. But the legislature intended while creating these universities that intellectual and legal firmament should go to the Bar. But most of the children coming out of these schools are ending up on desk-tops, on the corporate side. Can you suggest anything on that?

Shri Bharat Bhushan Batra: A provision has been made in the National Law University, Haryana Bill, 2012 that 25% of the students will be from Haryana or even a provision has also been made that जिनकी जमीन भी ली गई है उसमें उनकी भी ऐडमिशन के लिए इंटाईटलमैंट होगी टैस्ट में बैठने के लिए। This is an opportunity कि उसमें 25% कंपल्सरी ऐडमिशन हरियाणा के स्टूडेंट्स की होगी। (विघ्न)

Mr. Speaker: This is a rare attempt to standardize legal education.

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, यह सिर्फ कारपोरेट सैक्टर या अन्य सैक्टर की बात नहीं है इसमें 25 प्रतिशत स्टूडेंट्स हरियाणा के होंगे और टोटल रिजर्व सीट्स में से 5 प्रतिशत रिजर्व कोटा उन लैंड ऑनर्स के बच्चों के लिए आरक्षित होगा जिनकी जमीन यूनिवर्सिटी के लिए ऐक्वायर की गई है।

Mr. Speaker: I think it is a huge effort. It is a huge effort to standardize legal education but the legal firmament should go the actual benefit should go the litigation side so that we can have better law.

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल, मातनहेल): अध्यक्ष महोदय, जैसाकि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए बिल मूब हुआ है। इमारे सम्मानित सदस्यों ने जहां इसका स्वागत किया है उसके साथ-साथ कुछ सुझाव भी दिये हैं। जहां तक Governing Council के टर्म्स और उनके ऑफिस की बात कही गई है उसमें the Governing Council shall meet at least once in a year और जहां तक Government Council and its term of the Office की बात कही गई है उसमें the Governing Council shall consist of the two eminent persons in the disciplines of social sciences and humanities उसमें ऑलरेडी हैं and two eminent persons in the legal and educational fields, nominated by the Chancellor on the recommendation of the State Government, इसका प्रोविजन हमने किया है। जैसा कि सुझाव आया है और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आदेश है कि एक लैजिस्लेटिय मैंबर भी गयर्निंग काउंसिल में रखा जायेगा।

Public Health Engineering Minister (Smt. Kiran Chaudhary): Speaker Sir, I am just trying to answer what you have asked from the Hon'ble Member. As you know, as far as law is concerned, the study that happens is not litigant based because you have to study, you have to do the entire course. But this is something which comes later. As you know whoever is going to go into the litigation has to do far more deeper and harder work in Law than people who go in for corporate. Corporate pick up children straightway and they get the desk jobs and they start getting Pay. While if you going into litigations straight-away then you are under some lawyer of the other and then of course you have to learn there is a period of internment and you are not paid for it. So Sir, this depends on the aptitude of the children.

Mr. Speaker: Definitely. My concern was only that the benefits should have gone on the other side where it is not going.

प्रो० सम्पत सिंह (नलवा): अध्यक्ष महोदय, सभी मैंबर्स ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हरियाणा का जो महत्व बताया है, मैं भी अपने आपको उसके साथ जोड़ता हूं । मौजूदा सरकार ने हरियाणा प्रदेश में हर प्रकार की यूनिवर्सिटी बनाई हैं। चाहे वह पहले हुमैनिटीज और साइंसेज की यूनिवर्सिटीज थी उसके बाद बिजनेस यूनिवर्सिटीज आई, उसके बाद साईंस एंड टैक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी आई, उसके बाद मैडिकल यूनिवर्सिटी आई, उसके बाद डिफैंस की मी आ रही है। यानि की हर फील्ड में यूनिवर्सिटी आ रही है और अब यह लॉ वाली ऐक्टीविटीज के लिए यह यूनिवर्सिटी भी बहुत जरूरी थी क्योंकि अकेले कॉलेज से बात नहीं बनती है। आज भारत की जनसंख्या संसार में सबसे तेज गति से बढ़ रही है। Population is not a problem. जब यह जनसंख्या Qualitatively population प्रोफैशनल के साथ-साथ टैक्निकल भी बन जायेगी तो उसके बाद we can rule the world. हम बार-बार जनसंख्या वृद्धि पर शोर मचाते रहते हैं कि भारत की जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ती जा रही है यह कोई महत्व नहीं रखता । (विघ्न) सर, मैं सजैशन ही दे रहा हूं कि हमने जो आई.आई.एम. बनाया है । आई.आई.एम. इंस्टीट्युशंस और भी हैं, आई.एस.बी. इंस्टीट्युशंस और भी हैं, जो लॉ यूनिवर्सिटी बन रही है उससे कारपोरेट सैक्टर का भी काफी हद तक इसके अंदर हाथ हो गया है। जब हम आई.एस.बी. में बत्तरा जी तथा कुछ अन्य लोगों के साथ गये तो हमने देखा कि जितने बिग कोआपरेटिव हाउसिज हैं सभी उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इसलिए स्वामाविक है जो उनका इन्टेक होता है वह काफी वहां होता है और कोआपरेटिव हाउसिज [प्रो० सम्पत सिंह] में ही ज्यादा उनकी खपत होनी है इसलिए मैं यह चाहता हूं कि कोआपरेटिव हाउसिज के लोगों को भी इसके साथ इस यनिवर्सिटी में जोड़ा जाये ।

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल): स्पीकर सर, इस विषय में मैं यह बताना चाहंगी कि इतनी इंपेंटिंट नेशनल लैवल की यूनिवर्सिटी हम लेकर आ रहे हैं । इससे पहले नॉर्थ इंडिया में दो ही यूनिवर्सिटीज दिल्ली और जोधपुर में थी उसके बाद हरियाणा में यह केवल राजीव गांधी एजकेशन सिटी में ही होगी। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि इसमें 25% seats for admission in University will be reserved for Haryana Domicile Students and 1/5th of the total seats will be reserved for Haryana Domicile shall be reserved for wards of the land owners whose land has been acquired under the land acquisition policy of the Government for Rajiv Gandhi Education City, Sonepat. Further, admission on these 1/5th seats shall be made on the basis of the CLET. स्पीकर सर, इसमें जो भी ऐडिमिशन होंगे वह "क्लैट" ऐक्जाम के माध्यम से होंगे और जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वह स्टेट गवर्नमैंट की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसी हिसाब से ही इसमें रहेगी। जैसे 25% Domicile of Haryana को फुल फीस कंसैशन, 1/5th की फुल फी कंसैशन और 2/5th को 50 परसैंट कंसैशन और शेष 2/5th को 25 परसैंट कंसैशन It will be a 10+2 Plus B.A. L.L.B. का रहेगा । इसमें L.LB. के साथ-साथ L.LM. कोर्स का भी प्रावधान किया गया है। इसमें 120 सीट्स शुरू में होंगी और मैं सदन को यह जरूर बताना चाहंगी कि We are expecting to start session of this University by 2013 and 2014.

Mr. Speaker: Question is-

That the National Law University Haryana Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clauses 2 to 43

Mr. Speaker: Question is-

That Clauses 2 to 43 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

## **Enacting Formula**

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

#### Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Education Minister will move that the Bill be passed.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkai Matanhail): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Any speeches.

(No Member rose to speak.)

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

# (ix) दि पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) हरियाणा अमेंडमैंट बिल, 2012

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill, 2012 and will also move the motion for its consideration.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill, 2012.

Sir, I also beg to move-

That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana

[Shri Randeep Singh Surjewala]

Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Any speeches?

(No Member rose to speak.)

Mr. Speaker: Question is-

That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause I stands part of the Bill.

The motion was carried.

**Enacting Formula** 

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move----

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Any speeches.

(No Member rose to speak.)

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

## (x) दि हरियाणा पंचायती राज (अमैंडमैंट) बिल, 2012

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2012 and will also move the motion for its consideration.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2012.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Any speeches?

(No Member rose to speak.)

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 stands part of the Bill.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

**Enacting Formula** 

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

 $\mathbf{Mr.\ Speaker}: \mathbf{Now}, \ \mathbf{the\ Industries\ Minister\ will\ move\ that\ the\ Bill\ be\ passed.}$ 

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved---

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

## (xi) दि हरियाणा रजिस्ट्रेशन एण्ड रैगुलेशन ऑफ सोसायटीज बिल, 2012

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Registration and Regulation of Societies Bill, 2012 and will also move the motion for its consideration.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce the Haryana Registration and Regulation of Societies Bill, 2012.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Registration and Regulation of Societies Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Registration and Regulation of Societies Bill be taken into consideration at once.

Shri Bharat Bhushan Batra (Rohtak): Hon'ble Speaker Sir, I would like to congratulate the Government for bringing this legislation. This is long awaited and it is a comprehensive legislation which has been brought by our State. Hardly, any State has come with such a comprehensive legislation so far as our society is concerned. I do not want to go in detail that how these Societies for religious and educational purposes they were working but now by this legislation we will certainly provide a good governance to Haryana State. All the provinces are very good but I would like to make one suggestion that every Member may be entitled to get the accounts so far as receipt, expenditure, proceedings and all these of the societies also. So far as Trusts is concerned, there is a legislation in this also. Legislation should be there and a member should be at liberty to get all these documents on demand by the members.

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Registration and Regulation of Societies Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Sub-clause 2 of Clause-1

Mr. Speaker: Question is-

That Sub-clause 2 of Clause-1 stands part of the Bill.

## Sub-clause 3 of Clause-1

Mr. Speaker: Question is--

That Sub-clause 3 of Clause-1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 to 92

Mr. Speaker: Question is-

That Clauses 2 to 92 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-clause 1 of Clause-I

Mr. Speaker: Question is-

That Sub-clause 1 of Clause-1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

## **Enacting Formula**

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Before I move, I want to tell my learned friend that not only a member but any citizen can file to get all the information and for that a specific provision for Right to information has been incorporated in the Act.

Now, I beg to move that the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Any speeches?

(No Member rose to speak.)

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

## (xii) दि हरियाणा प्राईवेट यूनीवर्सिटीज (अमैंडमैंट) विल, 2012

Mr. Speaker: Now, the Education Minister will introduce the Haryana Private Universities (Amendment) Bill, 2012 and will also move the motion for its consideration.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail): Sir, I beg to introduce the Haryana Private Universities (Amendment) Bill, 2012.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Private Universities (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Private Universities (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री शेर सिंह बड़शामी (लाडवा): स्पीकर सर, यह बहुत अच्छी अमैंडमैंट है जो प्रिंसीपल ऐक्ट था, उसकी सैक्शन-4 में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं दिया गया था कि एक यूनिवर्सिटी के साथ कितनी फैकल्टीज होनी चाहिए? इस अमैंडमैंट बिल में दिया गया है कि जब कोई यूनिवर्सिटी शुरू की जाए तो कम से कम तीन फैकल्टीज होनी चाहिएं! मेरा एक सुझाव है कि यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी संस्था होती है इसलिए तीन फैकल्टीज बहुत थोड़ी हैं इसलिए एक यूनिवर्सिटी चालू करने के लिए कम से कम दस फैकल्टीज होना बहुत जरूरी है।

Smt. Geeta Bhukkal Matanhail: Sir, it is a mandatory for a University to have minimum 3 faculties. सम्मानित सदस्य ने यह कहा है कि इस बिल की अमैंडमैंट बहुत अच्छी है। जो हमारी प्राईवेट यूनियसिंटीज हैं उनके बारे में काफी शिकायतें भी जा रही

[Smt. Geeta Bhukkal Mathanhall]

थीं। जो हमने प्राईवेट हैल्थ यूनिवर्सिटी शुरू की है उस पर तो यह अमैंडमैंट लागू नहीं होगा लेकिन दूसरी यूनिवर्सिटीज के लिए कम से कम तीन फैकल्टीज होना जरूरी किया गया है, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती हैं।

श्री शेर सिंह बड़शानी: स्पीकर सर, मैंने यह कहा है कि कम से कम दस फैकल्टीज होनी चाहिएं, यूनिवर्सिटी एक बंहुत बड़ी संस्था होती है इसलिए तीन फैकल्टीज तो थोड़ी हैं।

Shri Randeep Singh Surjewala: Noted, Sir.

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Private Universities (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clauses 2 to 23

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 to 23 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker: Question is-

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

**Enacting Formula** 

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

#### Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Education Minister will move that the Bill be passed.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail): Speaker Sir, before moving the Bill to be passed, I want to tell to the Hon'ble Members कि जितनी बार भी प्राईवेट यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल आया, फी स्ट्रक्चर को लेकर और पैनल्टीज को लेकर काफी ज्यादा चिंताएं व्यक्त की गईं, जिनको हमने पूरी कोशिश करके इसमें एड किया है क्योंकि higher education is the priority sector of the Government. अध्यक्ष महोदय, हम ग्रीस इनरोलमेंट रेशो बढ़ाना चाहते हैं! आज इस अमेंडमेंट बिल के साथ ही साथ हम तीन और यूनिवर्सिटीज इस बिल में लेकर आए हैं—बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी इन रोहतक, एम. वी.एन. यूनिवर्सिटी इन डिस्ट्रिक्ट पलवल और अंसल यूनिवर्सिटी इन डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव have been approved.

Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

## (xiii) दि हरियाणा रूरल डिवैल्पमैंट (अमैंडमैंट) बिल, 2012

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Rural Development (Amendment) Bill, 2012 and will also move the motion for its consideration.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce the Haryana Rural Development (Amendment) Bill, 2012.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Rural Development (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Rural Development (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

प्रो० सम्पत सिंह (नलवा) : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने यह बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया है। चाहे कॉटन में टैक्स की बात हो, चाहे किसी किस्म का रूरल डिवैल्पमैंट फण्ड हो या वैट हो, इसमें बहुत ज्यादा चोरी की गुंजाइश होती है क्योंकि अटरैक्शन ज्यादा है और कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से टैक्स की अमाउंट भी बहुत ज्यादा पड़ जाती है। रिवैन्यू भी अपना इन्टैक्ट रहे और व्यापारी भी अच्छी तरह काम कर सकें इसलिए सरकार ने व्यापारियों को रिलीफ देने के लिए बहुत बढ़िया फैसला किया है। अध्यक्ष महोदय, यह ऐक्सपैरीमैंट के तौर पर किया जा रहा है जोकि बहुत अच्छी बात है । यह देखने के लिए पहले ऐक्सपैरीमैंट ही करना चाहिए कि रैवेन्यू में कोई फर्क आता है या नहीं ? 22.1.2011 से पोटैटो पर और इसी तरह 22.12.2011 से 31.3.2012 तक टमाटर पर दो से घटाकर एक परसैंट टैक्स और कॉटन पर 2 से घटाकर 0.8 परसैंट टैक्स किया गया है । यह सरकार का बहुत अच्छा फैसला है । इसे जो टाइम बाउंड किया गया है इससे मुझे लगता है कि सरकार एक ऐक्सपैरीमैंट करना चाहती है ताकि हमारे रिसोर्सिज ना घटे और रेवेन्यू इन्टैक्ट रह जाए, बिजनैस भी ठीक चले और व्यापारियों को भी फायदा हो । 31 मार्च के बाद टैक्सिज की और रूरल डिवैल्पमैंट फण्ड के बारे में पूरी रिपोर्ट आ जाएगी ! उस रिपोर्ट में अगर हमारा रैवेन्यू ऐज कम्पेयर्ड टू लास्ट ईयर ठीक आता है तो हमें इसको परमानैंट फीचर बना लेना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा यही सुझाव है।

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Rural Development (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

## **Enacting Formula**

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

#### Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं सिर्फ एक बात क्लैरीफाई करना चाहता हं कि आदरणीय चौधरी सम्पत सिंह जी ने कहा है कि यह फैसला एक लिमिटिड समय के लिए सरकार ने किया है। सर, यह ओनली पार्शियली करैक्ट है। I want to correct and clarify that कि कॉटन के व्यापारी विशेषकर सिरसा और हिसार जिले के सारे व्यापारी मुख्यमंत्री जी को मिले थे । हमारे प्रदेश में सिरसा, हिसार, फतेहाबाद कॉटन बैल्ट है । दूसरी तरफ साउदर्न हरियाणा का कुछ बैल्ट है लेकिन ज्यादा कॉटन सिरसा, हिसार और फतेहाबाद में होती है। यहां के सारे व्यापारी मुख्यमंत्री जी को मिले थे और उन्होंने कहा कि उनके साथ थोड़ी अनोमली यह है कि पंजाब की बजाय हमारे यहां टैक्स ज्यादा है इसलिए यह बिजनैस उनके लिये ज्यादा प्रीफीटेबल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कुछ कॉटन जींद के एरिया में जप टू नरवाना तक होती है । उसके बाद पैडी बैल्ट शुरू हो जाती है । उन व्यापारियों की बात सुनने के बाद मुख्यमंत्री जी ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है । इस पर कोई लिमिट नहीं है | It has been reduced from 2 per cent to 0.08 per cent giving them the relief of 1.02 per cent. Speaker Sir, it is a historical decision in the interest of traders and cotton genus. अध्यक्ष महोदय, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को यह मी अश्योर किया कि रूरल ड़िवैल्पमैंट फंड फी कम होने से रैवेन्यू कम नहीं होगा क्योंकि जो कॉटन जिनिंग इत्यादि के लिए पहले बाहर जाती थी, वह अब यहीं अपनी स्टेट में रहेगी। एक तो मैं यही क्लैरीफाई करना चाहुंगा था और दूसरा मैं यह क्लैरीफाई करना चाहुंगा कि जो आलू के रेट गिर चुके थे । इस बारे में वित्तमंत्री जी बजट स्पीच में भी कह चुके हैं । उन किसानों को भी प्रोत्साहित करने के लिए अब हम बहुत सारी इंटरनैशनल कंपनीज को, एम एन सीज. को और नैशनल कंपनीज को भी लेकर आये हैं जो किसान की आलू की खरीद करेंगे। यह जो रूरल डिवैल्पमैंट फंड फीस है यह शॉर्ट टाईम पीरियड के लिए कम की गई है यह अपने आप में आवश्यक है क्योंकि ग्रामीण विकास बहुत जरूरी है।

Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

# (xiv) दि हरियाणा मुर्राह बुफैलो एंड अदर मिल्च ऐनीमल ब्रीड (प्रिजर्वेशन एंड डिवैल्पमैंट ऑफ ऐनीमल हस्बैंड्री एंड डेयरी डिवैल्पमैंट सैक्टर) अमैंडमैंट बिल, 2012

Mr. Speaker: Now, the Animal Husbandry Minister will introduce the Haryana Murrah Buffalo and other Milch Animal Breed (Preservation and Development of Animal Husbandry and Dairy Development Sector) Amendment Bill, 2012 and will also move the motion for its consideration.

Agriculture Minister (Sardar Paramvir Singh): Sir, I beg to introduce the Haryana Murrah Buffalo and other Milch Animal Breed (Preservation and Development of Animal Husbandry and Dairy Development Sector) Amendment Bill, 2012.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Murrah Buffalo and other Milch Animal Breed (Preservation and Development of Animal Husbandry and Dairy Development Sector) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved---

That the Haryana Murrah Buffalo and other Milch Animal Breed (Preservation and Development of Animal Husbandry and Dairy Development Sector) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Any speeches?

(No member rose to speak.)

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Murrah Buffalo and other Milch Animal Breed (Preservation and Development of Animal Husbandry and Dairy Development Sector) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clauses 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

**Enacting Formula** 

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Animal Husbandry Minister will move that the Bill be passed.

Agriculture Minister (Sardar Paramvir Singh): Sir, I beg to move--

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Any speeches?

(No member rose to speak.)

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

# (xv) दि हरियाणा प्राईवेट हैल्य साईंसिज ऐजूकेशन इंस्टीच्यूशंज (रैगुलेशन ऑफ ऐडमीशन, फिक्सेशन ऑफ फी एंड मेंटीनेंस ऑफ ऐजूकेशनल स्टैंडर्ड्स) बिल, 2012

Mr. Speaker: Now, the Health Minister will introduce the Haryana Private Health Sciences Educational Institutions (Regulation of Admission, Fixation of Fee and Maintenance of Educational Standards) Bill, 2012 and will also move the motion for its consideration.

Health Minister (Rao Narender Singh): Sir, I beg to introduce the Haryana Private Health Sciences Educational Institutions (Regulation of Admission, Fixation of Fee and Maintenance of Educational Standards) Bill, 2012.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Private Health Sciences Educational Institutions (Regulation of Admission, Fixation of Fee and Maintenance of Educational Standards) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved---

That the Haryana Private Health Sciences Educational Institutions (Regulation of Admission, Fixation of Fee and Maintenance of Educational Standards) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Any speeches?

(No member rose to speak.)

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Private Health Sciences Educational Institutions (Regulation of Admission, Fixation of Fee and Maintenance of Educational Standards) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clauses 2 to 20

Mr. Speaker: Question is-

That Clauses 2 to 20 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

**Enacting Formula** 

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

#### Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Health Minister will move that the Bill be passed.

Health Minister (Rao Narender Singh): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved---

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Any speeches?

(No member rose to speak.)

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

## (xvi) दि हरियाणा डिवैल्पमैंट एंड रैगुलेशन ऑफ जर्बन एरियाज (अर्मैंडमैंट एंड वैलिडेशन) बिल, 2012

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment and Validation) Bill, 2012 and will also move the motion for its consideration.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, 1 beg to introduce the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment and Validation) Bill, 2012.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

श्री अशोक कमार अरोड़ा (थानेसर): स्पीकर सर, पूरे हरियाणा प्रदेश में शहरों के अंदर जनसंख्या निरंतर बढ रही है। अगर शहरों के अंदर जनसंख्या बढेगी तो निश्चित रूप से कालोनियां भी कटेंगी ही । इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध है कि पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से अनुअपूट्ड कालोनियों की भरमार हो रही है इसमें जो सरकार का स्टैंडर्ड है उसमें कुछ रिलैक्सेशन देकर जो कि बड़ी नगर परिषद में 52 या 55 एकड़ के करीब का नॉर्म है और जो नगर पालिकायें हैं उनमें 25 एकड़ के करीब का नॉर्म है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस लिमिट को कुछ कम किया जाये क्योंकि अगर भविष्य में भी इस लिमिट को इतना ही रखा जायेगा तो फिर बड़े-बड़े बिल्डर्ज़ आयेंगे और जो यहां के छोटे बिल्डर्ज हैं वे अनअप्रव्ह कालोनियां काटते हैं जिसका सारे का सारा बोझ फिर बाद में सरकार के ऊपर ही पड़ता है क्योंकि बाद में सरकार को उन अनअप्रूट्ड कालोयिों में सारी सविधायें मुहैया करवानी पड़ती हैं और जिसका सरकार को कोई पैसा भी नहीं मिलता। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 52, 55 या 25 एकड़ की पूर्व निर्धारित सीमा को बटाकर कम से कम किया जाये । इस सम्बन्ध में दूसरे प्रदेशों के रूल्ज़, रेगूलेशन और ऐक्ट डत्यादि की कॉपीज भी मंगवाई जायें और इस बारे में फैसला करते समय उनको भी ध्यान में रखा जाये । इस प्रकार से अगर इस सीमा को 10. 15 या 20 एकड निर्धारित किया जाता है तो वह बहुत ज्यादा ठीक रहेगा । मैं यह समझता हूं कि ऐसा करने से सरकार को आमदनी भी होगी और लोग अनअप्रुट्ड कालोनियों की लुट से भी बच जायेंगे। यह मेरा सुझाव है।

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): स्पीकर सर, आदरणीय अरोड़ा जी की बात बिलकुल सही है। इस बारे में मैं आपके माध्यम से श्री अरोड़ा जी और पूरे हाउस को यह बताना चाहूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विभाग को निर्देश दिये हैं कि इन नॉर्म्ज़ को रिवाईज़ करके कम किया जाये ताकि स्कोप और फीस की जहां तक बात है उनकी मी कैटेगराईजेशन की जाये ताकि डिवैल्पमैंट पर और ज्यादा पैसा खर्च हो और फीस थोड़ी कम हो पाये। The matter is under consideration.

Mr. Speaker: Very good suggestion and a very good assurance.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने विभाग को यह भी आदेश दिया है कि जैसे गुड़गांव और फरीदाबाद हैं उनकी डिवैल्पमैंट फीस हम रानिया, नरवाना या महम से कम्पेयर नहीं कर सकते इसलिए उनको भी कैटेगराईज़ करने की प्रपोजल सरकार के लैवल पर तैयार की जाये।

19.00 ৰঙ্গী Mr. Speaker: Good suggestion and good assurance given by the Minister thereof.

श्री <mark>अशोक कुमार अरोड़ा :</mark> सर, मेरा सुझाव है कि उनकी एकड़ की संख्या ज्यादा कर ढी जाये !

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : इससे उनकी डिवैल्पमैंटस फीस या दूसरे लाईसैंस चार्जिज हैं, इस बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने विभाग को निर्देश दे दिये हैं। They are framing a comprehensive policy on this issue. The suggestion is well taken and we are in the process of reviewing this entire exercise. With these words, I beg to move that the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is--

That the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clauses 2 to 5

Mr. Speaker: Question is-

That Clauses 2 to 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That the Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

**Enacting Formula** 

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move----

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

हरियाणा विधान सभा

9 मार्च, 2012

(8)136

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

## अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I am highly thankful to all of you for extending cooperation to me for the smooth conducting of the proceedings of this House. I am also thankful to all the Press representatives, Government Officers and the officials of Haryana Vidhan Sabha Secretariat for their cooperation which was extended to me during the present Session.

\*19-03 hrs. Mr. Speaker: Hon'ble Members, now, the House stands adjourned sine die.

(The Sabha then \*adjourned sine die.)

